Con. 3. IX.23.49
320

अंक 9
संख्या 23-38

बृहस्पतिवार
1 सितम्बर,
सन् 1949 ई.

सत्यमेव जयते

# भारतीय संविधान सभा

## के

## वाद-विवाद

## की

## सरकारी रिपोर्ट

**( हिन्दी संस्करण )**

---

**विषय-सूची**

पृष्ठ

सभा में विंध्य प्रदेश के प्रतिनिधित्व के सम्बन्ध में वक्तव्य ..... 1267–1268

संविधान का मसौदा—*(जारी)*

सप्तम अनुसूची—*(जारी)*

[सूची 1 प्रविष्टि 74 से 91 पर विचार]

[सूची 2–राज्य सूची: प्रविष्टि 1 से 15 पर विचार] ..... 1268–1338

# भारतीय संविधान सभा

**बृहस्पतिवार, 1 सितम्बर, 1949**

---

*भारतीय संविधान-सभा, कांस्टीट्यूशन हाल, नई दिल्ली में प्रातः नौ बजे, अध्यक्ष महोदय, माननीय डॉ. राजेन्द्र प्रसाद के सभापतित्व में समवेत हुई।*

---

## सभा में विंध्य प्रदेश के प्रतिनिधित्व के सम्बन्ध में वक्तव्य

***अध्यक्षः** अवशिष्ट प्रविष्टियों पर विचार-विमर्श की कार्यवाही आरम्भ करने के पूर्व मैं एक छोटा-सा वक्तव्य देना चाहता हूं। श्री कामत ने इस आशय के एक प्रस्ताव की सूचना दी थी कि संविधान-सभा के सचिवालय को विंध्य प्रदेश के प्रतिनिधि को सभा में लाने के लिये कार्यवाही करनी चाहिये। यह एक तथ्य है और यह एक खेदजनक तथ्य है कि विंध्य प्रदेश का अभी तक इस सभा में प्रतिनिधित्व नहीं हो सका है। किन्तु हमारा सचिवालय जो भी कार्यवाही कर सकता था कर चुका है और वास्तव में मुझे यह भी ज्ञात हुआ है कि राज्य-मंत्रणालय भी इस मामले में दिलचस्पी ले रहा है। इस कारण इस प्रकार के प्रस्ताव को उपस्थित करने की आवश्यकता नहीं है। समिति ने यह निर्णय किया है कि चूंकि इस सम्बन्ध में कार्यवाही की जा चुकी है, इसलिये श्री कामत से कहा जाये कि वे इस प्रस्ताव को उपस्थित न करें। इसलिये मुझे आशा है कि श्री कामत इससे सहमत होंगे कि इस मामले में अन्य कोई कदम उठाने की आवश्यकता नहीं है।

***श्री एच.वी. कामत** (मध्यप्रांत और बरार : जनरल): मैंने एक अन्य प्रस्ताव की भी सूचना दी थी जिसमें मैंने आप से प्रार्थना की थी कि हैदराबाद के प्रतिनिधित्व के सम्बन्ध में भी कार्यवाही की जाये।

***अध्यक्षः** वह एक भिन्न प्रस्ताव है। मैं कह नहीं सकता कि इस समय संघ मैं हैदराबाद राज्य की स्थिति क्या है।

***श्री आर.के. सिधवाः** (मध्यप्रांत और बरार : जनरल): इस सभा के लिये विंध्य प्रदेश का प्रतिनिधि किस कारण निर्वाचित नहीं किया जा रहा है?

***अध्यक्षः** मैं निश्चित रूप से नहीं कह सकता, किन्तु मेरे विचार से कारण यह है कि प्रतिनिधियों को निर्वाचित करने के लिये कोई उपयुक्त निर्वाचक-मंडल नहीं है क्योंकि वहां कोई विधान-मंडल नहीं है। राजप्रमुख से कहा गया है कि वह एक निर्वाचक-मंडल स्थापित करे। वह अभी तक स्थापित नहीं किया गया

[अध्यक्ष]

है। इसी कारण उस प्रदेश का अभी तक प्रतिनिधित्व नहीं हो पाया है किन्तु मुझे आशा है कि अब वहां इस ओर कदम उठाया जायगा।

***सेठ गोविन्द दास** (मध्यप्रांत और बरार : जनरल): क्या मैं यह समझूं कि निर्वाचन-क्षेत्र निश्चित किये जा चुके हैं और इसकी सूचना राजप्रमुख को दे दी गई है?

***अध्यक्ष:** हम निर्वाचक-मंडल को नहीं निश्चित कर सकते हैं। राजप्रमुख पर ही यह छोड़ दिया गया है कि वह निर्वाचक-मंडल को निश्चित करे। हमने उनसे कहा है कि वे अपने प्रतिनिधियों को यहां भेजें और उन्होंने वचन दिया है कि वे अब भेजेंगे।

***श्री एच.वी. कामत:** क्या आप कृपा करके मुझे एक शब्द कहने की आज्ञा देंगे? मैंने सचिवालय से नहीं कहा था। श्रीमान, चूंकि आप अध्यक्ष हैं इसलिये मैंने आप ही से प्रार्थना की थी।

***अध्यक्ष:** किन्तु सचिवालय ने जो कुछ किया है वह मेरे ही आदेशों के आधीन किया है।

***श्री एच.वी. कामत:** किन्तु मैं आपसे ही प्रार्थना करता हूं।

***अध्यक्ष:** किन्तु मैं स्वयं क्या कार्यवाही कर सकता हूं? उसे सचिवालय को ही अपने हाथ में लेना होता है।

***श्री एच.वी. कामत:** मैं यह कहना चाहता था कि मैंने प्रस्ताव की सूचना अध्यक्ष को दी थी न कि सचिवालय को।

***अध्यक्ष:** सचिवालय ने तो मेरे आदेशों के अधीन ही कार्यवाही की है।

अब हम प्रविष्टि 74 को उठायेंगे। इसके सम्बन्ध में कुछ संशोधन हैं। पहले डॉ. अम्बेडकर अपने संशोधन को उपस्थित करें।

---

## संविधान का मसौदा—(*जारी*)

### सप्तम अनुसूची—(*जारी*)

### सूची 1: प्रविष्टि 74

***माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर** (बम्बई : जनरल) : श्रीमान, मैं यह प्रस्ताव उपस्थित करता हूं कि:

"सूची 1 की प्रविष्टि 74 के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाये:–

'74. The regulation and development of inter-State rivers and river-valleys to the extent to which such regulation or development under the control of the Union is declared by Parliament by law to be expedient in the public interest.

[74. उस सीमा तक अन्तर्राज्यिक नदियों और नदी-दूनों का विनियमन और विकास जिस तक संघ के नियंत्रण में वैसे विनियमन और विकास को संसद विधि द्वारा लोक-हित के लिये इष्टकर घोषित करे।]

**श्री ब्रजेश्वर प्रसाद** (बिहार : जनरल): अध्यक्ष महोदय, अपना संशोधन करने के पूर्व क्या मैं आपकी अनुमति से एक शब्द कह सकता हूं? किसी प्रकार, सम्भव है मेरी गलती के कारण इस संशोधन में एक शब्द नहीं है। मैं यह चाहता हूं कि "विनियमन" शब्द रखा जाये। श्रीमान, मैं यह प्रस्ताव उपस्थित करता हूं कि:

"संशोधनों की सूची के संशोधन संख्या 3562 में सूची 1 की प्रस्तावित प्रविष्टि 74 के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाये:-

'74. The regulation and development of inter-State rivers and inter-State waterways, including flood control, irrigation, navigation and hydro-electric power and for other purposes, where such development under the control of the Union is declared by Parliament by law to be necessary or expedient in the public interest.'"

[74. अन्तर्राज्यिक नदियों तथा अन्तर्राज्यिक जलपथों का विनियमन और विकास, जिनमें बाढ़ पर नियंत्रण, सिंचाई, नौ-परिवहन, पन-बिजली की शक्ति और अन्य प्रयोजन भी सम्मिलित हैं, जहां संघ के नियंत्रण में ऐसे विकास को संसद ने विधि द्वारा लोकहित के लिये आवश्यक अथवा इष्टकर घोषित किया हो।]

श्रीमान, मुझे केवल एक ही बात कहनी है और वह यह है कि मेरा संशोधन डॉ. अम्बेडकर के संशोधन से अधिक विस्तृत है।

***अध्यक्ष:** श्री कालावेंकट राव ने भी एक संशोधन की सूचना दी है जिसका आशय यह है कि इस प्रविष्टि को बिल्कुल ही निकाल दिया जाये। चूंकि यह प्रस्ताव प्रविष्टि को निकालने के सम्बन्ध में है इसलिये वे इसे संशोधन के रूप में उपस्थित न करें।

***माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर:** श्रीमान, मैं केवल यह कहना चाहता हूं कि श्री ब्रजेश्वर प्रसाद जो कुछ चाहते हैं वह मेरे संशोधन में सन्निहित है और इसलिये उसे स्वीकार करने की आवश्यकता नहीं है।

***श्री ब्रजेश्वर प्रसाद:** मैं चाहता हूं कि मुझे अपना संशोधन वापस लेने की अनुमति प्रदान की जाये।

*(सभा की अनुमति से संशोधन वापस ले लिया गया।)*

***अध्यक्ष:** अब मैं इस संशोधन पर उसी रूप में मत लेता हूं जिस रूप में इसे डॉ. अम्बेडकर ने उपस्थित किया है।

प्रस्ताव यह है कि:

"सूची 1 की प्रविष्टि 74 के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाये:–

'74. The regulation and development of inter-State rivers and river-valleys to the extent to which such regulation or development under the control of the Union is declared by Parliament by law to be expedient in the public interest.'"

[74. उस सीमा तक अन्तर्राज्यिक नदियों और नदी-दूनों का विनियमन और विकास जिस तक संघ के नियंत्रण में वैसे विनियमन और विकास को संसद विधि द्वारा लोक-हित के लिये इष्टकर घोषित करे।]

*संशोधन स्वीकार कर लिया गया।*

*प्रविष्टि 74, संशोधित रूप में, संघ-सूची का अंग बना ली गई।*

---

## प्रविष्टि 75

***अध्यक्ष:** अब हमारे सामने दो अतिरिक्त प्रविष्टियां, अर्थात् प्रविष्टि 74-क और प्रविष्टि 74-ख है। कल जो संशोधन उपस्थित किये गये थे और गिर गये थे उनसे, मेरे विचार से, इनका आशय पूरा हो गया था। इसलिये अब इनका प्रश्न नहीं उठता अब मैं प्रविष्टि 75 को उठाता हूं।

***श्री नज़ीरुद्दीन अहमद** (पश्चिमी बंगाल : जनरल): अध्यक्ष महोदय, मैं यह प्रस्ताव उपस्थित करता हूं कि:–

"सूची 1 की प्रविष्टि 75 से 'beyond territorial waters' (जलप्रांगण से परे) शब्द निकाल दिये जायें।"

प्रविष्टि 75 इस प्रकार है— "जलप्रांगण से परे मछली पकड़ना और मीन-क्षेत्र।" कुछ समय पूर्व इस सभा ने एक अनुच्छेद स्वीकार किया था–मैं कह नहीं सकता कि वह कौन-सा अनुच्छेद है—जिसका आशय यह है कि केन्द्र को मछली पकड़ने का अथवा समुद्र पर अन्य कोई अधिकार है। उस समय सभा में यह प्रश्न उठाया गया था कि केन्द्र को जल-प्रांगण पर कोई अधिकार है या नहीं। उस अनुच्छेद से यह अर्थ निकलता था कि केन्द्र को सभी समुद्रों में मछली पकड़ने का तथा उन पर अन्य सभी अधिकार भी प्राप्त होंगे वह महासमुद्र हों अथवा जलप्रांगण हों।

***अध्यक्ष:** वह अनुच्छेद 271-क है।

***श्री नज़ीरुद्दीन अहमद:** तब वर्तमान रूप में प्रविष्टि 75 से केन्द्र को अनुच्छेद 271-क द्वारा दिया जाने वाला अधिकार निराकृत हो जायेगा। मेरी यह धारणा है कि प्रविष्टि 75 को अनुच्छेद 271-क के अनुरूप बनाने की दृष्टि से नहीं दुहराया गया है। मैं सब कुछ स्पष्ट कर देना चाहता हूं। यदि यह आवश्यक समझा जाये कि सब कुछ आज तक के निर्णयों के अनुरूप किया जाये तो, मेरे विचार से, इस संशोधन को स्वीकार कर लेना चाहिये।

***माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर:** नहीं श्रीमान, मैं इस संशोधन को स्वीकार नहीं कर सकता।

***अध्यक्ष:** तब संशोधन पर मत लिया जायेगा।

प्रस्ताव यह है कि:

"सूची 1 की प्रविष्टि 75 से 'beyond territorial waters' (*जलप्रांगण से परे*) शब्द निकाल दिये जायें।"

*संशोधन गिर गया।*

***अध्यक्ष:** अब मैं इस प्रविष्टि पर उस रूप में मत लेता हूं जिस रूप में यह आरम्भ में उपस्थित की गई थी।

प्रस्ताव यह है कि:

"प्रस्तावित प्रविष्टि संख्या 75 सूची 1 का अंग बना ली जाये।"

*प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया।*

*प्रविष्टि संख्या 75, संशोधित रूप में, संघ-सूची का अंग बना ली गई।*

---

## प्रविष्टि 76

***माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर:** श्रीमान्, मैं यह प्रस्ताव उपस्थित करता हूं कि:

"सूची 1 की प्रविष्टि 76 के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाये:-

'76. Manufacture, supply and distribution of salt by Union agencies; regulation and control of manufacture, supply and distribution of salt by other agencies.'"

[76. संघ-अभिकरणों द्वारा लवण का निर्माण, सम्भरण और वितरण; अन्य अभिकरणों द्वारा लवण के निर्माण, सम्भरण और वितरण का विनियमन और नियंत्रण।]

***अध्यक्ष:** इसके सम्बन्ध में कोई संशोधन नहीं है। इसलिये मैं इस प्रविष्टि पर मत लेता हूं।

प्रस्ताव यह कि:

"सूची 1 की प्रविष्टि 76 के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाये:–

'76. Manufacture, supply and distribution of salt by Union agencies; regulation and control of manufacture, supply and distribution of salt by other agencies.'"

[76. संघ-अभिकरणों द्वारा लवण का निर्माण, सम्भरण और वितरण; अन्य अभिकरणों द्वारा लवण के निर्माण, सम्भरण और वितरण का विनियमन और नियंत्रण।]

*संशोधन स्वीकार कर लिया गया।*

*प्रविष्टि 76, संशोधित रूप में संघ-सूची का अंग बना ली गई।*

***श्री महावीर त्यागी** (संयुक्तप्रांत : जनरल): श्रीमान्, जब आप प्रस्तावों पर मत लेते हैं तो डॉ. अम्बेडकर माइक्रोफोन पर "हां" कहते हैं जिसके कारण हां वालों की आवाज अनुचित रूप से बढ़ जाती है।

***अध्यक्ष:** दुर्भाग्य से आज डॉ. अम्बेडकर का स्वास्थ्य अच्छा नहीं है। इसी कारण उन्होंने अपने सामने माइक्रोफोन रखा है। किन्तु मैं आशा करता हूं कि मतदान के लिये माइक्रोफोन का उपयोग नहीं किया जायेगा।

---

## प्रविष्टि 77

***श्री ब्रजेश्वर प्रसाद:** श्रीमान्, प्रविष्टि 77 के आधीन संघ सरकार को भारत के किसी भी भाग में गम्भीर आपात उपस्थित होने पर उसे दूर करने के लिए कार्यवाही करने की शक्ति प्रदान की गई है। ये शक्तियां संविधान के तद्विषयक उपबन्धों से प्रतिबंधित नहीं होती हैं। मेरा निर्वचन यह है कि इस संविधान के अनुच्छेदों के अधीन केन्द्र को जो शक्तियां प्रदान की गई हैं उनके अतिरिक्त देश के किसी भाग में गम्भीर आपात के सम्बन्ध में व्यवस्था करने के लिये इस प्रविष्टि के अधीन संघीय विधान-मंडल को अतिरिक्त शक्तियां प्रदान की गई हैं। यदि हम इस प्रविष्टि को निकाल देते हैं तो उसका अर्थ यह होगा कि संघ सरकार की शक्तियां संविधान के अनुच्छेदों से प्रतिबंधित हो जायेंगी। यह एक बहुत बड़ी शक्ति है और यह ठीक ही है कि यह केन्द्र को प्रदान की जाये। इसलिये मैं सूची 1 से इस प्रविष्टि को निकालने के प्रस्ताव का पूरे जोर से विरोध करता हूं।

***अध्यक्ष:** प्रस्ताव यह है कि:

"सूची 1 से प्रविष्टि 77 निकाल दी जाये।"

*प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया।*

*प्रविष्टि 77 सूची 1 से निकाल दी गई।*

---

## प्रविष्टि 78

*प्रविष्टि 78 संघ-सूची का अंग बना ली गई।*

---

## प्रविष्टि 79

***माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर:** श्रीमान्, प्रविष्टि 79 के सम्बन्ध में मैंने एक बात कहनी है। इस सभा के कुछ सदस्यों की यह धारणा है कि यदि प्रविष्टि 79 सूची 1 में रही तो केन्द्र को भी इसकी स्वतन्त्रता रहेगी कि वह श्रेष्ठि-चत्वर और वादा बाजार पर लगाये हुये करों और उनके सौदों पर मुद्रांक शुल्कों के अतिरिक्त अन्य करों के आगम का विनियोग करे। मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मसौदा-समिति ने श्रेष्ठि-चत्वरों और वादा बाजारों का उल्लेख सूची 1 में इस उद्देश्य से नहीं किया है कि इस प्रविष्टि के अधीन जो कर लगाये जायेंगे, उनके आगम का विनियोग केन्द्र करे। साथ ही सभी प्रकार के सन्देहों को दूर करने के लिये मसौदा समिति अनुच्छेद 250 को भी संशोधित करना चाहती है, जिसके अधीन कुछ करों के आगम प्रांतों को दिये जायेंगे। हम अनुच्छेद 250 में, जिसमें करों के वितरण के सम्बन्ध में खण्ड (क) से लेकर खण्ड (घ) तक में उपबन्ध हैं, "श्रेष्ठि-चत्वरों और वादा बाजारों पर लगाये गये करों का आगम" शब्द आनुषंगिक उपबन्ध के रूप में रखना चाहते हैं ताकि वह भी प्रांतों को दिया जा सके। इससे मुझे विश्वास है कि कुछ सदस्यों का यह सन्देह दूर हो जायेगा कि इस प्रविष्टि के सूची 1 में रहने से केन्द्र को करों के विनियोग की शक्ति प्राप्त हो जायेगी। उद्देश्य यह नहीं है। यह प्रविष्टि केवल विधि बनाने के सम्बन्ध में है। वह आर्थिक विषयों के सम्बन्ध में नहीं है।

***पं. हृदयनाथ कुंजरू** (संयुक्तप्रांत : जनरल): क्या मैं डॉ. अम्बेडकर से पूछ सकता हूं कि क्या वे इस सम्बन्ध में अनुच्छेद 267 में भी रूप भेद करना चाहते हैं?

***माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर:** इस विषय को सुसंगत बनाने के लिए मैं इस पर विचार करूंगा कि किसी आनुषंगिक उपबन्ध की आवश्यकता है या नहीं।

***अध्यक्ष:** सरदार हुकम सिंह और श्री ब्रजेश्वर प्रसाद अपने संशोधन नहीं उपस्थित कर रहे हैं।

***श्री नज़ीरुद्दीन अहमद:** श्रीमान्, मूल रूप में, अनुच्छेद 79 श्रेष्ठि चत्वरों,

[श्री नज़ीरुद्दीन अहमद]

वादा बाजारों तथा मुद्रांक शुल्क को छोड़कर उनके सौदों पर करों के सम्बन्ध में है। मुद्रांक शुल्कों को प्रान्त अपने क्षेत्राधिकार में होने वाले विक्रय पर लगाते हैं। वादों तथा श्रेष्ठियों के और प्रतिभूतियों के विक्रय-मूल्य पर भी मुद्रांक शुल्क चुकाना होता है। चूंकि विक्रय पर सभी प्रकार के मुद्रांक शुल्कों को प्रांत वसूल करते हैं इसलिये श्रेष्ठि-चत्वरों में होने वाले विक्रय पर भी जो मुद्रांक शुल्क लगे उसे सीधे-सीधे राज्य ही वसूल करें। इस प्रविष्टि से इस शर्त को हटाने का परिणाम यह होगा कि केन्द्र भी इस मुद्रांक शुल्क को लगा सकेगा यद्यपि इससे जो धनराशि वसूल होगी वह एक निधि में जमा की जायगी। इससे केन्द्रीय सरकार को यह शक्ति भी प्राप्त हो जायेगी। कि वह इस धनराशि को जिस किसी राज्य को देना चाहे उसे दे और उस राज्य को न दे जिससे यह वसूल की गई है। मेरा निवेदन है कि मुद्रांक शुल्क केन्द्र के क्षेत्राधिकार में नहीं रहना चाहिये।

***अध्यक्ष:** क्या वर्तमान रूप में इस उपबन्ध का यह आशय नहीं है?

***श्री नज़ीरुद्दीन अहमद:** मेरे विचार से एक संशोधन भी उपस्थित किया गया था।

***अध्यक्ष:** सरदार हुकम सिंह ने उस संशोधन को उपस्थित नहीं किया।

***श्री नज़ीरुद्दीन अहमद:** इस दशा में मुझे खेद है कि मैंने ये बातें कहीं। किन्तु श्रीमान्, इतनी तेजी से काम हो रहा है कि मैं बहस को पूरी तौर पर नहीं समझ सका। मुझे अपनी गलती के लिये खेद है।

***अध्यक्ष:** अब मैं प्रविष्टि 79 पर मत लेता हूं। मि. नज़ीरुद्दीन अहमद ने भ्रमवश कुछ बातें कहीं थीं। उन्होंने वे वापस ले ली हैं।

प्रस्ताव यह है कि:

"प्रविष्टि 79 सूची 1 का अंग बना ली जाये।"

*प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया।*

*प्रविष्टि 79 संघ-सूची का अंग बना ली गई।*

---

## प्रविष्टि 80

***अध्यक्ष:** प्रविष्टि 80 के सम्बन्ध में कोई संशोधन नहीं है।

*प्रविष्टि 80 संघ-सूची का अंग बना ली गई।*

---

## प्रविष्टि 81

***श्री ब्रजेश्वर प्रसाद:** अध्यक्ष महोदय, मैं यह प्रस्ताव उपस्थित करता हूं कि: संशोधनों की सूची के संशोधन संख्या 3572 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाये:-

"सूची 1 की प्रविष्टि 81 के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाये:-

'81. Duties in respect of succession to property including agricultural land.'"

[81. कृषि-भूमि सहित सम्पति के उत्तराधिकार के सम्बन्ध में शुल्क।]

मैंने प्रांतों के हाथ में आर्थिक स्वायत्तता न रखने के उद्देश्य से ही इस संशोधन को उपस्थित किया है। संविधान के आर्थिक उपबन्धों पर विचार-विमर्श होते समय मैंने यह बताया था कि मैं प्रांतों को केवल सीमित प्रांतीय स्वायत्तता प्रदान करने के पक्ष में हूं। मेरे विचार से हममें से अधिकांश लोग हमारे राजनीतिक जीवन की वास्तविकता की उपेक्षा करते हैं। प्रांतीय स्वायत्तता से मनुष्य-मनुष्य के बीच तथा प्रान्त-प्रान्त के बीच असमानता उत्पन्न हो गई हैं श्रीमान्, मेरे विचार से न्यायपूर्ण आर्थिक वितरण तभी हो सकता है जब केन्द्र को इस सम्बन्ध में सभी शक्तियां प्रदान की जायें। यदि हम प्रांतों की शक्तियों को बढ़ाते गये तो यह खतरनाक ही नहीं बल्कि बहुत दुखद भी सिद्ध होगा। मेरी यह धारणा थी कि लोग अपने पिछले अनुभवों से सबक सीखेंगे। देश विभाजन का तथा करोड़ों लोगों के घर बरबाद हो जाने से जो स्थिति उत्पन्न हुई है वह हमें एक सबक सीखने के लिये विवश करती है। हमें केन्द्र को शक्तिशाली बनाना चाहिये। हम संसार के समुन्नत राष्ट्रों से शताब्दियों पीछे हैं। विभिन्न शक्तियां कई दिशाओं से हमारे लिये खतरा पैदा कर रही हैं। इन शक्तियों का सामना करने के लिए पूरा प्रयास करने की आवश्यकता है। प्रान्तीय स्वायत्तता हमारे मार्ग में एक रोड़ा है और हमें उसे दूर करना चाहिये। हमें कई शताब्दियों तक देश के विकास के लिये प्रयत्न करने हैं। कई शताब्दियों में जो प्रयास हो सकता है उसे हमें कुछ ही समय में भी करना होगा। यह कार्य भारत में एक ही सरकार के नेतृत्व में सम्पन्न हो सकता है। श्रीमान्, शक्ति उन लोगों को दी जानी चाहिये जो लोगों को सेवा करना चाहते हैं। शक्ति उन लोगों को दी जानी चाहिये जो सेवा करने में कुशल हैं। यदि प्रान्तीय सरकारें लोगों की सेवा करना चाहेंगी तो वे केन्द्रीय सरकार का सहयोग प्राप्त करेंगी। यदि वे प्रान्तों के लोगों की सहायता करना चाहेंगी तो वे केन्द्र के सहयोग का स्वागत करेंगी। यदि वे इस प्रस्ताव का विरोध करती हैं तो उससे सन्देह प्रकट होता है। उससे हमें सन्देह होगा। श्रीमान्, यह कहा जाता है कि अत्यधिक केन्द्रीकरण से केन्द्र की प्रभुता स्थापित हो जायगी। मेरी समझ में नहीं आता कि इन लोगों का प्रभुता से क्या अर्थ है। क्या अर्थ यह है कि भारत सरकार प्रान्तों में रहने वाले लोगों का शोषण करेगी? यह कहा गया है कि भारत सरकार के लिये यह सम्भव नहीं है कि वह सारे देश का दिल्ली से शासन करे क्योंकि वह नगर देश के कई भागों से बहुत दूर है। मेरा यह निश्चित मत है कि विज्ञान के तथा यातायात के साधनों के विकास से देश-काल का बाध हो गया हैं अब भारत का विस्तार उतना नहीं रह गया है जितना पहले था। देश-विभाजन से देश का विस्तार कम हो गया है। विज्ञान के विकास से संसार का विस्तार भी बहुत कम हो गया है। संसार का विस्तार अब बहुत संकुचित हो गया है और मेरी यह धारणा है कि अब सारे संसार पर एक ही सरकार शासन कर सकती है। हम एक विश्व-राज्य के आदर्श के प्रति निष्ठा रखते हैं। इसलिये, मेरी समझ में नहीं आता कि केन्द्र से कोई सरकार सुयोग्य ढंग से क्यों कार्य नहीं कर सकती। मैं शक्तियां प्रदान करने का विरोध नहीं करता हूं। मैं शक्तियों के वितरण का विरोध करता हूं और वह भी इस सीमा तक कि.....

***श्री आर.के. सिधवा:** श्रीमान्, इन सब बातों का विचाराधीन प्रविष्टि से क्या सम्बन्ध है?

***अध्यक्ष:** हम इन तर्कों को माननीय सदस्य महोदय से पहले भी सुन चुके हैं। वे कई संशोधनों के सम्बन्ध में इन्हीं तर्कों को उपस्थित करते रहे हैं। इसलिये इन तर्कों को अब दुहराने की आवश्यकता नहीं है।

***डॉ. पी.एस. देशमुख** (मध्यप्रान्त और बरार : जनरल): हम यह मान लेंगे कि उन्होंने ये तर्क उपस्थित कर दिये हैं।

***अध्यक्ष:** इस सूची में एक प्रविष्टि को बदल कर हम पहले के सभी निर्णयों का निराकरण नहीं कर सकते।

***श्री ब्रजेश्वर प्रसाद:** इस सभा में जिन उपबन्धों के सम्बन्ध में समझौता हो चुका है उन पर मैं फिर विचार-विमर्श नहीं कराना चाहता। मैं केवल यह कह रहा हूं कि मैंने जो सुझाव रखा है उसके अनुसार यह प्रविष्टि संशोधित कर दी जाये। यदि आपका यह निर्णय है कि मैं अपना भाषण जारी न रखूं तो श्रीमान्, मुझे आपका निर्णय शिरोधार्य है।

*(प्रो. शिब्बन लाल सक्सेना बोलने के लिये उठे।)*

***अध्यक्ष:** मुझे आशा है कि आप केवल श्री ब्रजेश्वर प्रसाद के तर्कों का खण्डन करने के लिये नहीं बोलने जा रहे हैं।

***प्रो. शिब्बन लाल सक्सेना** (संयुक्तप्रान्त : जनरल): नहीं श्रीमान्, मैं उनका समर्थन करने जा रहा हूं। श्री ब्रजेश्वर ने अपने तर्क उपस्थित किये हैं। मेरी अपनी यह धारणा है कि एक अन्य दृष्टिकोण से उनका संशोधन सारपूर्ण प्रतीत होता है। मैं यह चाहता हूं कि इस विषय के सम्बन्ध में कर लगाने की जो व्यवस्था स्थापित की जाये वह अन्य व्यवस्थाओं के अनुरूप ही हो। करों को केन्द्र संग्रह करे और फिर उन्हें प्रान्तों को दे ताकि करों की व्यवस्था में एक रूपता आ सके। विभिन्न प्रान्तों में विभिन्न कर न लगने चाहियें। इसलिये मुझे इसकी प्रसन्नता है कि श्री ब्रजेश्वर प्रसाद के संशोधन का उद्देश्य यह है कि यह शक्ति केन्द्र को प्रदान की जाये। केन्द्र विधि बना सकता है और करों को संग्रह कर सकता है। इससे जो भी धन प्राप्त हो वह प्रान्तों को दिया जा सकता है।

***माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर:** श्रीमान्, मैं यह बताना चाहता हूं कि प्रान्तीय प्रधान मंत्रियों के सम्मेलन में इस प्रश्न पर विचार किया गया था। उनका यह मत था कि यद्यपि यह सिद्धान्त एक उपयुक्त सिद्धान्त है किन्तु वे इस समय इस प्रभावशील परिवर्तन को करने के लिये तैयार नहीं हैं।

***अध्यक्ष:** मैं अब संशोधन संख्या 49 पर मत लेता हूं।

***श्री ब्रजेश्वर प्रसाद:** मैं चाहता हूं कि मुझे अपना संशोधन वापस लेने की अनुमति प्रदान की जाये।

*(सभा की अनुमति से संशोधन वापस ले लिया गया।)*

***अध्यक्ष:** प्रस्ताव यह है कि:

"प्रविष्टि 81 सूची 1 का अंग बना ली जाये।"

*प्रस्ताव स्वीकार कर दिया गया।*

*प्रविष्टि 81 संघ-सूची का अंग बना ली गई।*

## प्रविष्टि 82

***अध्यक्ष:** इसी के समान एक संशोधन श्री ब्रजेश्वर प्रसाद का भी है।

***श्री ब्रजेश्वर प्रसाद:** मैं भाषण नहीं दूंगा। मैं केवल संशोधन को उपस्थित करूंगा।

***श्री आर.के. सिधवा:** इस संशोधन में तथा पहले संशोधन में केवल यह अन्तर है कि इसमें "उत्तराधिकार के बारे में शुल्क" शब्दों के स्थान पर "सम्पत्ति के बारे में संपदा-शुल्क" शब्द प्रयुक्त है।

***श्री ब्रजेश्वर प्रसाद:** श्रीमान्, मैं यह प्रस्ताव उपस्थित करता हूं कि:

"संशोधनों की सूची के संशोधन संख्या 3574 के स्थान पर निम्नलिखित संशोधन रखा जाये:–

'82. Estate Duty in respect of property including agricultural land.'"

(82. कृषि-भूमि सहित सम्पति के बारे में संपदा-शुल्क।)

श्रीमान्, यदि आप मुझे आज्ञा दें तो मैं यह स्पष्ट करने के लिये कि प्रान्तीय स्वायत्तता में परिवर्तन करने की क्यों आवश्यकता है, पहले से भिन्न तर्कों को उपस्थित करूंगा। किन्तु श्रीमान्, यदि आपकी यह इच्छा हो कि मैं आगे कुछ न कहूं तो मैं अपनी जगह पर वापस चला जाऊंगा।

***अध्यक्ष:** प्रान्तीय स्वायत्तता पर अधिक विचार-विमर्श करने की आवश्यकता नहीं है। अब मैं संशोधन पर मत लूंगा।

***श्री ब्रजेश्वर प्रसाद:** मैं संशोधन को वापस लेता हूं।

*(संशोधन, सभा की अनुमति से, वापस ले लिया गया।)*

***अध्यक्ष:** प्रस्ताव यह है कि:

"प्रविष्टि 82 सूची 1 का अंग बना ली जाये।"

*प्रविष्टि 82 संघ-सूची का अंग बना ली गई।*

---

## प्रविष्टि 83

***अध्यक्ष:** इसके सम्बन्ध में दो संशोधन हैं।

***माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर:** श्रीमान्, मैं यह प्रस्ताव उपस्थित करता हूं कि:

"कि सूची 1 की प्रविष्टि 83 में 'railway (रेल)' शब्द के पश्चात् एक अर्द्धविराम तथा 'sea (समुद्र)' शब्द रखा जाये।"

[माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर]

उद्देश्य यह है कि चूंकि 'समुद्र' शब्द रह गया था इसलिये उसे जोड़ कर इस प्रविष्टि के आशय को पूरा कर दिया जाये।

*(संशोधन संख्या 51 उपस्थित नहीं किया गया।)*

***अध्यक्ष:** इसके सम्बन्ध में कुछ अन्य संशोधन भी हैं। संशोधन संख्या 228, जो डॉ. देशमुख के नाम से है।

***डॉ. पी.एस. देशमुख:** अध्यक्ष महोदय, मैं संशोधन संख्या 228 को उपस्थित नहीं करना चाहता किन्तु संशोधन संख्या 230 को उपस्थित करना चाहता हूं क्योंकि वही संशोधन विषय संख्या 52 के प्रसंग में उपयुक्त संशोधन है।

"सूची 1 (छठा सप्ताह) के संशोधन संख्या 52 के सम्बन्ध में सूची 1 की प्रविष्टि 83 में 'railway (रेल)' शब्द के स्थान पर 'land, sea (भूमि, समुद्र)' शब्द रखे जायें।"

मुझे विश्वास है कि कल मेरे इन शब्दों का अर्थ ठीक प्रकार नहीं समझा गया था कि सड़कों पर, विशेषतया विभिन्न राज्यों के बीच की सड़कों पर, आने जाने वाले यात्रियों तथा ले जाई जाने वाली वस्तुओं का विषय संघ के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत होना चाहिये। मेरा उद्देश्य यह नहीं है कि राज्यों को अपने प्रदेशों के सम्बन्ध में जो क्षेत्राधिकार प्राप्त हैं उससे कुछ अधिकार ले लिये जायें। किन्तु एक राज्य से अधिक के बीच जो यातायात है उसका क्या होगा? जब "समुद्र और वायु" शब्द रखे गये हैं और हम राष्ट्रीय राजमार्गों के लिये भी व्यवस्था करने जा रहे हैं तो मेरी समझ में नहीं आता कि "भूमि" शब्द को रखने में क्या आपत्ति हो सकती है। जब तक डॉ. अम्बेडकर कोई विशेष कारण न बतायें अथवा कोई ऐसा कारण न बतायें जिसके आधार पर इस संशोधन को स्वीकार करना उचित न होगा, मेरे विचार से "भूमि, समुद्र" शब्दों को प्रविष्ट कर लेना चाहिये।

**श्री एच.वी. कामत:** मेरा संशोधन संख्या 229 एक शाब्दिक संशोधन ही है और मैं यह चाहता हूं कि मसौदा-समिति ही उस पर विचार करे।

**श्री आर.के. सिधवा:** अध्यक्ष महोदय, छपे हुये संशोधनों के दूसरे अंक के पृष्ठ 387 पर मेरा संशोधन इस प्रकार दिया हुआ है:

"सूची 1 की प्रविष्टि 83 से निम्नलिखित शब्द निकाल दिये जायें:-

'Terminal Tax on goods or passengers carried by rail or air (रेल या वायु से ले जाये जाने वाली वस्तुओं का यात्रियों पर सीमा-कर।)' "

अभी आप ने माननीय पंडित पंत को अपना संशोधन उपस्थित करने के लिए बुलाया था किन्तु वे सभा में उपस्थित न थे उनका संशोधन बिल्कुल मेरे संशोधन के समान है। इससे यह समझ में आ सकता है कि वे इस प्रविष्टि को यहां से हटाये जाने तथा इसे प्रान्तीय सूची में रखने को कितना अधिक महत्व देते हैं।

मैं हमेशा से यह कहता आया हूं कि सीमा-कर का विषय एक प्रान्तीय विषय है और इसे स्थानीय निकाय लगाते हैं। हमने हाल में यह उपबन्ध पारित किया था कि सीमा-कर को केन्द्र को वसूल करना चाहिये और उससे प्राप्त धन को प्रान्तों को दे देना चाहिये। यह मुझे पसन्द है। किन्तु फिर भी मैं यह कहूंगा कि यदि यह पारित किया जाता है तो उस अनुच्छेद में आनुषंगिक परिवर्तन किया जा सकता है। मेरी यह प्रबल धारणा है कि सीमा-कर का विषय प्रान्तीय सरकार तथा स्थानीय निकायों के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है और देश के प्रत्येक भाग में वे इसे वसूल करते रहे हैं। यदि केन्द्र उनसे यह अधिकार ले लेता है तो यह एक गलत बात होगी। पंडित पंत का इस सम्बन्ध में दृढ़ मत है किन्तु दुर्भाग्य से वे आज सभा में उपस्थित नहीं हैं। मुझे विश्वास है कि वे अपने संशोधन को उपस्थित करते और वह स्वीकार किया जाता। इसलिये मेरी यह प्रार्थना है कि मसौदा-समिति कृपा करके इस प्रविष्टि पर विचार करे और इसे इस सूची से निकाल कर प्रान्तीय सूची में रखे। यह कहा जा सकता है कि हम जिस अनुच्छेद को पारित कर चुके हैं उसे दृष्टि में रखते हुये मेरा संशोधन स्वीकार नहीं किया जा सकता। किन्तु मैं सभा को यह स्मरण कराता हूं कि डॉ. अम्बेडकर ने यह कहा था कि यदि यहां कुछ पारित किया गया तो उसकी दृष्टि से हम जिस अनुच्छेद को पारित कर चुके हैं उसमें आनुषंगिक परिवर्तन किया जा सकता है। इस स्थिति में मुझे आशा है कि मसौदा-समिति इस पर कोई आपत्ति नहीं करेगी।

***माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकरः** श्रीमान्, मैं डॉ. देशमुख के संशोधन को इस कारण स्वीकार नहीं कर सकता कि "भूमि" शब्द को सम्मिलित करने से केन्द्र को "सड़कों" पर ले जाये जाने वाली वस्तुओं तथा यात्रियों पर सीमा-कर लगाने का अधिकार प्राप्त हो जायेगा। हमारी योजना के अधीन सड़कों पर ले जाये जाने वाली वस्तुओं तथा यात्रियों पर सीमा-कर का विषय केवल विभिन्न राज्यों के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत रखा गया है। इसके सम्बन्ध में यही मुख्य आपत्ति है और इसी कारण मैं इस संशोधन को स्वीकार नहीं कर सकता। श्रीमान्, आपको स्मरण होगा कि एक अन्य अवसर पर भी प्रस्तावक महोदय ने इसी के समान एक संशोधन उपस्थित किया था, जिसे सभा ने अस्वीकार कर दिया था।

श्री सिधवा के संशोधन के सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहता हूं कि पिछली बार इस विषय पर भी विचार-विमर्श हुआ था और उस अवसर पर मैंने कहा था कि यद्यपि इन करों को केन्द्र लगायेगा किन्तु इनसे प्राप्त होने वाला धन विभिन्न प्रान्तों को दिया जायेगा। उस पर केन्द्र कुछ भी बयान न लेगा। यदि इस धन को पाने के पश्चात् प्रान्त उसके किसी भाग को स्थानीय निकायों को देना चाहे, तो उन्हें इसकी स्वतन्त्रता है। संविधान में किसी ऐसे कर के सम्बन्ध में उपबन्ध नहीं रखे जा सकते जो स्थानीय प्राधिकारियों को दिये जाते हों। यह राज्यों और स्थानीय अधिकारियों का आपस का मामला है और इसलिये इस प्रविष्टि में संशोधन करके अथवा इसे सूची 2 में रख कर परिवर्तन नहीं किया जा सकता।

***श्री आर.के. सिधवाः** श्रीमान्, मुझे कृपया अपना संशोधन वापस लेने की अनुमति प्रदान की जाये।

*(संशोधन, सभा की अनुमति से, वापस ले लिया गया।)*

***डॉ. पी.एस. देशमुखः** मैं भी अपना संशोधन वापस लेता हूं:

*(संशोधन, सभा की अनुमति से, वापस ले लिया गया।)*

***अध्यक्षः** प्रस्ताव यह है कि:

"सूची 1 की प्रविष्टि 83 में 'railway (रेल)' शब्द के पश्चात् एक अर्धविराम तथा 'sea (समुद्र)' शब्द रखा जाये।"

*संशोधन स्वीकार कर लिया गया।*

*प्रविष्टि संख्या 83, संशोधित रूप में संघ-सूची का अंग बना ली गई।*

---

**प्रविष्टि 84**

***अध्यक्षः** विषय संख्या 53, श्री ब्रजेश्वर प्रसाद के नाम से है। क्या इस संशोधन को उपस्थित करना आवश्यक है?

***श्री ब्रजेश्वर प्रसादः** श्रीमान्, जैसी आपकी आज्ञा हो। मैं बिना कोई भाषण दिये हुये इस संशोधन को उपस्थित करना चाहता हूं।

***अध्यक्षः** मैं यह माने लेता हूं कि आपने उसे उपस्थित कर दिया है।

***श्री ब्रजेश्वर प्रसादः** अच्छी बात है श्रीमान्।

(संशोधन संख्या 3577, 3578 और 3579 उपस्थित नहीं किये गये।)

***अध्यक्षः** प्रस्ताव यह है कि:

"प्रविष्टि 84 सूची 1 का अंग बना ली जाये।"

*प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया।*

*प्रविष्टि 84 संघ-सूची का अंग बना ली गई।*

---

**प्रविष्टि 85**

*प्रविष्टि 85 संघ-सूची का अंग बना ली गई।*

---

**प्रविष्टि 86**

*(संशोधन संख्या 54 उपस्थित नहीं किया गया।)*

***माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकरः** श्रीमान्, मैं यह प्रस्ताव उपस्थित करता हूं कि:

"सूची 1 की प्रविष्टि 86 में से 'non-narcotic drugs (पिनक नहीं लाने वाले स्वापक)' शब्द निकाल दिये जाये।"

प्रस्तावित सूची में "पिनक नहीं लाने वाले स्वापक" समवर्ती सूची में उल्लिखित हैं।

***अध्यक्षः** माननीय श्री के. सन्तानम् ने हमें एक अन्य संशोधन की भी सूचना दी है किन्तु मैं यह माने लेता हूं कि वह उपस्थित नहीं किया गया है।

***श्री नज़ीरुद्दीन अहमदः** अध्यक्ष महोदय, "अमघसारिक स्वापक" शब्द निकालने के सम्बन्ध में.....

***अध्यक्षः** पिनक नहीं लाने वाले स्वापक।

***श्री नज़ीरुद्दीन अहमदः** "पिनक नहीं लाने वाले स्वापक" शब्दों से प्रविष्टि 86 का आशय ही बदल जायेगा। प्रविष्टि इस प्रकार है: "भारत में निर्मित या उत्पादित तम्बाकू तथा पिनक नहीं लाने वाले स्वापकों व कुछ अन्य चीजों को छोड़कर अन्य वस्तुओं पर उत्पादन-शुल्क।"

श्रीमान्, डॉ. अम्बेडकर "पिनक नहीं लाने वाले स्वापक" शब्दों को निकालना चाहते हैं। दिखाई तो यह देता है कि इसका साधारण प्रभाव होगा किन्तु बात यह नहीं है। मूल प्रविष्टि में पिनक न लाने वाले स्वापक सम्मिलित नहीं किये गये थे। मूल अनुच्छेद के अधीन यह विषय एक प्रान्तीय विषय था। यदि हम इन शब्दों को निकालते हैं तो अपवाद में भी ये शब्द नहीं रह जायेंगे। यदि अपवाद में ये शब्द अर्थात् "पिनक नहीं लाने वाले स्वापक" शब्द, निकाल दिये जाते हैं तो ये शब्द प्रविष्टि में स्वतः सम्मिलित हो जाते हैं। इन शब्दों को निकालने का प्रभाव यह होगा कि यह विषय राज्यों का विषय न रह कर तुरंत ही केन्द्रीय विषय हो जायेगा। मेरा यह निवेदन है कि सभा ने बहुत विचार-विमर्श करके इन प्रविष्टियों को स्वीकार किया है। इन शब्दों को निकाल देने से प्रान्तों के हाथ से एक विषय निकल जायेगा और केन्द्र के अत्यधिक कर्तव्य होते हुये भी उसे एक भार और स्वीकार करना पड़ेगा। मैंने यह विचार किया कि इस ओर ध्यान आकृष्ट करना आवश्यक है। यद्यपि मैं यह जानता हूं कि इस सभा में मेरे विरोध का कोई प्रभाव नहीं होगा फिर भी मैंने यह विचार किया कि मुझे अपना विरोध प्रकट कर ही देना चाहिये। यदि प्रान्तों की राजनीतिक, आर्थिक तथा अन्य शक्तियों को एक-एक करके छीनना है तो अच्छा यह होगा कि इस इसी समय कह दें कि प्रान्तीय स्वायत्तता समाप्त होनी चाहिये और एक सत्तात्मक शासन स्थापित होना चाहिये। श्री ब्रजेश्वर प्रसाद ने प्रान्तीय स्वायत्तता को तुरंत ही समाप्त कर देने का जो प्रस्ताव रखा है उसे स्वीकार करना इससे कहीं अच्छा होगा। दिन-प्रतिदिन परिवर्तन करके हम जिस व्यवस्था को स्थापित कर रहे हैं उससे प्रान्तीय स्वायत्तता समूल नष्ट हो जायेगी। यह मेरी समझ में आता है कि प्रांतीय स्वायत्तता को तुरंत ही समाप्त कर देना चाहिये। यह बात मेरी समझ में आती है। प्रातों को पंगु बनाने से और उन्हें जिला मंडलियों तथा नगरपालिकाओं के स्तर पर लाने से अच्छा यह होगा कि प्रांतों को बिल्कुल मिटा ही दिया जाये और....

***श्री आर.के. सिधवाः** श्रीमान्, प्रांतीय स्वायत्तता को मिटाने का प्रश्न एक बड़ा प्रश्न है।

***श्री नज़ीरुद्दीन अहमदः** हम यही कर रहे हैं। मैं केवल यह कहता हूं कि इसे धीरे-धीरे करने से और परोक्ष रूप से एक-एक करके प्रान्तों की शक्तियां छीनने से अच्छा यह होगा कि यह सब कुछ प्रत्यक्ष में किया जाये और यह

[श्री नज़ीरुद्दीन अहमद]

कहा जाय कि केन्द्र जिस सीमा तक प्रान्तीय स्वायत्तता को जीवित रखना चाहेगा उसी सीमा तक वह जीवित रहेगी। यह जो कार्यवाही की जा रही है उससे यह कहीं अच्छा होगा। कई खतरनाक परिवर्तन किये जा चुके हैं और "पिनक नहीं लाने वाले स्वापक" शब्दों को निकालने से भी उन्हीं के समान एक खतरनाक परिवर्तन होगा।

***माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर:** श्रीमान्, यह सच है कि इस समय यह प्रविष्टि प्रान्तीय सूची में है, किन्तु इस सम्बन्ध में दो बातों को स्वीकार करना होगा। एक बात यह है कि किसी भी प्रान्त ने अभी तक इन विषयों के सम्बन्ध में कर नहीं लगाया है। इस प्रकार अभी तक प्रान्तों ने आर्थिक लाभ के लिये इनका उपयोग नहीं किया है। दूसरी बात यह है कि इस विषय को समवर्ती सूची में रखने पर भी और इसके सम्बन्ध में केन्द्र के कोई ऐसी विधि बनाने पर भी जिसमें राजस्व का प्रश्न उठता हो, अनुच्छेद 253 के खण्ड (2) के उपबन्धों के अधीन राजस्व प्रान्तों को दिया जायेगा। इस प्रकार जहां तक वित्त का सम्बन्ध है प्रान्तों को कोई हानि नहीं होगी। इसके अतिरिक्त यह भी आवश्यक है कि हम एक ऐसा स्वापक अधिनियम बनायें जो सारे भारत में समान रूप से प्रभावी हो। जब तक पिनक नहीं लाने वाले स्वापकों को समवर्ती सूची में नहीं रखा जायेगा तब तक यह सम्भव नहीं है। इससे प्रान्तों को यह शक्ति प्रदान करने की भी आवश्यकता नहीं रह जाती कि वह इन स्वापकों के सम्बन्ध में जैसी भी स्थानीय विधि बनाना चाहें बनायें।

***अध्यक्ष:** अब मैं डॉ. अम्बेडकर के संशोधन पर मत लेता हूं। प्रस्ताव यह है कि:

"सूची 1 की प्रविष्टि 86 में से 'non-narcotic drugs (पिनक नहीं लाने वाले स्वापक)' शब्द निकाल दिये जायें।"

*संशोधन स्वीकार कर लिया गया।*

***अध्यक्ष:** प्रश्न यह है कि:

"प्रविष्टि 86, संशोधित रूप में, सूची 1 का अंग बना ली जाये।"

*प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया।*

*प्रविष्टि 86, संशोधित रूप में, संघ-सूची का अंग बना ली गई।*

---

## प्रविष्टि 86-क

***अध्यक्ष:** प्रविष्टि 86-क को सम्मिलित करने के सम्बन्ध में श्री कामत का एक संशोधन है।

***श्री एच.वी. कामत:** अध्यक्ष महोदय, मैं यह प्रस्ताव उपस्थित करता हूं कि:

"सूची 1 (छठा सप्ताह) के संशोधन संख्या 55 के सम्बन्ध में, सूची 1 की प्रविष्टि 86 के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाये:

'86-A. Prescription and maintenance of standards for drugs, medicines and other pharmaceutical products.'"

(86-क. स्वापकों, औषधियों और अन्य वैद्यक-सम्बन्धी पदार्थों के मानों को निर्धारित करना तथा बनाये रखना।)

यह एक कटु तथ्य है कि इस देश में और सम्भवत: संसार के कुछ अन्य देशों में भी सभी प्रकार के सस्ते स्वापक तथा अनाड़ियों की औषधियां बाजारों में बिकती हैं और उन पर केन्द्रीय तथा प्रान्तीय सरकारों का कोई प्रभावपूर्ण नियंत्रण नहीं रहता। चूंकि हमारे देशवासियों का स्वास्थ्य गिरा हुआ है और इन औषधियों से वह और भी अधिक संकट में पड़ सकता है इसलिये यह बहुत ही गम्भीर विषय है। इस देश के कई औषधि-वेत्ताओं का यह मत है कि यदि इस विषय के सम्बन्ध में सरकार किसी प्रकार का प्रभावपूर्ण नियंत्रण नहीं रखेगी तो लोगों के स्वास्थ्य के स्तर को ऊंचा उठाना कठिन हो जायेगा क्योंकि वे अनाड़ियों की बाजार में बिकने वाली सभी प्रकार की खतरनाक औषधियों के शिकार बने रहेंगे। मैं देखता हूं कि इस सम्बन्ध में सूची 1, 2 अथवा 3 में कोई स्पष्ट उपबन्ध नहीं है। सूची 2 की प्रविष्टि केवल मादक पानों और पिनक लाने वाले स्वापकों के सम्बन्ध में है। समवर्ती सूची की प्रविष्टि 20 "विषों और खतरनाक स्वापकों" के सम्बन्ध में है। मैं नहीं समझता कि इन दो प्रविष्टियों से मेरे संशोधन का आशय पूरा हो जाता है। इसमें कोई सन्देह नहीं कि सूची 2 में एक साधारण प्रविष्टि अर्थात् प्रविष्टि संख्या 15 सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता के सम्बन्ध में है। किन्तु मेरी यह धारणा है कि यह विषय इतना महत्वपूर्ण है कि इसे सार्वजनिक स्वास्थ्य सम्बन्धी साधारण प्रविष्टि के अधीन नहीं रखा जा सकता। हम राष्ट्र के स्वास्थ्य-स्तर को ऊंचा उठाने की चर्चा करते रहते हैं। यह विषय भी उन महत्वपूर्ण विषयों में से एक है जिसके सम्बन्ध में राष्ट्र को कार्यवाही करनी होगी। पिछले आय-व्ययक सत्र में स्वास्थ्य-मंत्री महोदय ने एक प्रश्न का उत्तर देते हुये कहा था कि स्वापक सम्बन्धी मानों के विषय पर सरकार बहुत ध्यानपूर्वक विचार कर रही है।

***अध्यक्ष:** आप कृपया सूची 3 की प्रविष्टि 20 के उस रूप को देखें जिस रूप में वह संशोधन संख्या 129 द्वारा संशोधित हुई है।

"अफीम विषयक सूची 1 की प्रविष्टि 62 के उपबन्धों के अधीन रहते हुये औषधि और विष।"

***श्री एच.वी. कामत:** सम्भवत: उसमें कुछ हद तक उपबन्ध हैं किन्तु मेरा संशोधन स्पष्टत: मानों को बनाये रखने के सम्बन्ध में है। जिसका उल्लेख आपकी बताई हुई प्रविष्टि में नहीं है। इसलिये मेरा यह सुझाव है कि राष्ट्र के स्वास्थ्य के महत्वपूर्ण प्रश्न को ध्यान में रखते हुये तथा पिछले आय-व्ययक सत्र में दिये हुये स्वास्थ्य मंत्री के इस उत्तर को भी ध्यान में रखते हुये कि स्वापकों के पूरे विषय पर तथा मान-निर्धारण सम्बन्धी उपबन्धों पर सरकार बहुत ध्यानपूर्वक विचार कर रही है, इस सम्बन्ध में केवल केन्द्र को न कि प्रान्तों को विधि बनाने की शक्ति प्राप्त होनी चाहिये क्योंकि यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। मैं सूची 3 (छठा सप्ताह) के संशोधन 231 को उपस्थित करता हूं और सभा से सिफारिश करता हूं कि वह स्वीकार कर लिया जाये।

***श्री महावीर त्यागी:** आप औषधि क्यों निर्धारित करना चाहते हैं?

***श्री एच.वी. कामत:** मेरा संशोधन मान निर्धारित करने के सम्बन्ध में है।

***श्री नजीरुद्दीन अहमद:** यह बहुत अस्पष्ट है।

***श्री एच.वी. कामत:** मैं कह नहीं सकता कि मेरे संशोधन में जो औषधि सम्बन्धी तथा वैज्ञानिक शब्दावली प्रयुक्त है वह ठीक-ठीक समझी गई है या नहीं। वैद्यक विज्ञान की किसी भी अच्छी पुस्तक में यह शब्दावली देखी जा सकती है।

***माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर:** हमें इस सम्बन्ध में शक्ति प्राप्त है। प्रविष्टि 20 से इस संशोधन का आशय पूरा हो जाता है। हम उसे समवर्ती सूची में रखने जा रहे हैं।

***अध्यक्ष:** प्रस्ताव यह है कि:

"सूची 1 (छठा सप्ताह) के संशोधन संख्या 55 के सम्बन्ध में, सूची 1 की प्रविष्टि 86 के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाये:

'86.A. Prescription and maintenance of standards for drugs, medicines and other pharmaceutical products.'"

(86-क. स्वापकों, औषधियों और अन्य वैद्यक-सम्बन्धी पदार्थों के मानों को निर्धारित करना तथा बनाये रखना।)

*संशोधन गिर गया।*

***अध्यक्ष:** प्रविष्टि संख्या 87। इसके सम्बन्ध में कोई संशोधन नहीं है।

*प्रविष्टि संख्या 87 संघ-सूची का अंग बना ली गई।*

---

## प्रविष्टि 88

***अध्यक्ष:** प्रविष्टि 88।

***श्री ब्रजेश्वर प्रसाद:** श्रीमान्, मैं यह प्रस्ताव उपस्थित करता हूं कि:

"संशोधनों की सूची के संशोधन संख्या 3583 के स्थान पर निम्नलिखित संशोधन रखा जाये:-

"सूची 1 की प्रविष्टि 88 के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाये:-

'88. Taxes on the capital value of the assets, inclusive of agricultural land, of individuals and companies; taxes on the capital of companies.'"

(88. व्यक्तियों तथा समवायों की आस्ति में से कृषि-भूमि के सहित उसके मूलधन मूल्य पर कर; समवायों के मूलधन पर कर।)

***डॉ. पी.एस. देशमुखः** मैं यह प्रस्ताव उपस्थित करता हूं कि:

"सूची 1 (छठा सप्ताह) के संशोधन संख्या 56 में, सूची 1 की प्रस्तावित प्रविष्टि 88 में 'inclusive (के सहित)' शब्दों के स्थान पर 'exclusive (को छोड़कर)' शब्द रखे जायें।"

मेरा संशोधन श्री ब्रजेश्वर प्रसाद के संशोधन पर एक संशोधन है। वास्तव में इससे प्रस्तावित प्रविष्टि 88 का निराकरण हो जाता है। वैसे मैं मूल प्रविष्टि से सन्तुष्ट हूं।

***अध्यक्षः** अब मैं श्री ब्रजेश्वर प्रसाद के संशोधन पर मत लूंगा।

***श्री ब्रजेश्वर प्रसादः** श्रीमान्, कृपा करके मुझे उसे वापस लेने की आज्ञा दी जाये।

*(संशोधन, सभा की अनुमति से, वापस ले लिया गया।)*

***अध्यक्षः** प्रस्ताव यह है कि:

"प्रविष्टि 88 सूची 1 का अंग बना ली जाये।"

*प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया।*

*प्रविष्टि 88 संघ-सूची का अंग बना ली गई।*

---

## प्रविष्टि 88-क

***अध्यक्षः** बहुत से सदस्यों ने मुझे एक प्रविष्टि 88-क को रखने के प्रस्ताव की सूचना दी है। श्री गोयनका।

***श्री रामनाथ गोयनका** (मद्रास : जनरल): अध्यक्ष महोदय, मैं यह प्रस्ताव उपस्थित करता हूं.....

***श्री देशबन्धु गुप्त** (दिल्ली): श्रीमान्, मुझे एक औचित्य प्रश्न करना है। श्री गोयनका के नाम से जो संशोधन है उससे वाक्-स्वातंत्र्य और अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य के सम्बन्ध में अनुच्छेद 13 के खण्ड (क) में दी हुई प्रत्याभूति का खण्डन होता है और इसलिये उस पर विचार नहीं किया जा सकता। इस सम्बन्ध में मैं लुई सियाना के प्रख्यात मामले में अमरीका के उच्चतम न्यायालय के हाल के निर्णय की ओर संकेत करना चाहता हूं। इस मामले में बात यह थी कि उस राज्य के समाचारपत्रों पर दो प्रतिशत का अनुज्ञप्ति कर लगाया गया था। नौ प्रकाशकों ने इसका विरोध किया और इस कर को इस कारण अवैध कहा कि.....

***माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकरः** मैं आशा करता हूं कि मेरे मित्र अमरीका के उच्चतम न्यायालय का चार पृष्ठ का निर्णय पढ़ कर नहीं सुनायेंगे। इसकी प्रतियां सबको दे दी गई हैं।

***श्री देशबन्धु गुप्त:** यह उचित नहीं है कि मेरे मित्र पहले से यह मान लें कि सारा निर्णय पढ़कर सुनाया जायेगा। यदि उसमें से कुछ उद्धरण पढ़ कर सुनाने की आवश्यकता होगी तो मैं उन्हें अवश्य पढ़कर सुनाऊंगा। मैं उस निर्णय के केवल उन भागों की ओर संकेत कर रहा हूं जो मेरे प्रश्न से सुसंगत हैं। मैं यह बताना चाहता हूं कि उन प्रकाशकों ने यह आपत्ति की थी कि उस कर को लगाने से संघीय संविधान का दो प्रकार खण्डन होता है—अर्थात् उस से (1) चौदहवें संशोधन की धारा 1 के यथोचित प्रक्रिया सम्बन्धी खण्ड का खण्डन होता है और इस कारण समाचारपत्रों के स्वातंत्र्य का न्यूनन होता है और उससे (2) उसी संशोधन के विरुद्ध अपील करने वालों को विधि का समान संरक्षण प्राप्त नहीं होता है।

***माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर:** मुझे भी एक औचित्य प्रश्न करना है।

***श्री नज़ीरुद्दीन अहमद:** एक ही समय दो औचित्य प्रश्न नहीं पूछे जाने चाहियें।

***माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर:** मुझे एक आधारभूत औचित्य प्रश्न करना है। वह यह है कि मेरे मित्र ने इस संशोधन पर हस्ताक्षर किये हैं—श्री सीताराम जाजू के पश्चात् उन्होंने हस्ताक्षर किये हैं—और उन्होंने इस संशोधन की सूचना भी दी है। इस दशा में क्या वे अब यह कहते हैं कि यह अनियमित है?

***श्री देशबन्धु गुप्त:** मेरे मित्र ने भी सैकड़ों बार अपने संशोधनों को स्वयं संशोधित किया है।

***माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर:** यदि उन्होंने अपने संशोधन पर कोई संशोधन प्रस्तावित किया होता तो वह नियमित होता।

***श्री देशबन्धु गुप्त:** जिस प्रकार मेरे मित्र अपना मत प्राय: बदलते रहे हैं उसी प्रकार मुझे भी अपना मत बदलने का पूरा अधिकार है।

***अध्यक्ष:** उन्होंने सूचना पर भले ही हस्ताक्षर किये हों किन्तु मैं कह नहीं सकता कि उन्होंने प्रविष्टि 88-क के पक्ष में हस्ताक्षर किये हैं या नहीं।

***माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर:** उनका नाम श्री देशबन्धु गुप्त है।

***अध्यक्ष:** चाहे जो भी हो हम उन्हें इस समय बोलने से नहीं रोक सकते।

***श्री देशबन्धु गुप्त:** मुझे इसकी प्रसन्नता है कि आपने यह निर्णय किया है कि यह औचित्य प्रश्न नियमित है। मैं यह कह रहा था कि इस आधार पर अपील की गई थी कि उससे संघीय विधान का दो प्रकार खण्डन होता है अर्थात् उससे समाचार-पत्रों के स्वातंत्र्य और अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य का खण्डन होता हैं उच्चतम न्यायालय के माननीय न्यायाधिपति सुदरलैण्ड ने अपील करने वालों का तर्क स्वीकार कर लिया और यह निर्णय किया कि विचाराधीन विधि से अमरिका के संविधान द्वारा प्रदत्त समाचार-पत्रों से स्वातंत्र्य का अपहरण होता हैं इस कर का इतिहास बताया गया और यह भी बताया गया कि इंग्लिस्तान में इस प्रश्न को लेकर एक शताब्दी तक कितना संघर्ष होता रहा। उस निर्णय की कुछ महत्वपूर्ण बातें इस प्रकार हैं:

"उसमें इस निर्णय का उल्लेख है कि संविधानिक उपबन्ध का उद्देश्य यह है कि प्रकाशनों को पहले से निर्बन्धित नहीं किया जाये और न्यायालय इस सम्बन्ध

में सावधान रहा कि इस अधिकार का संरक्षण इस प्रकार न हो कि उसका न्यून न हो जाये। साधारण शब्दों में यह कहा गया कि संविधानिक उपबन्ध के अधीन समाचार-पत्रों के स्वातंत्र्य का यह अर्थ है कि मुख्यत: उनको, यद्यपि केवल उनको ही नहीं, पहले के निर्बन्धनों अथवा निरीक्षण व्यवस्था से उन्मुक्ति होगी।"

न्यायाधिपति कूली ने कहा था:

"जिन दोषों को नहीं आने देता है उनमें केवल समाचार-पत्रों के लिये निरीक्षण व्यवस्था ही नहीं है बल्कि उनमें सरकार की कोई ऐसी कार्यवाही भी है जिसके फलस्वरूप सार्वजनिक मामलों के सम्बन्ध में स्वतंत्रता से अथवा सामान्यत: विचार-विमर्श न हो सके और फलत: नागरिक अपने अधिकारों को बुद्धिमता से प्रयोग करने में समर्थ न हो सकें।"

इस कसौटी को दृष्टि में रखते हुये उच्चतम न्यायालय ने यह मत प्रकट किया:

"जिस उन्मुक्ति के लिये याचना की गई है उसका मुख्य उद्देश्य यह है कि समाचार-पत्रों को निर्बन्धित न किया जाये और उन्हें सार्वजनिक सूचना का प्रभावशाली माध्यम बनाये रखा जाय। यह कहा जा सकता है कि देश के पत्र तथा पत्रिकाएं सार्वजनिक तथा वाणिज्यिक मामलों पर अन्य प्रकाशन साधनों से कई अधिक रोशनी डालते रहे हैं। चूंकि पर्याप्त सूचना पर आधृत लोक-मत से ही कुशासन पर अंकुश रखा जा सकता है इसलिये यदि स्वतंत्र रूप से समाचारों के प्रकाशन का दमन किया गया अथवा उसका न्यूनन किया गया तो यह एक बहुत ही चिंताजनक कदम होगा"

अन्त में उन्होंने कहा है:

"विचाराधीन कर इस कारण बुरा नहीं है कि इसके फलस्वरूप अपील करने वालों के धन की हानि होती है। यदि केवल यह ही बात होती तो एक भिन्न ही प्रश्न उठता। वह इसलिये बुरा है कि उसके इतिहास को तथा जिस स्थिति में वह इस समय लगाया जा रहा है उसे देख कर यह स्पष्ट हो जाता है कि वास्तव में कर लगा कर सूचना के वितरण को जान बूझ कर सीमित करने का प्रयास किया जा रहा है, यद्यपि संविधानिक प्रत्याभूतियों के अधीन लोगों को उसे प्राप्त करने का अधिकार है। स्वतंत्र से समाचार-पत्र सरकार तथा लोगों के मत का निर्वाचन करते हैं। उन्हें जंजीरों से बंधवाने का अर्थ यह है कि हम स्वयं अपने को जंजीरों से बंधवा रहे हैं।"

श्रीमान्,....

***श्री एस. नागप्पा** (मद्रास : जनरल): श्रीमान्, मुझे एक औचित्य प्रश्न करना है। क्या माननीय सदस्य महोदय औचित्य प्रश्न पूछ रहे हैं। अथवा भाषण दे रहे है? वे पन्द्रह मिनट ले चुके हैं।

***अध्यक्ष:** उन्होंने औचित्य प्रश्न सुना दिया है और अब वे अपनी बात के समर्थन के लिये तर्क उपस्थित कर रहे हैं।

***श्री देशबन्धु गुप्त:** मेरा यह कहना है कि अमरीका के उच्चतम न्यायालय के इस महत्वपूर्ण निर्णय को दृष्टि में रखते हुये मेरे मित्र श्री गोयनका जिस संशोधन

[श्री देशबन्धु गुप्त]

को प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहे हैं, उससे अनुच्छेद 13-क द्वारा प्रदत्त मूलाधिकार का खण्डन होता है और इस कारण वह अनियमित है। इसलिये मेरा यह सुझाव है कि इस मामले पर विचार स्थगित किया जाये और इसे मसौदा-समिति के पास वापस भेजा जाये, ताकि वह अमरीका के उच्चतम न्यायालय के निर्णय को तथा मेरे औचित्य प्रश्न को भी दृष्टि में रखते हुये उस पर विचार कर सके। मैं इस सभा की कार्यवाही में बाधा नहीं डालना चाहता और केवल यह निवेदन करता हूं कि चूंकि यह विषय एक महत्वपूर्ण विषय है और इसका सम्बन्ध "चौथे" राज्य से है, इसलिये यदि मसौदा-समिति से इस पर इस दृष्टि से विचार करने के लिये कहा जायेगा तो कोई हानि नहीं होगी। मुझे आशा है कि सभा मेरे विचारों से सहमत होगी और इस विषय को स्थगित रखा जायेगा।

***श्री आर.के. सिधवा:** क्या मैं यह जान सकता हूं कि क्या अमरीका के उच्चतम न्यायालय के निर्णय को हमें अवश्य ही स्वीकार करना होगा? आखिर औचित्य प्रश्न क्या है? कृपया उसे बताया जाये।

***अध्यक्ष:** औचित्य प्रश्न यह है कि हम जिस अनुच्छेद 13 को पारित कर चुके हैं उसका प्रस्तावित संशोधन से खण्डन होता है।

***पं. ठाकुरदास भार्गव** (पूर्वी पंजाब : जनरल): श्रीमान्, जो औचित्य प्रश्न किया गया है और जिसके सम्बन्ध में अमरीका के उच्चतम न्यायालय के निर्णय से कुछ उद्धरण पढ़कर सुनाये गये हैं उसका समर्थन हम जिस अनुच्छेद 13 को पारित कर चुके हैं उससे भी होता है। अनुच्छेद 13 में हम यह कह चुके हैं कि:

"सब नागरिकों को वाक्-स्वातंत्र्य और अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य का अधिकार होगा।"

यह अधिकार इसी अनुच्छेद के खण्ड (2) से ही परिसीमित होता है जिस में कहा गया है:

"इस अनुच्छेद के खण्ड (1) के उपखण्ड (क) की कोई बात अपमान-लेख, अपमान-वचन, मानहानि से अथवा शिष्टाचार या सदाचार पर आघात करने वाले अथवा राज्य की सुरक्षा को दुर्बल अथवा राज्य को उलटने की प्रवृत्ति वाले किसी विषय से, जहां तक कोई वर्तमान विधि सम्बन्ध रखती हो वहां तक उसके प्रवर्तन पर प्रभाव, अथवा सम्बन्ध रखने वाली किसी विधि को बनाने में राज्य के लिये रुकावट न डालेगी।"

यह उपबन्ध सरकार के पास एक रक्षाकवच के समान है ताकि वाक्-स्वातंत्र्य और अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य का अबाध रूप से प्रयोग न किया जा सके। यदि कोई राज्य समाचार-पत्रों पर कर लगाना चाहता है तो वह वास्तव में वाक्-स्वातंत्र्य के अधिकार के प्रयोग में हस्तक्षेप करता है। यह एक सर्वमान्य विधि-सिद्धान्त है कि यदि कोई कार्यवाही विधि द्वारा प्रत्यक्ष में नहीं की जा सकती तो वह परोक्ष में भी नहीं की जा सकती। जब हम अनुच्छेद 13 के खण्ड (2) की परिसीमाओं के अतिरिक्त वाक्-स्वातंत्र्य को अन्य प्रकार परिसीमित नहीं कर सकते तो यह तर्कयुक्त ही है कि हम परोक्ष में वाक्-स्वातंत्र्य के अधिकार का अपहरण नहीं कर सकते।

इसके अतिरिक्त श्रीमान्, यदि आप अनुच्छेद 6 को देखें तो उसमें आपको ये शब्द मिलेंगे:

"इस संविधान के प्रारंभ होने के ठीक पहले भारत राज्य-क्षेत्र में सब प्रवृत्त विधियां उस मात्रा तक शून्य होंगी जिस तक कि वे इस भाग के उपबन्धों से असंगत हैं।"

इसके अतिरिक्त उसमें यह भी कहा गया है कि:

"राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनायेगा जो इस भाग द्वारा दिये अधिकारों को छीनती या न्यून करती हो और इस खण्ड के उल्लंघन में बनी प्रत्येक विधि उल्लंघन की मात्रा तक शून्य होगी।"

श्रीमान्, मैं यह कहना चाहता हूं कि जिस किसी विधि से किसी व्यक्ति के वाक्-स्वातंत्र्य का अथवा समाचार-पत्रों के स्वातंत्र्य का परिसीमन होता हो—समाचार-पत्रों का स्वातंत्र्य व्यक्ति के वाक्-स्वातंत्र्य का विस्तृत रूप ही है—और जिस किसी विधि से इस अधिकार का न्यूनन होता हो वह अनुच्छेद 8 से असंगत है और इस कारण अवैध है। इस संविधान के एक उपबन्ध से तो हम वाक्-स्वातंत्र्य की प्रत्याभूति दे रहे हैं और उसी के एक अन्य उपबन्ध में जाल रचकर उसका निराकरण कर रहे हैं। इस अवसर पर मैं इस पर अधिक नहीं बोलना चाहता कि यह कर वास्तव में सूचना पर लगाया गया है या नहीं और यह अमरीका और इंग्लिस्तान की आधारभूत विधि के विरुद्ध है या नहीं। किन्तु अपने संविधान को सामने रख कर मैं यह कहना चाहता हूं कि यह उपबन्ध अनुच्छेद 13 की शब्दावली तथा उसकी मानता के विरुद्ध है। इसलिये यह संशोधन अनियमित है।

***अध्यक्ष:** मैं जानना चाहता हूं कि मुख्य प्रश्न पर सदस्यों का क्या मत है। किन्तु उनसे अपना मत प्रकट करने के लिये कहने के पूर्व मैं जानना चाहता हूं कि क्या मसौदा-समिति इस विषय पर पुनर्विचार करने के लिये तैयार है। यदि वह इसके लिये तैयार है तो हमें इस प्रश्न पर विचार करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। किसी भी दशा में मैं इस सम्बन्ध में इसी समय अपना निर्णय नहीं सुना सकूंगा। उस पर विचार करने के लिये मैं कुछ समय लूंगा।

***माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर:** इस सभा के सदस्यों के जो विभिन्न मत हों उन्हें हम सुनना चाहते हैं और उसके उपरान्त यदि सभा का अथवा श्रीमान्, आपका यह विचार हो कि अभी कोई निर्णय नहीं किया जा सकता तो यह मामला मसौदा-समिति को सौंपा जाये ताकि वह सभी मतों को ध्यान में रखते हुये किसी ऐसे सूत्र को निश्चित कर सके जो सभा को मान्य हो। किन्तु मेरे विचार से उसी में रूप-भेद करने से कोई लाभ न होगा। हमें बहुत ही निश्चित संशोधनों की सूचना दी गई है। एक संशोधन यह मेरे मित्र का है और एक संशोधन श्री झुनझुनवाला के नाम से है—ये दोनों संशोधन बिल्कुल स्पष्ट संशोधन हैं।

***अध्यक्ष:** वास्तव में दो प्रश्नों पर विचार करना है। एक प्रश्न यह है कि हम पहले जिस अनुच्छेद को पारित कर चुके हैं उसे दृष्टि में रखते हुये श्री गोयनका जिस संशोधन को उपस्थित करने जा रहे हैं वह नियमित है या नहीं। दूसरा प्रश्न यह है कि....

***माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकरः** श्रीमान्, आपकी अनुमति से मैं यह कहना चाहता हूं कि इस प्रश्न का निर्णय इस आधार पर नहीं किया जा सकता कि कोई बात अनियमित है या नहीं। यह सभा इसका निर्णय करने के लिए सक्षम नहीं है। यह एक न्यायिक विषय है। हम निर्णय इसका करना है कि सूची 1 में सूची 2 अथवा सूची 3 की प्रविष्टियों से हम समाचार-पत्रों को किसी सीमा तक मुक्त करना चाहते हैं या नहीं और यदि मुक्त करना चाहते हैं तो किस सीमा तक। न्यायालय क्या निर्णय करेंगे इसे हम नहीं बता सकते। हम यहां किसी पत्रकार को यह आश्वासन नहीं दे सकते कि हमने ऐसी व्यवस्था कर दी है जो सर्वथा उपयुक्त है। हम इस प्रकार का आश्वासन नहीं दे सकते। इसलिये अच्छा यह होगा कि हम इस प्रश्न का निर्णय करें कि हम समाचार-पत्रों को विभिन्न प्रविष्टियों के प्रयोग से उन्मुक्त करना चाहते हैं या नहीं। मुख्य प्रश्न यही है।

*(श्री आर.के. सिधवा, पंडित ठाकुरदास भार्गव, श्री महावीर त्यागी और अन्य सदस्य एक साथ बोलने लगे।)*

***अध्यक्षः** कृपया एक एक करके।

***श्री आर.के. सिधवाः** यदि मैं श्री गुप्त को ठीक समझ पाया हूं तो....

***अध्यक्षः** क्या आप इस सम्बन्ध में कोई तर्क उपस्थित करना चाहते हैं?

***श्री आर.के. सिधवाः** जी हां, श्रीमान्।

***अध्यक्षः** कृपया कुछ रुकिये। हमारे सामने दो प्रश्न हैं। एक तो यह औचित्य प्रश्न है कि श्री गोयनका जिस संशोधन को उपस्थित करने जा रहे हैं वह जिस अनुच्छेद को हम पारित कर चुके हैं उसकी दृष्टि से नियमित है या नहीं। दूसरा प्रश्न यह है कि श्री गोयनका का संशोधन उसके वर्तमान रूप में स्वीकार किया जाना चाहिये या किसी अन्य रूप में।

***श्री अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर** (मद्रास : जनरल): पहले प्रश्न के सम्बन्ध में मैं कुछ शब्द कहना चाहता हूं।

***अध्यक्षः** मैं अभी यह कह रहा था कि यदि इस प्रश्न के सम्बन्ध में इसके गुण दोषों के आधार पर निर्णय किया जा सकता है तो औचित्य प्रश्न को अलग रखा जा सकता है और मुझे उसका निर्णय नहीं करना पड़ेगा। किन्तु यदि मुझे उसका निर्णय करना है तो मैं अभी न कर सकूंगा और उसके लिये मुझे कुछ समय की आवश्यकता होगी। इसीलिये मैं यह पूछता हूं कि क्या इसे स्थगित नहीं किया जा सकता ताकि मसौदा-समिति इस पर विचार कर सके और हमें सूचित कर सके कि स्थिति क्या है? किन्तु यदि उसका यह विचार हो कि उसे रखना ही चाहिये तो उस दशा में मुझे अपना निर्णय सुनाना होगा।

***श्री टी.टी. कृष्णमाचारी** (मद्रास : जनरल): श्रीमान्, इस सम्बन्ध में आपको ही निर्णय करना है। यदि आप मसौदा-समिति के सामने कोई बात रखेंगे तो उसे उस पर विचार करना होगा। यदि यही आपका निर्णय है तो मसौदा-समिति उस पर केवल पुनर्विचार करेगी और अपना प्रतिवेदन आपके समक्ष रखेगी।

***अध्यक्षः** यदि यह बात है तो मेरा यह सुझाव है कि समय की बचत के लिये मसौदा-समिति इस पर पुनर्विचार करे और यदि उसका यह विचार हो कि....

***श्री अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यरः** कम से कम मसौदा-समिति के कुछ सदस्यों की दृष्टि में इस औचित्य प्रश्न में कुछ सार नहीं है। उन्हें इस सम्बन्ध में कुछ भी संदेह नहीं है कि वे आपको इसका विश्वास दिला सकते हैं। यदि इसके पश्चात् भी आपको कोई सन्देह हो तो आप उसे मसौदा-समिति के सामने रख सकते हैं। हम सारी स्थिति पर फिर से विचार करेंगे। मेरे विचार से विभिन्न दृष्टिकोणों को सभा के समक्ष तथा श्रीमान्, आपके समक्ष व्यक्त करना चाहिये क्योंकि अन्त में इसका निर्णय आपको ही करना है कि इस औचित्य प्रश्न में कुछ सार है या नहीं। मसौदा-समिति तथा विभिन्न सदस्य औचित्य प्रश्न के सम्बन्ध में निर्णय करने में आपको केवल सहायता ही कर सकते हैं। इस प्रश्न पर मतदान नहीं हो सकता। इसलिये हम इसका निर्णय करने में केवल आपकी सहायता ही कर सकते हैं कि इस प्रश्न में कुछ सार है या नहीं। मैं स्वयं किसी भी सुसंगत तर्क को मानने के लिये तैयार हूं और वास्तव में यदि आपका यह विचार हो कि इस मामले के सम्बन्ध में कुछ सन्देह रह जाता है तो इसे मसौदा-समिति के सामने रखा जा सकता है और वह इस पर विचार करेगी किन्तु इस औचित्य प्रश्न के सम्बन्ध में मेरी निश्चित तथा स्पष्ट धारणा है। यदि आप किसी अवसर पर इस औचित्य प्रश्न पर मुझे कुछ शब्द कहने की आज्ञा देंगे तो मैं उसके सम्बन्ध में आपको विश्वास दिला दूंगा। किसी औचित्य प्रश्न को मसौदा-समिति के सामने केवल इस कारण तुरंत ही नहीं रखा जा सकता कि उसे किसी माननीय सदस्य ने उठाया हैं यह आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक औचित्य प्रश्न सारपूर्ण ही हो। यह एक आधारभूत तथा महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसलिये मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि इस प्रश्न पर आप विचार करें और इस सम्बन्ध में अपना निर्णय सुनायें कि यह प्रश्न विचार करने योग्य है या नहीं।

***श्री जगत नारायण लाल** (बिहार : जनरल): श्रीमान्, पूरा समय इस औचित्य प्रश्न पर विचार करने में ही लगाया जा रहा है। यदि मैं आपके आशय को ठीक समझ पाया हूं तो वह इस प्रकार है कि यदि यह मामला मसौदा-समिति के विचार करने के योग्य समझा जाये तो औचित्य प्रश्न उठता ही नहीं और उस पर विचार-विमर्श करने की आवश्यकता नहीं है। किन्तु मैं यह देखता हूं कि इस पर इस दृष्टि से विचार नहीं किया गया है। मेरा यह सुझाव है कि इस औचित्य प्रश्न को स्थगित किया जाये। और यदि आवश्यक समझा जाये तो इस मामले पर सदस्यों के विचार सुने जायें।

***अध्यक्षः** कठिनाई यही है। यदि वह अनियमित नहीं है तो इस सम्बन्ध में सभा का मत लेना आवश्यक होगा किन्तु यदि वह अनियमित है तो....

***श्री अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यरः** मसौदा-समिति ने इस प्रश्न पर विचार किया था कि इस विषय को केन्द्रीय सूची में रखा जा सकता है या नहीं। उसके सभापति मेरे मित्र माननीय डॉ. अम्बेडकर यह बतायेंगे कि हमने यह निर्णय किया कि हम इस प्रविष्टि को केन्द्रीय सूची में रखने के प्रस्ताव का समर्थन करेंगे। हमने इस प्रश्न पर बड़ी सावधानी से विचार किया और यह निर्णय किया कि

[श्री अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर]

समाचार-पत्रों का विस्तृत वितरण देखते हुये और यह भी देखते हुए कि वे अन्तर्प्रान्तीय हैं, इस मामले को केन्द्रीय सूची में रखा जाय। इस प्रश्न के सम्बन्ध में हमने निर्णय किया है और स्पष्ट शब्दों में निर्णय किया है।

***अध्यक्ष:** आप इस प्रश्न पर भी विचार करें कि इससे अनुच्छेद 13 का खण्डन होता है या नहीं।

***माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर:** इस सम्बन्ध में हमारे कुछ विचार हैं। यदि आप उन्हें सुनने के लिये तैयार हैं तो मैं उन्हें निवेदन करूंगा।

***श्री जगत नारायण लाल:** डॉ. अम्बेडकर से अपने विचार प्रस्तुत करने के लिये कहने के पूर्व हमें श्री देशबन्धु गुप्त के औचित्य प्रश्न का समर्थन करने की आज्ञा दी जानी चाहिये।

***श्री आर.के. सिधवा:** केवल उसके समर्थन में ही लोगों के विचार सुनने की आवश्यकता नहीं है। उसके विरोध में भी लोग बोल सकते हैं।

***अध्यक्ष:** प्रश्न वास्तव में यही है अर्थात् क्या इस प्रश्न पर पूरी तौर से बहस होनी चाहिये अथवा केवल एक दो भाषणों के लिये आज्ञा दी जानी चाहिये। श्री देशबन्धु गुप्त तथा श्री भार्गव हमारे सामने अपना दृष्टिकोण रख चुके हैं। मैं अन्य लोगों का दृष्टिकोण भी जानना चाहता हूं।

***श्री आर.के. सिधवा:** श्री देशबन्धु गुप्त तथा श्री भार्गव ने यह औचित्य प्रश्न उठाया है। कि चूंकि इस संशोधन से अनुच्छेद 13 का यह खण्डन होता है इसलिये यह अनियमित है। उन्होंने वाक्-स्वातंत्र्य तथा अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य के सम्बन्ध में अनुच्छेद 13 के खण्ड (क) को उद्धृत किया है। संशोधन में "समाचार-पत्रों पर कर" शब्द प्रयुक्त हैं। समाचार-पत्र आयकर तो देते ही हैं। "वाक्-स्वातंत्र्य तथा अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य" शब्द प्रयुक्त होने का यह अर्थ नहीं है कि उन्हें इस प्रकार का कोई कर नहीं देना पड़ेगा। अपने मित्रों के मत का यथोचित आदर करते हुये मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि समाचार-पत्रों पर कर लगते ही हैं। उन्हें जो कुछ लाभ होता है उस पर उन्हें आय-कर देना ही होता है। यदि उन पर कोई और कर भी लगाने होंगे तो उनसे अनुच्छेद 13 का खण्डन नहीं होगा। यदि आप वाक्-स्वातंत्र्य तथा अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य का इस सीमा तक निर्वचन करेंगे तो बहुत गड़बड़ होगी। इसका अर्थ यह नहीं है कि हम किसी समाचार-पत्र में निकलने वाले लेखों तथा अग्रलेखों पर कर लगाने जा रहे हैं। यह उसका बहुत ही संकुचित अर्थ है। मैं कह नहीं सकता कि इससे क्या स्थिति हो जायेगी। यदि समाचार-पत्रों के स्वामियों पर इस समय कोई कर नहीं लगाया जाता तो यह मेरी समझ में आता है किन्तु क्या मैं यह जान सकता हूं कि समाचार-पत्रों के स्वामी इस समय कर देते हैं या नहीं? वे कर देते हैं। इसलिये मेरा यह कहना है कि यह आपत्ति एक क्षण के लिये भी नहीं टिकती।

***श्री जगत नारायण लाल:** चूंकि हममें से कुछ लोग समाचार-पत्रों के प्रतिनिधि हैं इसलिये सभा को हममें से कुछ लोगों के विचार सुनने चाहियें। श्रीमान्, "वाक्-स्वातंत्र्य और अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य" शब्द इंग्लिस्तान और अमरीका के

संविधानों से लिये गये हैं। किन्तु इस समय हम एक ऐसा संविधान बनाने जा रहे हैं जो इन संविधानों की अपेक्षा प्रगतिशील होगा। यदि यह संविधान उनसे अधिक प्रगतिशील न होकर उलटे प्रतिक्रियावादी हुआ तो हम इस पर किसी प्रकार भी गर्व नहीं कर सकेंगे। मैं श्री सिधवा के विचारों को सुन चुका हूं। उन्होंने इसका बहुत ही संकुचित निर्वचन किया है। डॉ. अम्बेडकर उच्चतम न्यायालय के निर्णय को सुनाये जाने की सम्भावना से ही कांप उठे। मैं पूरे निर्णय को पढ़ कर नहीं सुनाना चाहता। मैं कुछ अंशों को ही उद्धृत करूंगा। चूंकि वे प्रख्यात न्यायवेत्ता हैं इसलिये मैं यह चाहता हूं कि वे उन्हें पढ़ें। वह कोई ऐसा निर्णय नहीं है जिसे मामूली तौर पर पढ़ा जाय। उसमें इंग्लिस्तान तथा अमरीका के संविधानों के सम्बन्ध में लोक मत सन्निहित है। मैं यह कहूंगा कि इस शताब्दी में तथा वर्तमान स्थिति में हमारे लिये एक प्रगतिशील देश के निवासी होने के नाते उचित यही है कि हम वाक्-स्वातंत्र्य की तथा अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य की प्रत्याभूति दें। मैं कुछ ही अंशों को पढ़ कर सुनाता हूं।

> "1712 ई. में साम्राज्ञी ऐन के संदेश के अधीन (हैंसार्ड लिखित इंग्लिस्तान की संसद का इतिहास अंक 6, पृष्ठ 1063) संसद ने सभी समाचार-पत्रों तथा विज्ञापनों पर कर लगाया। संगृहीत अंक-1, पृष्ठ 8 से 10 तक। इस विषय के सम्बन्ध में कोई सन्देह नहीं है कि इन करों का उद्देश्य उन आलोचनाओं के प्रकाशन का दमन करना था जो सम्राट के लिये आपत्तिजनक थीं। देखिये स्टिवार्ट, लेनाक्स और 'टैक्सेस आन नौलेज' 15 स्काटिश हिस्तरिकल रिव्यू, पृष्ठ 322 से 327 तक। इसके पश्चात् एक शताब्दी तक इन करों का विरोध किया जाता रहा, इनको देने में टालमटोल की गई और इनको समाप्त करने के लिए आन्दोलन किया गया। अन्त में जिस लेख की चर्चा की गई है (पृष्ठ 326) जो 1918 में लिखा गया था, उसमें यह बताया गया था कि इन करों के कारण भी अमरीका के उपनिवेश वादियों ने अपने यहां इस प्रकार के करों का विरोध किया और वास्तव में क्रांति 1765 में उस समय आरम्भ हुई जब उस सरकार ने अमरीकी उपनिवेश वादियों के पास समाचार-पत्रों पर कर लगाने के लिये मुद्रांक भेजे।" अब मैं शेष अंश को पढ़ कर सुनाता हूं। उसमें कहा गया है:
>
> यह नहीं माना जा सकता कि इंग्लिस्तान के बहुत बड़े-बड़े लोग एक शताब्दी तक केवल करों का ही विरोध करने के लिये अपने पूरे जोर से और एक प्रकार से एक विचित्र संघर्ष करते रहे।"

इस संघर्ष का उद्देश्य समाचार-पत्रों को केवल करों से मुक्त करना नहीं था किन्तु सरकार के कृत्यों तथा कुकृत्यों के सम्बन्ध में पूर्ण सूचना प्राप्त करने के अंग्रजों के अधिकार की रक्षा करना था। यदि इन सुस्पष्ट शब्दों का यह निर्वचन किया गया कि कर देने में टालमटोल की गई थी तो यह एक दुर्भाग्य की बात होगी।

मैं इसके अन्य अंशों को नहीं पढ़ना चाहता। मैं केवल यह कहना चाहता हूं कि यह बहुत ही अनुचित होगा कि इस देश में बिना किसी आवश्यकता के एक आन्दोलन का सूत्रपात किया जाये। इसलिये श्रीमान्, मेरे विचार से श्री देशबन्धु गुप्त ने जो औचित्य प्रश्न उठाया है वह सुसामयिक है।

***श्री नज़ीरुद्दीन अहमद:** अध्यक्ष महोदय, मेरा यह निवेदन है कि इस औचित्य प्रश्न से एक महत्वपूर्ण संविधानिक प्रश्न उठ खड़ा होता है। यह कहा गया है कि अनुच्छेद 13 के अधीन हमने सभी लोगों को तथा समाचार-पत्रों को भी मत-स्वातंत्र्य तथा अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य की प्रत्याभूति दी है। अनुच्छेद 13 के खण्ड (2) के अधीन इस अधिकार को सीमित करने के लिए कुछ शक्तियां प्रदान की गई हैं।

वास्तव में यह प्रश्न उठता है कि समाचार-पत्रों पर कर लगाने से किसी समाचार-पत्र के मत-स्वातंत्र्य अथवा अभिव्यक्ति-स्वातंत्र्य पर कोई प्रभाव पड़ता है या नहीं। यह तर्क उपस्थित किया जा सकता है कि करों से मत-स्वातंत्र्य तथा अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता और केवल समाचार-पत्रों से कुछ कर ही वसूल किये जायेंगे। मैं यह देखता हूं कि अमरीका के न्यायालय के सामने यही तर्क उपस्थित किया गया और इस सम्बन्ध में उस न्यायालय ने केवल दो तीन वाक्य ही कहे थे। तर्क यह उपस्थित किया गया था कि प्रश्न केवल कर का ही है और उसका मत प्रकाशन पर प्रत्यक्षत: कोई प्रभाव नहीं पड़ता और इस कारण उससे संविधान द्वारा प्रदत्त प्रत्याभूति का खण्डन नहीं होता। किन्तु इस पर अमरीका के उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि इससे मत-स्वातंत्र्य तथा अभिव्यक्ति-स्वातंत्र्य का अधिकार अवश्य ही सीमित होगा। मैं इस निर्णय से केवल दो तीन वाक्य पढ़ कर सुनाऊंगा:

> "इस कर के रूप में सूचना के वितरण को सीमित करने का जानबूझ कर तथा छिपा कर प्रयास किया गया है यद्यपि संविधान की प्रत्याभूति के अधीन लोगों को सूचना प्राप्त करने का अधिकार है।"

***अध्यक्ष:** क्या आप इसे इसका समर्थन करने के लिए पढ़ रहे हैं कि यह संशोधन अनियमित है?

***श्री नज़ीरुद्दीन अहमद:** मेरा यह निवेदन है कि इस निर्णय में कर को अवैध घोषित किया गया है।

***अध्यक्ष:** यदि उद्देश्य वितरण को सीमित करना हो तब?

***श्री नज़ीरुद्दीन अहमद:** उच्चतम न्यायालय का निर्णय यह था कि कर के रूप में मत प्रकाशन को तथा वितरण को रोकने तथा उस पर नियंत्रण रखने का प्रयास किया गया है।

***अध्यक्ष:** किन्तु यदि मत प्रकाशन को सीमित करने तथा उस पर नियंत्रण रखने का उद्देश्य न हो तो क्या होगा? तब वह अनियमित नहीं होगा।

***श्री नज़ीरुद्दीन अहमद:** इस प्रश्न का हल वास्तव में उद्देश्य पर निर्भर नहीं है क्योंकि विधि की शब्दावली के अतिरिक्त अन्य प्रकार न वह समझा जा सकता है और न नापा जा सकता है। विधि की शब्दावली के अधीन तथा उसके प्रभाव के अनुसार ही वह परखा जा सकता है। अमरीका के न्यायालय का मुख्य तर्क यह था कि यद्यपि यह केवल एक कर ही है और इससे मत-स्वातंत्र्य तथा

अभिव्यक्ति-स्वातंत्र्य का खण्डन नहीं होता किन्तु इसका प्रभाव यह होगा कि कई समाचार-पत्रों की ग्राहक संख्या कम हो जायगी। इसलिये हम इस पर विचार नहीं कर सकते कि उद्देश्य अच्छा है या बुरा क्योंकि इसका निर्णय उसकी शब्दावली से ही किया जा सकता है। हम किसी कर के सम्बन्ध में मुख्यत: उसके प्रभाव के आधार पर ही विचार कर सकते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि कर से कई समाचार-पत्रों का दमन हो जायेगा। यदि कर से ग्राहक-संख्या में थोड़ी भी कमी हुई तो मत-स्वातंत्र्य और अभिव्यक्ति-स्वातंत्र्य सीमित हो जायेगा। श्रीमान्, यह सब ही को विदित है कि स्वतंत्र समाचार-पत्र सरकार के दृष्टिकोण को लोगों के सामने रखते हैं और लोगों के दृष्टिकोण को सरकार के सामने रखते हैं। यदि हम उन्हें जंजीरों से बांधेंगे तो वास्तव में हम अपने को ही जंजीरों से बांधेंगे।

इसके अतिरिक्त नि:सन्देह गुण दोषों का प्रश्न भी है किन्तु यह एक भिन्न विषय है। चूंकि हम अनुच्छेद 13 के खण्ड (1) द्वारा मत-स्वातंत्र्य तथा अभिव्यक्ति-स्वातंत्र्य की प्रत्याभूति दे चुके हैं और खण्ड (2) में स्पष्ट आदेशों के रूप में इस अधिकार को सीमित करने की शक्ति भी निर्धारित कर चुके हैं। इसलिये अब इसे और अधिक सीमित करने के लिए कोई प्रयास नहीं किया जाना चाहिये। मेरा निवेदन है कि इस विषय पर सावधानी से विचार करने की आवश्यकता है।

मैं इसे स्वीकार करता हूं कि इसमें उद्देश्य का प्रश्न अन्तर्ग्रस्त नहीं है। हम यह नहीं कह सकते हैं कि विधान-मंडल का उद्देश्य बुरा है। किन्तु कर के फलस्वरूप जानबूझ कर अथवा अनजाने मत-स्वातंत्र्य अवश्य ही सीमित हो जायेगा।

श्रीमान्, लोकतंत्रात्मक देशों में स्वतंत्रता को बनाये रखने में समाचार-पत्र भी योग देते हैं। वह राज्य की चौथी संपदा कही जाती है। अन्य तीन सम्पदाएं— विधान-मंडल, न्यायपालिका तथा कार्यपालिका हैं। इसलिये यदि समाचार-पत्रों का स्वातंत्र्य किसी प्रकार भी सीमित हो रहा हो तो हमें उस पर बहुत सावधानी से विचार करना चाहिये।

***अध्यक्ष:** मैं इस औचित्य प्रश्न पर डॉ. अम्बेडकर तथा श्री अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर के विचार सुनना चाहता हूं। मेरे विचार से इस औचित्य प्रश्न के पक्ष में अधिक भाषणों की सुनने की आवश्यकता नहीं है।

***माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर:** श्रीमान्, मैं आरम्भ में ही यह बताना चाहता हूं कि औचित्य प्रश्न क्या है अथवा मैं उसका क्या आशय समझ पाया हूं ताकि यदि मैं गलती में हूं तो मुझे आरम्भ में ही बताया जा सकता है। मेरे विचार से औचित्य प्रश्न का आशय यह है कि चूंकि सभा मूल अधिकारों के सम्बन्ध में अनुच्छेद 13 को पारित कर चुकी है और चूंकि उसमें यह कहा गया है कि सभी नागरिकों को वाक्-स्वातंत्र्य तथा अभिव्यक्ति-स्वातंत्र्य का अधिकार होगा इसलिये क्या यह सभा कोई ऐसा अनुच्छेद पारित कर सकती है जिससे अनुच्छेद 13 द्वारा प्रदत्त मूलाधिकार सीमित होता हो? मेरे विचार से हमें इसी प्रश्न पर विचार करना है।

इस मत का समर्थन करने के लिए कि यह सभा किसी ऐसे प्रस्ताव पर विचार नहीं कर सकती जिससे वाक्-स्वातंत्र्य सीमित होता हो, अमरीका के उच्चतम

[माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर]

न्यायालय का एक निर्णय उद्धृत किया गया है जिसमें यह कहा गया है कि—यद्यपि मैंने उसे पूरा नहीं पढ़ा है और उसके कुछ अंश ही पढ़े हैं समाचार-पत्रों पर लगाया जाने वाला कोई भी कर अनियमित है क्योंकि—मैं अमरीका के न्यायालय के निर्णय की भाषा का प्रयोग कर रहा हूं—उससे समाचार-पत्रों का स्वातंत्र्य सीमित होता है।

***श्री देशबन्धु गुप्तः** आय-कर को छोड़कर। यह निर्णय में ही कहा गया है।

***माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकरः** श्रीमान्, उस मामले के तथ्यों के विवरण से यह स्पष्ट नहीं होता कि जिस कर पर आपत्ति की गई थी वह किस प्रकार का था और न उससे यही स्पष्ट है कि उससे क्या कठोरता होती थी। मेरी समझ से इसका निर्णय करने के लिये कि वह कर नियमित था या नहीं, कर लगाने के प्रश्न के अतिरिक्त कर की कठोरता पर भी विचार करना होगा। जैसाकि मैं कह चुका हूं, इस निर्णय में इस महत्वपूर्ण तथ्य की कोई चर्चा नहीं की गई है। इसलिये इस निर्णय से मेरा पथप्रदर्शन नहीं होता।

मैं कुछ अन्य तर्कों को उपस्थित करने जा रहा हूं, जो मेरे विचार से सारपूर्ण हैं और उनकी आलोचना नहीं की जा सकती। पहली बात यह है कि अमरीका के संविधान में वर्णित संविधानिक प्रत्याभूतियों के होते हुए भी अमरीका के उच्चतम न्यायालय ने स्वयं यह कहा है कि संविधान द्वारा प्रत्याभूत ये मूलाधिकार परम अधिकार नहीं हैं और संविधान में चाहे जिस प्रकार की भाषा हो किन्तु अमरीका की कांग्रेस को उन मूलाधिकारों को युक्ति युक्त ढंग से निर्बन्धित करने का अधिकार है। मैं सभा को स्मरण कराता हूं कि आरम्भ में इस प्रस्ताव के समर्थन में कि यह सभा संविधान के मसौदे पर विचार करे, मैंने अपने भाषण में इस प्रश्न पर बहुत कुछ कहा है। मैंने यह इस कारण कहा कि मैंने समाचार-पत्रों की तथा कुछ ऐसे अन्य लोगों की जिनका मैं आदर करता हूं, यह आलोचना पढ़ी कि, हमारे मूलाधिकारों का इस कारण कोई मूल्य नहीं रह गया है कि अनुच्छेद 13 के पश्चात् कई खण्डों में, अर्थात् खण्ड (2), (3), (4) और (5) में, उनको परिसीमित कर दिया गया है।

उन आलोचनाओं का उत्तर देने के लिये मैंने कुछ कष्ट उठा कर इस विषय पर उच्चतम न्यायालय के निर्णयों की परीक्षा की थी। मैंने यह इसलिये किया था कि एक समय मेरी यह धारणा थी कि चूंकि अमरीका के संविधान में संविधानिक प्रत्याभूतियों को, अर्थात् मूलाधिकारों को बिना किसी प्रकार के निर्बन्धनों के रखा गया है इसलिये वहां के उच्चतम न्यायालय को उन उपबन्धों को किसी प्रकार परिसीमित करने की स्वतन्त्रता न होगी। किन्तु मुझे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि अमरीका के उच्चतम न्यायालय ने वही रुख अपनाया था जो अपने संविधान को बनाने में हम अपना रहे हैं अर्थात् उसने यह निर्णय किया है कि मूलाधिकार, चाहे वे कितने ही, मूलभूत क्यों न हों, परमाधिकार नहीं हो सकते। उनमें कुछ परिसीमाएं रखनी ही होंगी।

सभा की अनुमति से मैं केवल एक उद्धरण दूंगा। मैंने यह कहा थाः

"गिटलो बनाम न्यूयार्क" मामले में, जिसमें 'अपराधपूर्ण अराजकता' सम्बन्धी न्यूयार्क की एक विधि की वैधानिकता का प्रश्न उठाया गया था। जिसका उद्देश्य

यह था कि ऐसी वक्तृताओं के लिये दंड दिया जाय जिनका लक्ष्य हिंसापूर्ण उपायों से परिवर्तन करना हो, वहां के उच्चतम न्यायालय ने यह कहा था:

> "बहुत काल से यह आधारभूत सिद्धान्त स्थिर हो चुका है कि संविधान द्वारा प्रदत्त वाक्-स्वातंत्र्य और समाचार-पत्रों के स्वातंत्र्य से किसी व्यक्ति को मनमाने ढंग से और बिना किसी उत्तरदायित्व के बोलने तथा अपना मत प्रकाशित करने का पूर्ण अधिकार नहीं मिल जाता और भाषा को स्वतन्त्र तथा उन्मुक्त ढंग से प्रयोग करने की स्वतन्त्रता भी नहीं मिल जाती और न इससे इस स्वातंत्र्य का दुरुपयोग करने वालों को दंडित करने के लिए कोई रुकावट होती है।"

मैंने कई अन्य उदाहरण भी दिये थे। मैं यह कहना चाहता हूं कि अमरीका में भी इसे स्वीकार किया गया है कि मूलाधिकारों का किसी न किसी प्रकार परिसीमन होना चाहिये। मेरे विचार से इस सम्बन्ध में कुछ भी विवाद नहीं है। मैं इस समय संशोधनों के सम्बन्ध में नहीं बोलूंगा किन्तु जहां तक विज्ञापनों पर करों के बारे में इस प्रविष्टि का सम्बन्ध है उसके बारे में मेरा यह निवेदन है कि इस प्रविष्टि पर इस कारण यह आपत्ति नही की जा सकती कि यह इस सभा के निर्णयों के विरुद्ध है कि प्रान्तीय सरकारों के कार्यवाही करने पर इससे समाचार-पत्रों के स्वातंत्र्य का कुछ अंश में परिसीमन होगा। मैं इस निर्वचन को कदापि स्वीकार नहीं कर सकता कि "विज्ञापन" शीर्षक के अधीन लगाये जाने वाले कर इस कारण अनियमित होंगे कि उनसे अनुच्छेद 13 का खण्डन होगा।

मेरा यह निवेदन है कि जिस तर्कयुक्त सिद्धान्त को स्वीकार किया जा सकता है वह यह है कि यदि किसी समाचार-पत्र पर ऐसा कर लगाया गया जिससे उसका अस्तित्व ही मिट जाये तो वह कर अनियमित होगा क्योंकि उससे अनुच्छेद 13 द्वारा प्रदत्त वाक्-स्वातंत्र्य बिल्कुल ही समाप्त हो जायेगा। यदि विज्ञापनों पर कोई ऐसा कर लगाया गया हो जो तर्कयुक्त न हो और जिससे विभेद होता हो, अर्थात् वह केवल समाचार-पत्रों के विज्ञापनों पर ही लगाया गया हो और अन्य विज्ञापनों पर न लगाया गया हो, तो यह मेरी समझ में आता है कि उससे अनुच्छेद 15 का खण्डन होगा, जिसके अधीन हम सभी को समान रूप से रक्षण प्रदान कर रहे हैं? इसलिये मेरा यह निवेदन है कि मैं किसी ऐसे तर्क को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हूं जिसमें यह कहा गया हो कि जिस किसी कार्यवाही से समाचार-पत्रों अथवा वाक्-स्वातंत्र्य अथवा समाचार-पत्रों के लेखों पर प्रभाव पड़ता हो वह अनियमित कार्यवाही है और मुझे आशा है कि सभा भी उसे स्वीकार नहीं करेगी।

अब मैं एक दूसरे प्रश्न को उठाता हूं। यह सच है कि कुछ प्रान्तों की कुछ विशेष परिस्थितियों को देखते हुए समाचार-पत्रों के सम्बन्ध में इस प्रविष्टि को सूची 1 से निकाल कर सूची 2 अथवा सूची 3 में रखने की आवश्यकता पड़े। यह प्रश्न संविधानिक विधि का प्रश्न नहीं है। यह नीति और विश्वास का प्रश्न है। इस सम्बन्ध में विवाद हो सकता है कि केन्द्र का अधिक विश्वास किया जाये अथवा प्रान्तों का, अथवा इस सम्बन्ध में प्रान्तों की गलतियों को दूर करने के लिये केन्द्र को कुछ स्वतन्त्रता तथा शक्ति दी जाये या न दी जाये। हम इसी विषय पर विचार-विमर्श कर रहे हैं, अर्थात् हम इस पर विचार कर रहे हैं कि

[माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर]

कोई प्रविष्टि सूची 1 में रहे या उसका कुछ अंश सूची 1 में और शेष अंश सूची 2 अथवा सूची 3 में रहे।

सभा को इसकी पूरी स्वतन्त्रता है कि वह इस सम्बन्ध में निर्णय करे और कोई यह नहीं कह सकता कि अनुच्छेद 13 के कारण उसके हाथ बंधे हुये हैं और वह समाचार-पत्रों के सम्बन्ध में किसी परिसीमा को नहीं रख सकती। मैं इस तर्क का अपनी पूरी शक्ति से विरोध करता हूं।

अब मैं श्रीमान्, विभिन्न संशोधनों को उठाता हूं। मैं उनके सम्बन्ध में इस कारण अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूं कि जो लोग उनको समझ पायें वे उनकी आलोचना भी कर सकते हैं। मुझे यह दिखाई देता है कि मेरे जिन मित्रों की समाचार-पत्रों में दिलचस्पी है वे यह चाहते हैं कि प्रान्त जो भी कर लगायें उनसे समाचार-पत्र पूर्णतया उन्मुक्त रहें। मेरे मित्र श्री गोयनका तथा कई अन्य लोगों ने जिस संशोधन को प्रस्तावित किया है—वह पचास या साठ लोगों के नाम से है—उसका उद्देश्य यह है कि यह विषय संघ-सूची अर्थात् सूची 1, में रख दिया जाय। इस प्रकार उन्होंने वह कदम उठाया है जो हमने स्वयं नहीं उठाया था। समाचार-पत्रों के सम्बन्ध में हमने जो प्रविष्टि रखी है उसका करों से कोई सम्बन्ध नहीं है। जिन सदस्यों ने सूची 1 तथा सूची 2 की व्यवस्था को सावधानी से देखा है वे यह अनुभव करेंगे कि हमने उनकी प्रविष्टियों को दो भागों में विभाजित किया है। एक भाग में हमने विधान-सम्बन्धी प्रविष्टियों को रखा है और दूसरे भाग में कर-सम्बन्धी प्रविष्टियों को। आपको स्मरण होगा कि यद्यपि समाचार-पत्रों का सूची 3 में उल्लेख है किन्तु तद्विषयक प्रविष्टि विधान-सम्बन्धी प्रविष्टियों के साथ रखी गई है। मेरे मित्र भी गोयनका ने जो संशोधन उपस्थित किया है उससे उनके मतानुसार भी बहुत हानि होती है और वह इसलिये कि उन्होंने सम्बन्धित प्रविष्टि को सूची 1 के उस भाग में रखने का प्रस्ताव रखा है जो करों के सम्बन्ध में है। उसका अर्थ यह है कि केन्द्र को समाचार-पत्रों पर कर लगाने की स्वतन्त्रता होगी (वाह, वाह), मुझे समाचार-पत्रों से कोई दिलचस्पी नहीं है और इस कारण मैं न उन्हें हानि पहुंचाना चाहता हूं और न रक्षण ही प्रदान करना चाहता हूं। मैं सारे मामले को सभा के सामने रखने के लिये तैयार हूं। वह जैसा निर्णय चाहे करे।

मेरे मित्र श्री झुनझुनवाला के नाम से जो संशोधन है उसका क्या प्रभाव होता है? उनका यह विचार है कि भले ही समाचार-पत्रों का उल्लेख सूची 1 में किया जाये किन्तु विक्रय होने वाली वस्तुओं के रूप में सूची 2 में उनका उल्लेख रहेगा ही, क्योंकि इस सम्बन्ध में उस सूची की प्रविष्टि बहुत व्यापक है और वस्तुओं के आधीन समाचार-पत्र भी आ जायेंगे। इस कारण उनकी यह धारणा है कि केवल श्री गोयनका के संशोधन को स्वीकार करने से कोई लाभ नहीं होगा क्योंकि विक्रय होने वाली वस्तुओं से संबंधित प्रविष्टि के अधीन उन पर कर लगाया ही जा सकेगा। इस प्रकार समाचार-पत्रों को विक्रय कर अधिनियम के उपबन्धों से मुक्त करने के लिए ही उन्होंने अपना संशोधन उपस्थित किया है।

अब विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या प्राप्त इसके लिये सहमत हो जायेंगे कि करों से प्राप्त होने वाले उनके धन का एक मुख्य भाग उनके हाथ से ले

लिया जाये। इस प्रश्न पर विचार करने की आवश्यकता हैं। श्रीमान्, चूंकि यह वित्तीय विषय है इसलिये बिना वित्त मंत्रणालय से अथवा प्रान्तों के वित्त-मंत्रियों से इस सम्बन्ध में परामर्श किये हुए, मेरे विचार से, मसौदा-समिति इसका निर्णय करने का उत्तरदायित्व स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होगी। विधान-सम्बन्धी प्रविष्टियों के सम्बन्ध में उसने बहुत बड़े उत्तरदायित्व को स्वीकार किया है। वित्तीय विषयों के सम्बन्ध में यह एक स्थायी प्रथा है कि वित्त मंत्रालय तथा विभिन्न प्रान्तों के वित्त-मंत्रियों से परामर्श किया जाये।

इन संशोधनों के कारण यह कठिनाइयां उत्पन्न होती हैं। यदि आप इस प्रविष्टि को संघ सूची में रखते हैं तो मैं कह नहीं सकता कि केन्द्र समाचार-पत्रों पर उत्पादित पदार्थों के रूप में कर लगा सकेगा या नहीं क्योंकि केन्द्र को भारत के किसी भाग में उत्पादित होने वाली वस्तुओं पर उत्पादन कर लगाने का अधिकार है। इसलिये मुझे तो यह दिखाई देता है कि समाचार-पत्र करों से नहीं बच सकेंगे। इस सभी बातों पर विचार करने की आवश्यकता है। इस समय मैंने केवल मोटी-मोटी बातों को बताया है—क्योंकि मैंने यह विचार किया कि इस बहस में जो भी सदस्य भाग लेना चाहेगा उसे यह जानना चाहिये कि क्या कठिनाइयां पैदा होंगी। इस समय मैं केवल यह बताना चाहता था कि अनुच्छेद 13 के होते हुये भी यह सभा जिस प्रकार की परिसीमाओं को चाहे अबाध रूप से रख सकती है। सभा से जिस प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिये कहा जा रहा है वह मेरे विचार से एक बहुत ही खतरनाक प्रस्ताव है। उसके फलस्वरूप कोई भी कर नहीं लगाया जा सकेगा। अनुच्छेद 24 का भी निराकरण हो जायेगा। कई अन्य पेचीदगियां भी पैदा हो जायेंगी। यदि आप यह कहते हैं कि चूंकि मूलाधिकारों की प्रत्याभूति दी गई है इसलिये कर लगाने की शक्ति को प्रयोग न करना चाहिये क्योंकि उससे मूलाधिकारों का परिसीमन अथवा निराकरण हो जायेगा तो यह एक बहुत बड़ा प्रस्ताव है और मेरे विचार से इसे कोई व्यक्ति कभी भी स्वीकार नहीं करेगा।

***श्री अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर:** अध्यक्ष महोदय, मैं उन तर्कों को नहीं दुहराना चाहता जिन्हें मेरे माननीय मित्र डॉ. अम्बेडकर ने बड़ी योग्यता के साथ उपस्थित किया है। उन्होंने जिन बातों की चर्चा नहीं की उन्हीं के सम्बन्ध में मैं कुछ शब्द कहना चाहता हूं। अनुच्छेद 13 के आधार पर ही बहुत कुछ कहा गया है। यदि अनुच्छेद 13 का यह निर्वचन किया गया कि उसमें वर्णित किसी भी विषय के सम्बन्ध में कर नहीं लगाया जा सकता तो सभा यह समझ सकती है कि हम किस ओर बढ़ेंगे। यह कहा जा सकता है कि वाक्-स्वातंत्र्य और अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य में समाचार-पत्रों का स्वातंत्र्य भी सम्मिलित है यद्यपि अन्य संविधानों के समान हमारे संविधान में भी समाचार-पत्रों के स्वातंत्र्य के सम्बन्ध में कोई खण्ड नहीं है। अनुच्छेद 13 के खण्ड (च) के अधीन (जिसमें 'सम्पत्ति के अर्जन, धारण व्ययन का अधिकार' शब्द प्रयुक्त हैं) प्रत्येक व्यक्ति को सम्पत्ति को धारण करने का अधिकार है। यदि यह तर्क सारपूर्ण होता तो उत्तराधिकार पर किसी प्रकार का कर न लगाया जा सकता, क्योंकि उत्तराधिकारी को सम्पत्ति को धारण करने का अधिकार है और उससे किसी प्रकार का सम्पदा कर नहीं वसूल किया जा सकता। उस सम्पत्ति पर किसी प्रकार का कर नहीं लगाया जा सकता और उसके मूल धन पर भी कोई कर नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि संविधान में सम्मत्ति के अर्जन, धारण और व्ययन के अधिकार की प्रत्याभूति दी गई

[श्री अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर]

है। यदि इस सिद्धांत को निर्धारित किया गया तो यह बहुत खतरनाक सिद्ध होगा और मेरे विचार से कोई न्यायालय "सम्पत्ति के अर्जन, धारण और व्ययन" का यह निर्वचन नहीं करेगा, यदि वह करेगा तो यह उसकी मूर्खता ही होगी। इस समय जमींदारी का उन्मूलन करने के लिए प्रस्ताव रखे गये हैं और उन पर विचार हो रहा है। जमींदारों को भी सम्पत्ति के अर्जन, धारण और व्ययन का अधिकार है। इस प्रकार जमींदारी का उन्मूलन करने के लिए भी कोई विधि नहीं बनाई जा सकती। इसके अतिरिक्त किसी वृत्ति को, जैसे वकील की वृत्ति को करने के अधिकार को लीजिये। विपक्षियों के मतानुसार चूंकि यह अधिकार प्रदान किया गया है इसलिये कोई वृत्ति-कर नहीं लगाया जा सकता। हम इस आशय का एक अनुच्छेद पारित कर चुके हैं कि वृत्ति-कर लगाये जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त "उपजीविका, व्यापार या कारबार करने का अधिकार" शब्दों को लीजिये। यह अधिकार प्रदान किया गया है इसलिये किसी व्यापार पर किसी आजीविका पर अथवा कारबार पर कर नहीं लगाया जा सकता। इस सिद्धान्त का अर्थात् कर-विषयक उपबन्धों का सम्बन्ध अनुच्छेद 13 के मूलाधिकार सम्बन्धी उपबन्धों से जोड़ने से राज्य के हाथ बंध जायेंगे और कुछ भी उन्नति नहीं हो सकेगी। इस आधार पर कोई भी राज्य नहीं चल सकता। इस प्रकार के प्रस्ताव को स्वीकार करना असम्भव है। इसकी आवश्यकता नहीं है कि मैं मूलाधिकार विषयक अध्याय के अन्य खण्डों को भी उद्धृत करूं क्योंकि मैं किसी न्यायालय के सम्मुख इस बात की पुष्टि के लिये तर्क उपस्थित नहीं कर रहा हूं।

इसके अतिरिक्त अमरीका के उच्चतम न्यायालय की भी चर्चा की गई है कि मुझे आशा है कि मेरे यह कहने से मुझ पर आत्मप्रशंसा का दोष न लगाया जायेगा कि जो सज्जन इस देश के समाचार-पत्रों की ओर से बोल रहे थे उन्हें इस मामले की सूचना मैंने ही दी और मैं समझता हूं कि मेरे माननीय मित्र भी गोयनका इसे स्वीकार करेंगे.....

***श्री देशबन्धु गुप्तः** हम उसके लिये आपके आभारी हैं।

***श्री अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यरः** इस देश में समाचार-पत्रों के उद्योग की शैशवावस्था कहिये, या जो कुछ भी कहिये, उसे देखते हुये तथा इस ओर भी ध्यान देते हुये कि अन्तर्प्रान्तीय वितरण की आवश्यकता है और इसकी भी सम्भावना है कि विभिन्न प्रान्त विभिन्न करों को लगायेंगे और उनके लगाने में विभेद भी करेंगे, मैंने यह अनुभव किया कि यह दावा न्यायपूर्ण है अर्थात् अन्त में चाहे यह कर जो भी रूप धारण करे किन्तु इसे लगाने की शक्ति केन्द्र को प्राप्त होनी चाहिये। मेरी यह धारणा थी और मेरी अब भी यह ही धारणा है और मैं इसके विरुद्ध कुछ कहने नहीं जा रहा हूं। किन्तु यह धारणा रखने का अर्थ यह नहीं है कि समाचार-पत्रों को पूरी छूट दे दी जाये और यह कहा जाये कि भारत में प्रत्येक उद्योग पर, प्रत्येक कारोबार पर और प्रत्येक आय पर तो कर लगाया जाये किन्तु समाचार-पत्रों और समाचार-पत्रों में प्रकाशित होने वाले विज्ञापनों पर कर नहीं लगाया जायेगा। हमें एक सीमा तक संसद की बुद्धिमत्ता पर भी निर्भर होना चाहिये। हो सकता है कि किसी स्थिति में कोई भी कर न लगाया जाये और किसी स्थिति में बहुत कम कर लगाया जाये।

मैं विज्ञापनों के सम्बन्ध में कुछ शब्द कहना चाहता हूं। किसी समाचार में किसी सिनेमा की अभिनेत्री का विज्ञापन निकलता है और वह उससे बहुत धन कमाता है। किसी समाचार-पत्र में दो पक्षों के बीच विवाह-सम्बन्ध के बारे में विज्ञापन निकलता है अथवा उसमें उसका उल्लेख किया जाता है। आप जो कदम उठाना चाहते हैं उसकी गम्भीरता को समझिये। इस स्थिति में मेरा यह निवेदन है कि इस प्रस्ताव को किसी भी समाचार-पत्र पर कर न लगना चाहिये न यह सभा संविधानिक दृष्टि से स्वीकार कर सकती है और न सार्वजनिक दृष्टि से। इस समय मैं केवल संविधानिक दृष्टि से विचार कर रहा हूं। अमरीका के संविधान की भी चर्चा की गई है। यह एक दुर्भाग्य की बात है कि सभी उपबन्धों पर विचार न करके किसी निर्णय विशेष का आश्रय लिया जाये, इधर-उधर से उद्धरण दिये जायें और किसी पाठ्य-पुस्तक के नियमों की चर्चा की जाये और इस प्रकार सभा को, और कभी जनता को भी, गलत रास्ता दिखाया जाये।

***एक माननीय सदस्य:** वकील हमेशा यही किया करते हैं।

***श्री अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर:** अमरीका के संविधान में यथोचित विधि-प्रणाली के सम्बन्ध में दो अनुच्छेद अर्थात् अनुच्छेद 5 और 14 हैं। सभा को स्मरण होगा कि इस सभा में एक अवसर पर मैंने हमारे संविधान में "यथोचित विधि प्रणाली" शब्दों को प्रविष्टि करने के विरुद्ध आपत्ति की थी। कल एक अन्य सभा में भी किसी व्यक्ति ने यह कहा था कि मैं सभी लोगों को बन्दी बनाने के पक्ष में हूं। मैं इस प्रकार के अनर्गल प्रस्ताव के पक्ष में नहीं हो सकता। मैं कारावास को सहन नहीं कर सकता और जिन लोगों को यह दंड दिया जाता है उनके साथ मेरी सहानुभूति रहती है। प्रश्न केवल यह है कि देश के बड़े हितों को ध्यान में रखते हुये संविधान में प्रत्याभूत अधिकारों पर, जिनमें सम्पत्ति-सम्बन्धी अधिकार भी है कौन सी परिसीमाएं रखी जायें।

मैं आपके सामने एक उदाहरण रखता हूं। अमरीका के संविधान में इस आशय का एक उपबन्ध है कि न्यायाधीशों को एक निश्चित वेतन मिलेगा और उनका वेतन उनके कार्यकाल में कम नहीं किया जायेगा। अमरीका के उच्चतम न्यायालय के आरम्भ-काल में वहां के न्यायाधीशों ने यह निर्णय किया था कि उनके वेतनों पर कर नहीं लगाया जायेगा। सौभाग्य से बाद को अमरीका के उच्चतम न्यायालय ने ही इस निर्णय को उलट दिया और यह कहा कि निश्चित वेतन का अर्थ यह नहीं है कि न्यायाधीश नागरिकता के सम्बन्ध में साधारण दायित्व से भी मुक्त हैं। इसलिये आपको इन सब मामलों पर विचार करना होगा। यदि थोड़ी देर के लिये यह माना जाये कि कुछ सभाओं के सम्बन्ध में आप अनुज्ञप्ति कर निश्चित करेंगे तो उसका अर्थ यह होगा कि आप वाक्-स्वातंत्र्य के अधिकार में हस्तक्षेप करेंगे। यदि उस कर से अत्यधिक उत्पीड़न हुआ और इस अधिकार के आधार पर ही आघात हुआ तो न्यायालय यह कह सकते हैं कि तत्सम्बन्धी विधि अवैध है। माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर इसी की ओर संकेत कर रहे थे। किसी भी लिखित संविधान के सम्बन्ध में जब यह प्रश्न उठता है कि विधान-मंडल किसी उपबन्ध द्वारा प्रदत्त शक्ति के अनुरूप कार्य कर रहा है या नहीं तो न्यायालयों से ही इसका निर्णय करने के लिये कहा जाता है। यदि किसी उपबन्ध के अधीन कार्य करते हुये विधान-मंडल उसमें वर्णित शक्ति का दुरुपयोग करता है अथवा

[श्री अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर]

अतिक्रमण करता है और किसी दूसरे विधान-मंडल के क्षेत्राधिकार में हस्तक्षेप करता है तो न्यायालय यह निर्णय कर सकते हैं कि वह उपबन्ध अवैध है। उदाहरणार्थ यदि हम मुख्य न्यायाधिपति मार्शल के इस कथन को स्वीकार करें कि कर लगाने की शक्ति का अर्थ है विनष्ट करने की शक्ति, और समाचार-पत्रों पर ऐसे कर लगायें कि उनके स्वातंत्र्य का ही अपहरण हो जाये तो मुझे आशा है कि ऐसी स्थिति आने पर न्यायालय उनकी रक्षा कर सकेंगे।

इस स्थिति में यदि सभा यह निर्णय करे कि एक विशेष वर्ग के लोगों को करों से मुक्ति दी जाती है तो वह एक बहुत खतरनाक कदम उठायेगी और उससे देश का बहुत अपकार होगा। यह एक दूसरा प्रश्न है कि वह शक्ति संविधान के शब्दों तथा उसकी भावना के अनुरूप है या नहीं। अन्य प्रश्नों के सम्बन्ध में डॉ. अम्बेडकर जो कुछ कह चुके हैं उससे अधिक मुझे कुछ नहीं कहना है। किन्तु श्रीमान्, मैं नम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि जो विधि प्रश्न उठाये गये हैं उनमें कुछ भी सार नहीं है भले ही उनसे सम्बंधित संशोधनों का उद्देश्य यह हो कि समाचार-पत्रों को हानि न हो अथवा स्वतन्त्र रूप से वितरण हो अथवा कर लगाने की शक्ति को इस प्रकार न प्रयोग किया जाये कि वाक्-स्वातंत्र्य का लोप हो जाये और अभिव्यंजना का अवसर ही न मिले।

***पं. ठाकुरदास भार्गवः** यदि इस अधिकार का पूर्ण अतिक्रमण नहीं हुआ किन्तु इसके कुछ अंश का ही अतिक्रमण हुआ हो तो क्या इसकी इस व्यवस्था से रक्षा न हो सकेगी?

***माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकरः** जो कुछ भी तर्क संगत होगा उसका निर्णय न्यायालय करेंगे।

***श्री अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यरः** मैं जो कुछ कह चुका हूं उससे अधिक मुझे और कुछ नहीं कहना है।

*(इस अवसर पर श्री देशबन्धु गुप्त बोलने के लिये उठे।)*

***अध्यक्षः** मेरे विचार से इस प्रकार के प्रश्न के सम्बन्ध में उत्तर देने का अधिकार नहीं होता।

***श्री देशबन्धु गुप्तः** मुझे एक औचित्य प्रश्न करना है। मैं एक दो बातों को स्पष्ट करना चाहता हूं क्योंकि उनके कारण कुछ भ्रम हो गया है।

***अध्यक्षः** जी नहीं। प्रश्न यह है कि आपको उत्तर देने का अधिकार है या नहीं।

***एक माननीय सदस्यः** अध्यक्ष महोदय कह चुके हैं कि माननीय सदस्य को उत्तर देने का अधिकार नहीं है।

***श्री देशबन्धु गुप्तः** श्रीमान्, चूंकि कुछ प्रश्न उठाये गये हैं, इसलिये मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि उनका उत्तर देने का अवसर दिया जाये। विशेषतया इसलिये कि श्री अल्लादी कृष्णस्वामी के इन प्रश्नों को उठाने के पश्चात् इस ओर से कोई वक्ता नहीं बोला है।

***अध्यक्ष:** मेरे विचार से आपकी ओर से और आपके दृष्टिकोण के कई लोग बोल चुके हैं।

जो औचित्य प्रश्न उठाया गया है उसे मैं समझ गया हूं। मुझे उस पर विचार करना होगा और मैं अपना निर्णय बाद को सुनाऊंगा। किन्तु मैं चाहता हूं कि इस बीच डॉ. अम्बेडकर उस अन्य प्रश्न पर भी विचार करें जो उन्होंने स्वयं उठाया है। यदि मैंने यह निर्णय किया कि संशोधन नियमित है तो उस स्थिति में, मुझे आशा है, कि वे गुण दोषों का विचार करके इस सम्बन्ध में उत्तर देने के लिये तैयार रहेंगे कि हम उसे उस रूप में स्वीकार करें जिस रूप में श्री गोयनका उसे उपस्थित करना चाहते हैं अथवा उस रूप में स्वीकार करें जिस रूप में श्री झुनझुनवाला उसे संशोधित करके उसे उपस्थित करना चाहते हैं।

***माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर:** इस दशा में उन्हें अपना संशोधन वापस ले लेना चाहिये।

***श्री देशबन्धु गुप्त:** संशोधन उपस्थित नहीं किया गया है। मैंने संशोधन के उपस्थित किये जाने पर आपत्ति की थी।

***अध्यक्ष:** मैं अपना निर्णय बाद को सुनाऊंगा। अब हम अन्य विषयों को उठायेंगे। कुछ नये विषयों का प्रस्ताव भी रखा गया है। कुछ विषय छपी हुई सूची में भी दिये हुये। उन्हें उठाने के पूर्व हम अन्य प्रविष्टियों पर विचार करेंगे।

---

## प्रविष्टि 89

***अध्यक्ष:** मैं देखता हूं कि प्रविष्टि 89 के सम्बन्ध में कोई संशोधन नहीं है।

*प्रविष्टि 89 संघ-सूची का अंग बना ली गई।*

---

## प्रविष्टि 90

*(प्रविष्टि 90 संघ-सूची का अंग बना ली गई।)*

---

## प्रविष्टि 91

***श्री नज़ीरुद्दीन अहमद:** मैं संशोधन को उपस्थित नहीं करूंगा किन्तु प्रविष्टि पर बोलूंगा।

***माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर:** गीत के साथ बच्चे को भी क्यों नहीं उपस्थित करते? केवल गीत ही को क्यों उपस्थित कर रहे हैं? आप संशोधन को उपस्थित कर सकते हैं और उस पर भाषण भी दे सकते हैं।

***सरदार हुकम सिंह** (पूर्वी पंजाब : सिख): अध्यक्ष महोदय, मैं यह प्रस्ताव उपस्थित करता हूं कि:

"सूची 1 की प्रविष्टि 91 से 'other (अन्य)' शब्द निकाल दिया जाये।"

मेरे नाम से एक अन्य संशोधन भी है और उसे मैं इसके साथ ही उपस्थित करना चाहता था, किन्तु उसे 171वीं संख्या दी गई है। उसका आशय यह था कि "सूची 1 से प्रविष्टि 1 से 90 तक निकाल दी जायें।" उस संशोधन को अन्यत्र रखा गया है। मैं इन्हें एक साथ उपस्थित करना चाहता था। मुझे इसका अवसर नहीं दिया गया। श्रीमान्, मेरा यह विचार है कि ....

***अध्यक्ष:** आप संशोधन संख्या 234 उपस्थित कर रहे हैं?

***सरदार हुकम सिंह:** जी हां, श्रीमान्। मेरा केवल यह निवेदन है कि मैं इन दो संशोधनों को अर्थात् संशोधन संख्या 234 और 171 को एक श्रेणी में रखता हूं। किन्तु इन दोनों को पृथक् कर दिया गया है और इन्हें अलग-अलग स्थानों में रखा गया है। संशोधन संख्या 131 नहीं घोषित किया गया। सम्भवत: उस पर बहुत देर में विचार किया जायगा। अथवा उसे अन्त में उपस्थित करने के लिये कहा जायेगा। मैं कह नहीं सकता कि क्या स्थिति है। उनको एक साथ पढ़ने से उनका आशय पूरा होता है और यदि मुझे आज्ञा है तो मैं उन पर एक साथ विचार करना चाहता हूं।

***अध्यक्ष:** हम इन सब प्रविष्टियों को पारित कर चुके हैं।

***श्री टी.टी. कृष्णमाचारी:** जिन प्रविष्टियों को हम पारित कर चुके हैं वे निकाली कैसे जा सकती थीं?

***सरदार हुकम सिंह:** मैं यही निवेदन कर रहा हूं। मुझे उस समय इस संशोधन को उपस्थित करने की आज्ञा नहीं दी गई। उसे पृथक् करके रखा गया है। अब मैं संशोधन संख्या 234 को उठाता हूं।

श्रीमान्, मुझे यह कठिनाई दिखाई देती है कि 1 से 90 तक सब प्रविष्टियों पर विचार करने और उनके पूरे विवरण पर बहस करने के पश्चात् तथा एक गृह से दूसरे गृह तक की ओर एक उप गृह से दूसरे उप गृह तक की यात्राओं पर और भूलोक से चन्द्र लोक और चन्द्र लोक से भूलोक तक की यात्राओं पर भी विचार करने के पश्चात् हमने अन्त में यह निर्णय लिया है कि इन प्रविष्टियों में सब बातें नहीं आतीं और इस सूची में अन्य प्रविष्टियों को रखने की आवश्यकता होगी। इस प्रविष्टि 91 का उद्देश्य यह है कि सूची 2 तथा सूची 3 में जो कुछ सम्मिलित नहीं किया गया है उसके बारे में यह समझा जाय कि वह इस सूची में सम्मिलित है। मेरे विचार से यदि 'अन्य' शब्द निकाल दिया जाये तो यह आशय बहुत सरल शब्दों में व्यक्त किया जा सकता है। तब इस सूची की कोई आवश्यकता नहीं रह जायेगी। आशय यह है कि सूची 2 और सूची 3 में जो कुछ सम्मिलित नहीं है वह संघ-सूची में सम्मिलित समझा जायेगा। यह बहुत सरल शब्दों में कहा जा सकता है और वास्तव में हमने जो कष्ट उठाया है उसे उठाने की आवश्यकता नहीं थी।

***श्री महावीर त्यागी:** श्रीमान्, मुझे एक औचित्य प्रश्न करना है। मेरा यह निवेदन है कि मेरे माननीय मित्र सरदार हुक्म सिंह ने जो संशोधन उपस्थित किया है, उसका दूसरा भाग अनियमित है। इससे प्रविष्टि 91 का संशोधन नहीं होता। इससे 1 से 90 तक की प्रविष्टियों का संशोधन होता है, जिन्हें हम पारित कर चुके हैं। यदि इस संशोधन को उपस्थित करना ही था तो इसे उस समय उपस्थित करना था जब प्रविष्टि 1 अथवा प्रविष्टि 2 पर विचार हो रहा था।

***अध्यक्ष:** वे उसे नहीं उपस्थित कर रहे हैं। वे संशोधन संख्या 234 को उपस्थित कर रहे है–वह इस प्रकार है कि सूची 1 की प्रविष्टि 91 से 'अन्य' शब्द निकाल दिया जाये।

***श्री महावीर त्यागी:** क्या वे दूसरे संशोधन को नहीं उपस्थित कर रहे हैं?

***अध्यक्ष:** वे केवल उसी संशोधन को उपस्थित कर रहे हैं।

***श्री महावीर त्यागी:** श्रीमान्, मैं आप से क्षमा चाहता हूं।

***सरदार हुकम सिंह:** मैं यह निवेदन कर रहा था कि इस प्रविष्टि से 'अन्य' शब्द के निकालने से एक सूची का उद्देश्य पूरा हो जाता। मुझे भय है कि इस प्रसंग में कहीं दासत्व की मनोवृत्ति का परिचय न दिया जाय। 1935 के अधिनियम में लगभग 320 अनुच्छेद और दस अनुसूचियां थीं और सातवीं अनुसूची में तीन सूचियां थीं। इस मसौदे में भी उसी का अनुसरण किया गया है। हमें वास्तव में इतना अधिक विवरण देने की आवश्यकता न थी। मुझे इस अवसर पर एक कहानी स्मरण हो आई है। एक सज्जन ने अपने एक विशेषज्ञ मित्र से पूछा कि सारस को पकड़ने का सबसे अच्छा उपाय क्या है। विशेषज्ञ मित्र ने उत्तर दिया, "अंधेरा होने पर आप सारस पकड़ने निकलिये और उसके पास जाकर उसके सर पर कुछ मोम रख दीजिये। सूर्य उदय होने पर मोम गलेगा और अवश्य ही उसकी आंखों में गिरेगा। सारस अंधा हो जायेगा और फिर आप उसे पकड़ सकते हैं।" उस सज्जन ने अपने मित्र से पूछा, "उसे मैं उसी समय क्यों नहीं पकड़ लूं जब मैं उसके सर पर मोम रखूं?" उसने उत्तर दिया कि यदि उसे इतनी आसानी से पकड़ लिया जायेगा तो "उस्ताद की उस्तादी" का क्या होगा? श्रीमान्, मेरी समझ में नहीं आता कि इस प्रक्रिया का अनुसरण क्यों किया गया। जब हम प्रविष्टि 91 को उठाते हैं तो हमें उसमें यह अवशिष्ट शक्ति रखनी पड़ती है। यदि सूची 2 और सूची 3 की ओर कुछ अधिक ध्यान दिया जाता तो यह बहुत आसानी से किया जा सकता था। क्योंकि हम सीधे-सीधे यह कह सकते थे कि सूची 2 और सूची 3 में जिन विषयों तथा जिन करों का उल्लेख नहीं किया गया है वे सब इसी सूची में सम्मिलित हैं। इससे हमारा उद्देश्य पूरा हो जाता है और हमें इतने अधिक विवरण की चिंता नहीं करनी पड़ती। इन शब्दों के साथ मैं अपना संशोधन उपस्थित करता हूं।

***श्री नज़ीरुद्दीन अहमद:** अध्यक्ष महोदय, मैं प्रविष्टि 91 का विरोध नहीं करना चाहता। अब उसके लिये समय नहीं रह गया है किन्तु मेरा यह निवेदन है कि प्रविष्टि 91 को स्वीकार करते ही हमें कई अनुच्छेदों तथा प्रविष्टियों के मसौदे में गम्भीर परिवर्तन करने होंगे। अनुच्छेद 217 का सार यह है कि सूची 1 की प्रविष्टियां संघ के क्षेत्राधिकार के अधीन होंगी, सूची 2 की प्रविष्टियां राज्यों

[श्री नज़ीरुद्दीन अहमद]

के क्षेत्राधिकार के अधीन होंगी और सूची 3 की प्रविष्टियां दोनों के क्षेत्राधिकार के अधीन होंगी। आरंभ में हमने यही व्यवस्था की थी। हमने इस योजना को भारत शासन अधिनियम से लिया था। प्रविष्टि 91 को स्वीकार करने पर अनुच्छेद 217 और कुछ अन्य अनुच्छेदों के मसौदों को दुहराने की आवश्यकता होगी और 1 से 90 तक की प्रविष्टियां निरर्थक हो जायेंगी। यदि सूची 2 और सूची 3 में अनुल्लिखित प्रत्येक विषय को केन्द्र के क्षेत्राधिकार में रखना है तो सूची 1 में 1 से 90 तक की प्रविष्टियों को रखने का क्या अर्थ है? उनको रखने से हम ऐसे विस्तृत विवरण को स्थान देंगे जिसकी आवश्यकता नहीं है। यदि अनुच्छेद 217 का मसौदा फिर से तैयार किया जाये और उसमें यह कहा जाये कि सूची 2 में उल्लिखित सभी विषय राज्यों के क्षेत्राधिकार में हैं और सूची 3 में उल्लिखित सभी विषय केन्द्र तथा राज्यों के समवर्ती क्षेत्राधिकार में हैं और अन्य सभी विषय केन्द्र के क्षेत्राधिकार में हैं तो सभी पेचीदगियां दूर हो जायेंगी और सब कुछ स्पष्ट हो जायेगा। इससे अधिक सरल तथा तर्कयुक्त और कुछ नहीं हो सकता। किन्तु यह न करके एक लम्बी विवरणपूर्ण सूची को बेकार रखा गया है। यह इस कारण हुआ कि सूची 1 को पहले तैयार कर लिया गया था और बाद में कुछ सोच कर प्रविष्टि 91 को भी रख दिया गया। प्रविष्टि 91 को स्वीकार करने पर मसौदे को भी तदनुसार संशोधित कर लेना चाहिये था। यदि अनुच्छेद 217 को उपरोक्त रूप में रखा जाता तो सब कुछ सरल हो जाता। क्या मैं अब भी यह सुझाव रख सकता हूं कि इन अनावश्यक प्रविष्टियों को निकाल दिया जाये और अनुच्छेद 217 का मसौदा फिर से तैयार करके सब कुछ सरल कर दिया जाये? मेरे नाम से इस आशय का एक संशोधन था किन्तु मैंने उसे उपस्थित नहीं किया क्योंकि मैं जानता हूं कि इस संशोधन पर विचार करने के लिए चाहे मैं जो भी कारण बताता किन्तु सभा उन्हें उपयुक्त नहीं समझती।

***प्रो. शिब्बन लाल सक्सेना:** श्रीमान्, आज एक महान् दिवस है क्योंकि हम बिना अधिक बहस किये हुये ही इस प्रविष्टि को पारित कर रहे हैं। इस विषय पर इस देश में दो शताब्दियों तक बहस होती रही है। आज यह बिना किसी बहस के पारित किया जा रहा है। मि. नज़ीरुद्दीन अहमद का दृष्टिकोण ठीक दृष्टिकोण नहीं है। वास्तव में डॉ. अम्बेडकर ने यह कहा है कि यदि कोई बात रह जायेगी तो, वह विषय 91 में सम्मिलित कर ली जायेगी। इसलिये मेरे विचार से यह एक महत्वपूर्ण प्रविष्टि है। 1 से 90 तक की प्रविष्टियों को निकालने की आवश्यकता नहीं है। मैं यह जानता हूं कि पहले की 90 प्रविष्टियों में जो कोई विषय उल्लिखित हैं वे सब इस प्रविष्टि में सम्मिलित रहेंगे और जो विषय छूट भी जायेंगे वे भी सम्मिलित रहेंगे। इससे केन्द्र सशक्त हो सकेगा और सारे राष्ट्र को एक सूत्र में बांधने में समर्थ हो सकेगा। पिछली शताब्दी में इस प्रश्न को लेकर संघर्ष होता रहा कि प्रान्तों को पूर्ण स्वायत्तता प्राप्त होनी चाहिये और केन्द्र को उनके मामलों में हस्तक्षेप करने की शक्ति नहीं होनी चाहिये। किन्तु अब जमाना बदल गया है। अब हम सभी शक्तिशाली केन्द्र के पक्ष में हैं। वास्तव में कुछ मित्र चाहते हैं कि प्रान्तीय स्वायत्तता का अन्त ही कर दिया जाये और एक सत्तात्मक शासन स्थापित कर दिया जाये। इस प्रविष्टि के अधीन केन्द्र किसी ऐसे विषय के सम्बन्ध में विधि बना सकता है जो सभा के ध्यान में न आया हो। मैं इस प्रविष्टि का समर्थन करता हूं।

***माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर:** अध्यक्ष महोदय, मेरे मित्र सरदार हुक्म सिंह ने जो आपत्ति की है उसके सम्बन्ध में मैं अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूं। मेरे विचार से वे यह नहीं समझे हैं कि प्रविष्टि 91 का उद्देश्य क्या है। इसलिये मैं स्पष्ट शब्दों में यह बताना चाहता हूं कि सूची 1 की प्रविष्टि 91 का उद्देश्य क्या है। उसमें सूची 1 की सीमा तथा उसका विस्तार बताया गया है। वास्तव में हम इस विषय को अर्थात् सूची 2 और सूची 3 की सीमा तथा उसके विस्तार को प्रविष्टि 67 के समान एक प्रविष्टि रख कर स्पष्ट कर सकते थे। उसमें ये शब्द रखे जा सकते थे:

"जो विषय सूची 2 और सूची 3 में सम्मिलित न हो वह सूची 1 में सम्मिलित समझा जायेगा।"

उसका उद्देश्य यही है। इस उद्देश्य की पूर्ति दो प्रकार हो सकी थी। अर्थात् सूची 1 को प्रविष्टि 91 के समान किसी प्रविष्टि को रख कर अथवा किसी ऐसी प्रविष्टि को रख कर जिसका सुझाव मैंने रखा है और जिसका आशय यह है कि "जो कुछ सूची 2 अथवा सूची 3 में सम्मिलित नहीं है वह सूची 1 में सम्मिलित होगा।" इसका उद्देश्य यही है। यह अविवाद है कि इस प्रकार की प्रविष्टि की आवश्यकता है। अब मैं दूसरी आपत्ति को उठाता हूं, जिसे यदि खुले तौर पर नहीं तो कम से कम कानाफूसी करके बार बार दुहराया गया है, और वह यह है कि अब हमने एक अवशिष्ट अनुच्छेद, अर्थात् अनुच्छेद 223 को रखा है जिसका आशय यह है कि "संसद को, ऐसे किसी विषय में जो 'समवर्ती सूची' अथवा 'राज्य सूची' में अंकित नहीं है, विधि बनाने की अनन्य शक्ति नहीं है" तो हम सूची 1 में 1 से 91 तक की प्रविष्टियों को क्यों रख रहे हैं? सिद्धान्तत: मैं इसे स्वीकार करता हूं कि जब हमने इस सम्बन्ध में संविधान में, एक स्पष्ट अनुच्छेद रख दिया है कि जो कुछ सूची 2 अथवा सूची 3 में सम्मिलित नहीं है वह केन्द्र के क्षेत्राधिकार में आ जायेगा। तो इन विषयों की सूची 1 में गणना करने की आवश्यकता नहीं है। इनकी गणना करने का कारण यह है। संविधान-सभा के कार्यारम्भ के समय कई राज्यों के लोग, यह जानने के लिये बहुत इच्छुक थे कि केन्द्र की विधायिनी शक्तियां क्या हैं। वे यह निश्चित रूप से जानना चाहते थे। उन्हें इस कथन से संतोष नहीं होता था कि केन्द्र को अवशिष्ट शक्तियां प्राप्त होंगी। प्रान्तों तथा भारतीय रियासतों के संदेहों को दूर करने के लिये हमें निश्चित रूप से ये कहना पड़ा कि "अवशिष्ट शक्तियों" पदावली में कौन से विषय सम्मिलित हैं। इसी कारण अनुच्छेद 223 के होते हुये भी हमें यह श्रम करना पड़ा।

मैं यह भी कहना चाहता हूं, कि जहां तक हमारे संविधान का सम्बन्ध है, यह व्यवस्था आपत्तिजनक नहीं और वह इस कारण कि सभी संघीय संविधानों में केन्द्र की शक्तियों की गणना की जाती है। यह उन संघों के संविधानों में भी देखा जा सकता है जहां केन्द्र को अवशिष्ट शक्तियां प्रदान की गई हैं। कनाडा के संविधान को ही लीजिये। भारतीय संविधान के समान कनाडा के संविधान में भी कनाडा की संसद को अवशिष्ट शक्तियां दी गई हैं। प्रान्तों को कुछ निश्चित शक्तियां दी गई हैं और उनकी गणना की गई है। इस पर भी मेरे विचार से कनाडा के संविधान के अनुच्छेद 99 में कुछ ऐसे विषयों की गणना की गई है जिनके सम्बन्ध में कनाडा की संसद विधि बना सकती है। यह उन फ्रांसीसी प्रान्तों के सन्देहों को दूर करने के लिये किया गया जो कनाडा के संघ के अंग

[माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर]

बनने जा रहे थे। भारत शासन अधिनियम में भी यही योजना निर्धारित की गई है और उसकी 104वीं धारा अनुच्छेद 223 के समान ही है। उसमें यह भी उपबंधित किया गया है कि केन्द्रीय सरकार को अवशिष्ट प्राप्त होंगी। यह उपबन्ध सूची 1 के होते हुये भी रखा गया। इसलिये इसकी अधिक आलोचना नहीं की जा सकती। जैसाकि मैं कह चुका हूं यह इस कारण किया गया कि विभिन्न प्रान्त यह स्पष्ट रूप से जानना चाहते थे कि अवशिष्ट शक्तियां क्या हैं, और इस कारण भी कि कई अन्य संघीय संविधानों में भी इसी सर्वविदित प्रथा का अनुसरण किया गया है। मुझे आशा है कि सभा न तो मेरे मित्र सरदार हुक्म सिंह के संशोधन को स्वीकार करेगी और न मेरे मित्र मि. नज़ीरुद्दीन अहमद के कथनों की ओर ही अधिक ध्यान देगी।

***श्री नज़ीरुद्दीन अहमदः** कभी नहीं।

***अध्यक्षः** अब मैं सरदार हुक्म सिंह द्वारा उपस्थित किये गये संशोधन पर मत लूंगा।

प्रस्ताव यह है किः

"सूची 1 की प्रविष्टि 91 से 'other (अन्य)' शब्द निकाल दिया जाये।"

*संशोधन गिर गया।*

***अध्यक्षः** अब मैं प्रविष्टि 91 पर मत लेता हूं।

प्रस्ताव यह है किः

"प्रविष्टि 91 सूची 1 का अंग बना ली जाये।"

*प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया।*

*प्रविष्टि 91 संघ-सूची का अंग बना ली गई।*

***प्रो. शिब्बन लाल सक्सेनाः** श्रीमान्, मेरे नाम से तीन संशोधन हैं जिनके सम्बन्ध में आपने कहा था कि उन्हें अन्त में उठाया जा सकता है।

***अध्यक्षः** जी हां, मुझे स्मरण है।

कुछ नये संशोधन भी प्रस्तावित किये गये हैं और अब मैं उन्हें उठाता हूं। मैं छपी हुई सूची का पहला संशोधन उठाता हूं। तीन नई प्रविष्टियों का सुझाव रखा गया है। एक प्रविष्टि संशोधन संख्या 3586 में प्रस्तावित है जो पंडित लक्ष्मीकांत मैत्र, श्री सुरेश चन्द्र मजूमदार और श्री मिहिर लाल चट्टोपाध्याय के नाम से है। दूसरी प्रविष्टि संशोधन संख्या 3587 में प्रस्तावित है जो अरुण चन्द्र गुहा के नाम से है। मैं यह माने लेता हूं कि ये उपस्थित नहीं किये गये हैं। इसके अतिरिक्त संशोधन संख्या 3588 है, जो श्री एम. अनन्तशयनम् आयंगर, श्रीमती जी. दुर्गाबाई और श्री सुरेश चन्द्र मजूमदार के नाम से है। वह भी नहीं उपस्थित किया जा रहा है।

अब हम सूची 1 (छठा सप्ताह) के संशोधन संख्या 58 को उठाते हैं। यह श्री ब्रजेश्वर प्रसाद का संशोधन है। क्या आप उसे उपस्थित करना चाहते हैं?

***श्री ब्रजेश्वर प्रसाद:** जी हां, श्रीमान्, मैं यह प्रस्ताव उपस्थित करता हूं कि:

"संशोधनों की सूची के संशोधन संख्या 3588 के सम्बन्ध में, सूची 1 में निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जायें:–

1. 'Scheduled Areas' and 'Tribal Areas',

1. 'अनुसूचित क्षेत्र' और 'आदिमजाति क्षेत्र')

2. सूची 2 की 1 से 66 तक की सब प्रविष्टियां।"

श्रीमान्, क्या मैं अन्य संशोधनों को भी उपस्थित कर सकता हूं।

***अध्यक्ष:** जी नहीं, अच्छा यह होगा कि हम उन्हें एक-एक करके उठायें।

***श्री ब्रजेश्वर प्रसाद:** श्रीमान्, मेरी यह धारणा है कि यदि हमें आदिम-जातियों के लोगों के हितों की चिंता है और यदि हम उन लोगों के प्रति न्याय करना चाहते हैं तो यह आवश्यक है कि आदिम-जाति क्षेत्र और अनुसूचित-क्षेत्र केन्द्र के क्षेत्राधिकार में रखे जायें। श्रीमान्, इन क्षेत्रों में जंगल तथा खनिज पदार्थ हैं और मेरे विचार से इनका बहुत महत्व है। यदि इन दो विषयों को केन्द्र अपने हाथ में ले ले तो मेरे विचार से आदिम-जाति क्षेत्रों को भी भारत सरकार को अपने क्षेत्राधिकार में ले लेना चाहिये; एक अन्य अनुच्छेद के प्रसंग में मैंने कहा था कि यदि आदिम-जाति क्षेत्र केन्द्र प्रशासित क्षेत्र हो जायेंगे तो आदिम-जातियों के लोगों में एकता का भाव जागृत हो जायेगा। मेरे विचार से प्रान्तीय सरकारें, आर्थिक साधनों के अभाव के कारण उनकी समस्याओं की ओर अभी तक अधिक ध्यान नहीं दे सकी हैं। अपने सीमित आर्थिक साधनों के कारण वे उनकी गरीबी तथा निरक्षरता की समस्या को हल करने में असमर्थ हैं। इसलिये यदि हम आदिम-जातियों के लोगों को भारत के अन्य निवासियों के स्तर पर लाना चाहते हैं तो हमें आदिम-जातियों के क्षेत्रों को केन्द्रीय सरकार के अधिकार में रख देना चाहिये।

पहले एक दिन यह कहा गया था कि यदि यह कदम उठाया गया तो आदिम-जातियों के लोग देश के जनसाधारण के साथ घुल-मिल न सकेंगे। श्रीमान्, मेरे विचार से घुल-मिल जाने का लक्ष्य एक दूर का लक्ष्य है। इस समय हमारे सामने यह प्रश्न नहीं है। आदिम-जातियों के लोगों को अपने साथ मिलाने के पूर्व हमें स्वयं ही घुलने मिलने की आवश्यकता है। बिहारी और बंगाली शताब्दियों से साथ-साथ रह रहे हैं किन्तु वे अभी भी घुल-मिल नहीं सके हैं। तेलगू और तमिल शताब्दियों से साथ-साथ रह रहे हैं किन्तु वे अभी भी घुल-मिल नहीं सके हैं। केन्द्र में एक ही सरकार होते हुये भी उत्तर और दक्षिण के लोगों का विभेद बना हुआ हैं पहले हम इस समस्या को हल करें। यदि हम इन लक्ष्यों को प्राप्त न करके आदिम-जातियों के लोगों को मिलाने की बात कहते हैं तो हममें सम्यक ज्ञान की कमी है।

मेरा यह भी विचार है कि घुलने मिलने के प्रश्न को आदिम-जातियों के नेता तथा उनके प्रतिनिधि स्वयं हल करें। वे उस प्रश्न को स्वयं हल करें। हमारा कर्तव्य तो केवल यह है कि हम उन्हें उन्नति करने के साधन प्रदान करें तथा शैक्षिक,

[श्री ब्रजेश्वर प्रसाद]

सांस्कृतिक और आर्थिक विकास के अवसर उपलब्ध करायें। यदि हम आदिम-जातियों के लिये इस प्रकार की व्यवस्था कर देंगे तो मैं तो यह समझूंगा कि हमने अपना कर्तव्य पूरा कर दिया है। इसके पश्चात् उनके नेता स्वयं यह निर्णय करें कि उन्हें अन्य लोगों के साथ मिल जाना चाहिये अथवा उनसे अलग रहना चाहिये। मेरी अपनी यह धारणा है कि घुलने मिलने का प्रश्न दूर का प्रश्न है और उसका उन प्रश्नों से कोई सम्बन्ध नहीं है जिन्हें हमें आज हल करना है।

दूसरे प्रश्न के सम्बन्ध में मुझे यह कहना है कि चाहे हमने संविधान के कोई भी अनुच्छेद क्यों न पारित किये हों किन्तु उनके कारण मेरे लिये इसे उपस्थित करने में कोई रुकावट नहीं होती है। मैं यह सुझाव उपस्थित कर रहा हूं कि केवल दो सूचियां, अर्थात् संघ-सूची और समवर्ती-सूची, होनी चाहियें।

***श्री आर.के. सिधवा:** क्या इस सुझाव को अब उपस्थित करना नियमित है?

***श्री ब्रजेश्वर प्रसाद:** यदि यह नियमित न होता तो प्रस्ताव को उपस्थित करने की आज्ञा नहीं दी जाती।

***श्री आर.के. सिधवा:** क्या आप यह चाहते हैं कि प्रान्तों को समाप्त कर दिया जाये?

***श्री ब्रजेश्वर प्रसाद:** मैं यह नहीं चाहता कि प्रान्तों को समाप्त कर दिया जाये। उन्हें विधि बनाने की समवर्ती शक्तियां प्राप्त होनी चाहियें। मैं यह चाहता हूं कि प्रान्तीय सरकारें बनी रहें। मेरी यह धारणा है कि इस युग में सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति तब तक नहीं हो सकती जब तक कि हम कृषि सम्बधी, खनिज सम्बन्धी तथा उद्योग-सम्बन्धी साधनों को विकसित करने के लिये यथाशीघ्र यथाशक्य प्रयत्न न करें। इन साधनों के विकास के लिये वैज्ञानिक आधार पर शीघ्रातिशीघ्र योजना बनाने की आवश्यकता है। हमारे लिये कोई ऐसा गृह लाभप्रद नहीं हो सकता जिसके बहुत से कमरे बिल्कुल अलग हों। शक्तियों के पृथक्करण की पुरानी विचारधारा से वर्तमान युग की आवश्यकतायें पूरी नहीं हो सकतीं। वह किसी प्राचीन युग के लिये ही उपयुक्त थीं।

***अध्यक्ष:** मेरे विचार से आप प्रान्तों को न रखने के सम्बन्ध में फिर उन्हीं तर्कों को दुहरा रहे हैं।

***श्री ब्रजेश्वर प्रसाद:** जी नहीं, श्रीमान्, प्रान्त रहने चाहियें किन्तु उन्हें समवर्ती शक्तियां ही प्राप्त होनी चाहियें। मैं प्रान्तों का विरोध नहीं कर रहा हूं। चाहे इस सम्बन्ध में मेरे विचार कुछ भी हों किन्तु इस समय मैं प्रान्तों को समाप्त करने के पक्ष में तर्क नहीं उपस्थित कर रहा हूं। मैं केवल यह कह रहा हूं कि उन्हें सीमित शक्तियां ही अर्थात् समवर्ती शक्तियां ही प्राप्त होनी चाहियें।

श्रीमान्, मैं जानता हूं कि आपको समय की बहुत चिंता रहती है। इस कारण मैं केवल एक बात और कहकर अपना भाषण समाप्त कर दूंगा। मेरे विचार से

यदि हम अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में भाग लेना चाहते हैं तो हमें प्रान्तीय सरकारों को बहुत सी शक्तियां नहीं देनी चाहियें। उन्हें अन्य शक्तियां न देनी चाहियें। उन्हें समवर्ती शक्तियां ही देनी चाहियें। देखिये हमारे विरोधी क्या चाल चल रहे हैं? एशिया में आंग्ल-अमरीकी शक्तियों की यह चाल है कि भारत में एक सुगठित सशक्त केन्द्र नहीं स्थापित होने दिया जाय। वे भारत को अनेक भागों में बंटा देखना चाहते हैं। इसी उद्देश्य से उन्होंने बर्मा को हमारे देश से पृथक् कर दिया। इसी उद्देश्य से उन्होंने इस देश का विभाजन कर दिया। इसी उद्देश्य से उन्होंने भारतीय रियासतों को पूर्ण स्वतन्त्रता प्रदान कर दी। क्या हम आंग्ल-अमरीकी शक्तियों की आशाओं तथा आकांक्षाओं के अनुरूप ही कार्य करें? (विघ्न) यदि हम अपने शत्रुओं के उद्देश्य को निष्फल करना चाहते हैं तो हमें एक सशक्त केन्द्र को स्थापित करना चाहिये और प्रान्तों को केवल समवर्ती शक्तियां प्रदान करनी चाहियें। मैं कुछ अधिक समय लेता किन्तु मैं यह देखता हूं कि सभा कुछ खीजी हुई सी है।

***अध्यक्ष:** इस विषय पर, मेरे विचार से, अधिक बहस करने की आवश्यकता नहीं है। किन्तु यदि डॉ. अम्बेडकर इस सम्बन्ध में कुछ कहना चाहते हैं तो मैं उन्हें सुनने के लिये तैयार हूं। अन्यथा मैं नहीं समझता कि इस पर अब अधिक बहस की आवश्यकता है।

***माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर:** इस पर अब बहस की आवश्यकता नहीं है। मुझे कुछ नहीं कहना है।

***श्री ब्रजेश्वर प्रसाद:** मैं अपना संशोधन वापस लेना चाहता हूं।

***अध्यक्ष:** मैं समझता हूं सभा उन्हें उसे वापस लेने की अनुमति देती है।

***प्रो. शिब्बन लाल सक्सेना:** जी नहीं।

***अध्यक्ष:** आप उन्हें उसे वापस लेने की अनुमति नहीं देते। अच्छी बात है, मैं उस पर मत लूंगा। प्रस्ताव यह है कि:

"संशोधनों की सूची के संशोधन संख्या 3588 के सम्बन्ध में, सूची 1 में निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जायें:-

1. 'Scheduled Areas' and 'Tribal Areas'

(1.'अनुसूचित क्षेत्र' और 'आदिमजाति क्षेत्र')

2. सूची 2 की 1 से 66 तक की सब प्रविष्टियां।"

*संशोधन गिर गया।*

***अध्यक्ष:** कल मैंने डॉ. देशमुख के दो संशोधनों को, अर्थात् संशोधन संख्या 223 और 224 को, स्थगित रखा था। वे उन्हें उपस्थित कर सकते हैं।

***डॉ. पी.एस. देशमुखः** श्रीमान्, मैं संशोधन संख्या 223 उपस्थित करता हूं। मैं यह प्रस्ताव उपस्थित करता हूं कि:

"प्रस्तावित नवीन प्रविष्टि 70-क के पश्चात् निम्नलिखित नवीन प्रविष्टि रखी जाय:-

'70.B. Protection of children.....(70-ख. बच्चों की रक्षा....)' "

(मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि मुझे 'बच्चों' शब्द के पश्चात् 'और युवकों' शब्दों के रखने की अनुमति प्रदान की जाये।) (*विघ्न*)

***अध्यक्षः** 'युवतियों नहीं'?

***डॉ. पी.एस. देशमुखः** पुरुष शब्द से स्त्री का भी बोध हो जाता है। निदेशक सिद्धान्त सम्बन्धी एक अनुच्छेद में यह उल्लिखित है। इस प्रकार मेरे संशोधन का परिवर्तित रूप यह होगा:

"Protection of children and young men, their exploitation and abandonment.' " (बच्चों और युवकों की रक्षा, उनका शोषण और परित्यजन।)

श्रीमान्, यदि आप सूची 2 की प्रविष्टि 5 को देखें तो आपको ज्ञात हो जायेगा कि राज्यों के लिये हमने यह प्रविष्टि रखी है-"कारागार, सुधारालय, बोरस्टल संस्थाएं और तद्रूप अन्य संस्थाएं और उनमें निरुद्ध व्यक्ति।" इसके अतिरिक्त समवर्ती सूची की प्रविष्टि 6 इस प्रकार है: "विवाह और विवाह-विच्छेद; शिशु और वयस्क; दत्तक-ग्रहण।"

***श्री एच.वी. कामतः** क्या मैं अपने मित्र को बता सकता हूं कि निदेशक-सिद्धान्त विषयक भाग 4 में "युवक" शब्द प्रयुक्त नहीं है बल्कि "किशोर अवस्था" शब्द प्रयुक्त हैं? मैं अनुच्छेद 31 की ओर संकेत करता हूं।

***डॉ. पी.एस. देशमुखः** यदि ये शब्द हैं तो सम्भवत: मैंने मूल मसौदे के शब्दों को रखा है। मैं "किशोर अवस्था" अथवा अंतिम रूप से स्वीकृत अनुच्छेद 31 में जो भी शब्द प्रयुक्त हैं उन्हें रखना चाहता हूं। श्रीमान्, मैंने जिन दो प्रविष्टियों की चर्चा की है, उनसे स्पष्ट हो जायेगा कि राज्यों को बाल-अपराधियों के सम्बन्ध में व्यवस्था करने की शक्ति, प्रदान की गई है और वे सुधारालयों तथा बोरस्टल संस्थाओं के सम्बन्ध में विधि बना सकते हैं। इस प्रकार बाल-अपराधियों के सम्बन्ध में विचार किया जा चुका है अथवा उनके सम्बन्ध में सूची 2 पर बहस होते समय विचार किया जायेगा।

जहां तक सूची 3 की प्रविष्टि 6 का सम्बन्ध है उसके अधीन हम विवाह और विवाह-विच्छेद के सम्बन्ध में समवर्ती शक्ति प्रदान करने जा रहे हैं। शिशुओं और अवयस्कों का भी इसी प्रसंग में उल्लेख किया गया है। यह बिल्कुल स्पष्ट है कि यह विधि के अधीन शिशुओं और अवयस्कों की स्थिति के सम्बन्ध में है और इस प्रविष्टि के फलस्वरूप राज्यों की सरकारें उनके सम्बन्ध में विधि

बना सकेंगी। किन्तु दुर्भाग्य से बच्चों तथा युवाओं के कल्याण तथा रक्षण और विशेषतः उनके शोषण तथा परित्यजन के विरुद्ध कोई प्रविष्टि नहीं है यद्यपि इस सम्बन्ध में हम एक अनुच्छेद को अर्थात् अनुच्छेद 31 को पारित कर चुके हैं। इस अनुच्छेद में हमने यह उपबंधित किया है कि बच्चों की रक्षा का दायित्व संघ-सरकार पर होगा और वह बच्चों तथा युवाओं का शोषण तथा परित्यजन न होने देगी। मेरे विचार से उपयुक्त यही होगा कि हम संघ-सूची में इस आशय की एक प्रविष्टि रख दें ताकि संघ को इस विषय के सम्बन्ध में विधि बनाने की शक्ति प्राप्त हो जाय।

मैं यह बता चुका हूं कि यह प्रविष्टि अनावश्यक नहीं है। यदि किसी व्यक्ति का यह मत हो कि चूंकि सूची 2 और सूची 3 में इसके समान प्रविष्टियां हैं। इसलिये इस प्रविष्टि की आवश्यकता नहीं है तो सभा से मेरा यह निवेदन है कि मेरी दृष्टि में जो मामला है वह उन प्रविष्टियों में नहीं आता। निदेशक सिद्धान्तों के अध्याय में बच्चों तथा युवाओं के शोषण के सम्बन्ध में एक उपबन्ध रख कर हमने बहुत उपयुक्त कदम उठाया है। इस कारण तर्कयुक्त यही है कि संघ को इस सम्बन्ध में विधि बनाने की शक्ति प्रदान की जाये। मेरे विचार से इसकी आवश्यकता नहीं है कि मैं सभा का ध्यान इस ओर आकृष्ट करूं कि इस देश में बच्चों का परित्यजन किस प्रकार होता है और परित्यक्त बच्चे किस प्रकार रेल के स्टेशनों, सिनेमा घरों और बस के अड्डों आदि में फिरा करते हैं। हमारे देश में यह आसानी से समझ में आ जाता है कि सबसे सस्ते भाव में यहां बच्चे ही मिलते हैं। यदि कोई व्यक्ति उनके प्रति हमारा जो दृष्टिकोण है उसका विश्लेषण करे तो उसकी समझ में आ जायेगा कि यहां बच्चों की तुलना में कूड़ा करकट भी अधिक मूल्यवान है। मुझे इसकी प्रसन्नता है कि हमने इस सम्बन्ध में निदेशक सिद्धान्तों के अध्याय में उपबन्ध रखे हैं। यदि हम निदेशक सिद्धान्तों को सच्चाई से प्रयोग में लाना चाहते हैं तो संघ को इस विषय के सम्बन्ध में विधि बनाने तथा इस समय की निन्दनीय स्थिति को शीघ्र समाप्त करने की शक्ति प्राप्त होनी चाहिये। इस दृष्टि से श्रीमान्, मैं इस पर जोर देता हूं कि इस प्रविष्टि को सभा को स्वीकार कर लेना चाहिये।

अन्य दो प्रविष्टियों के सम्बन्ध में मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि मुझे उन्हें उस समय उपस्थित करने की आज्ञा दी जाये जब हम समाचार-पत्रों से संबंधित प्रविष्टि पर विचार करें।

***अध्यक्षः** क्या डॉ. अम्बेडकर को इस सम्बन्ध में कुछ कहना है?

***माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकरः** जी नहीं, श्रीमान्, मुझे कोई उत्तर नहीं देना है। युवक और युवतियां अपनी रक्षा स्वयं कर सकते हैं। उनके विषय में चिंतित होने की क्या आवश्यकता है?

***अध्यक्षः** प्रस्ताव यह है किः

"प्रस्तावित नवीन प्रविष्टि 70-क के पश्चात् निम्नलिखित नवीन प्रविष्टि रखी जायेः-

'70-B. Protection of children and young men, their exploitation and abandonment. (70-ख. बच्चों और युवकों की रक्षा, उनका शोषण और परित्यजन।)' "

*संशोधन गिर गया।*

***अध्यक्ष:** प्रोफेसर शिब्बनलाल सक्सेना के नाम से तीन अतिरिक्त प्रविष्टियां थीं: कल जब मैंने उन्हें घोषित किया था तो वे अपनी जगह पर नहीं थे। मैंने यह मान लिया था कि वे उपस्थित नहीं किये गये हैं। उन्होंने यह इच्छा प्रकट की थी कि वे उन्हें उपस्थित करना चाहते हैं। पर मैंने उनसे कहा था कि मैं इस पर विचार करूंगा।

***प्रो. शिब्बन लाल सक्सेना:** श्रीमान्, मैं यह प्रस्ताव उपस्थित करता हूं कि:

"सूची 1 की प्रविष्टि 59 के पश्चात् निम्नलिखित नवीन प्रविष्टि रखी जाये:–

'59-A. Labour Legislation, and Legislation for settlement of Industrial disputes.'"

(59.क श्रम विधि तथा औद्योगिक विवादों के निर्णय के लिये विधि।)

"सूची 1 की प्रविष्टि 59-क के पश्चात् निम्नलिखित नवीन प्रविष्टि रखी जाये:–

'59-B. Co-ordination of machinery for settlement of industrial disputes in States and in the Union and the provision of Supreme Industrial Appellate Tribunals.'"

(59-ख. राज्यों में तथा संघ में औद्योगिक विवादों के निर्णय के लिए संगठनों का एकीकरण और उच्चतम औद्योगिक अपीलीय न्यायाधिकरण।)

"सूची 1 की प्रविष्टि 59-ख के पश्चात् निम्नलिखित नवीन प्रविष्टि रखी जाये:–

'59C. Unemployment Insurance.'" (59-ग. बेकारी का बीमा)

श्रीमान्, मुझे इन संशोधनों को उपस्थित करने का अवसर प्रदान करने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। ये महत्वपूर्ण प्रविष्टियां हैं और मैं आपका ध्यान इनकी ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। मैं यह जानता हूं कि समवर्ती सूची में ये प्रविष्टियां हैं:

26. श्रमिकों का कल्याण, कार्य की शर्तें, भविष्य निधि, नियोजक-उत्तरवादिता और कर्मकार प्रतिकर, स्वास्थ्य बीमा जिसके अंतर्गत असमर्थता-निवृत्ति-वेतन भी है, वार्धक्यनिवृत्ति-वेतन।

27. बेकारी और सामाजिक बीमा।

28. व्यापार-संघ; औद्योगिक और श्रमिक विवाद।

इसका अर्थ यह है कि इनके सम्बन्ध में प्रान्त और केन्द्र दोनों विधि बना सकते हैं। प्रविष्टि 59 में कहा गया है कि संघ के नौकरों से संबंधित औद्योगिक विवादों का विषय केन्द्रीय विषय होगा। इसलिये यद्यपि औद्योगिक विवादों का उल्लेख समवर्ती सूची में है किन्तु संघ के नौकरों के सम्बन्ध में इन विवादों का निर्णय करने के लिये संघीय सरकार ही विधि बना सकेगी मैं यह चाहता हूं कि समवर्ती

सूची में तो इन प्रविष्टियों को रहने दिया जाये किन्तु मैंने जिन विषयों को प्रस्तावित किया है उन्हें संघ-सूची में सम्मिलित कर लिया जाये। इस संशोधन का मुख्य उद्देश्य यह है कि सारे देश की श्रम-विधियों में एकरूपता आ जाये। इस समय स्थिति इस प्रकार है। देश के विभिन्न भागों में भले ही एक ही उद्योग किया जाता हो किन्तु उस पर विभिन्न भागों में विभिन्न विधियां लागू होती हैं जिसका परिणाम यह है कि श्रमिक असंतुष्ट हैं। चीनी के उद्योग के सम्बन्ध में तो यह कहा ही जा सकता है। यह उद्योग संयुक्त प्रान्त, बिहार, मद्रास और बम्बई में किया जाता है किन्तु इन प्रदेशों में श्रमिक विभिन्न विधियों द्वारा शासित होते हैं। यही स्थिति पटसन के उद्योग तथा अन्य उद्योगों की भी है। इस कारण मैं यह चाहता हूं कि श्रम विधि सारे देश में एक समान हो।

मेरा दूसरा संशोधन औद्योगिक विवादों के निर्णय के लिये संगठनों के एकीकरण के सम्बन्ध में है। इसमें कोई संन्देह नहीं कि सभी प्रान्तों में इसके लिये संगठन है किन्तु विभिन्न प्रान्तीय सरकारों के कार्यों के एकीकरण के लिये कोई व्यवस्था नहीं है। इसके अतिरिक्त कोई ऐसा अपीलीय न्यायाधिकरण भी नहीं है जहां सब अपील कर सकते हैं। मैं इसे बहुत महत्व देता हूं और इसके सम्बन्ध में उपबन्ध होने चाहियें। मुझे ज्ञात हुआ है कि एक अपीलीय न्यायाधिकरण स्थापित करने के लिए केन्द्रीय सरकार एक विधेयक उपस्थित करने वाली है। मैं यह चाहता हूं कि यह शक्ति केन्द्र को प्रदान की जाये। प्रान्त एकीकरण नहीं कर सकते। इसलिये यह प्रविष्टि संघ-सूची में रखी जानी चाहिये।

मेरा अगला संशोधन इस प्रकार है:

"सूची 1 की प्रविष्टि 59-ख के पश्चात् निम्नलिखित नवीन प्रविष्टि रखी जाये:-

'59-ग. बेकारी का बीमा।'"

इस समय यह विषय समवर्ती सूची में है। प्रान्त कभी भी इसे प्रयोग में नहीं ला सकेंगे। यदि आप इसे वास्तव में अस्तित्व में लाना चाहते हैं और इसे सारे भारत में समान रूप में रखना चाहते हैं तो आपको इस विषय को संघ-सूची में रखना चाहिये। सारे संसार में श्रम की दशा समान है इसलिये सारे भारत में श्रम की शर्तें एक समान होनी चाहियें। यदि उदाहरणर्थ बम्बई में एक मुष्ठ धन देने की प्रणाली अपनायी गई और अन्य स्थानों में उसे नहीं अपनाया गया तो इससे असंतोष तथा मनमुटाव उत्पन्न होगा। संयुक्तप्रान्त में चीन के कारखानों आदि में काम की शर्तों के सम्बन्ध में श्रम-विधियां हैं किन्तु अन्य प्रान्तों में इस प्रकार की विधियां नहीं हैं। इसके कारण उद्योगपतियों के बीच प्रतिस्पर्धा उत्पन्न होती है जिससे श्रमिकों को हानि उठानी पड़ती है। यदि विधियों में एकरूपता आ जायेगी तो श्रमिक संतुष्ट हो जायेंगे।

***माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर:** मैं इनमें से किसी संशोधन को स्वीकार नहीं करता हूं।

***अध्यक्ष:** अब मैं इन संशोधनों पर मत लेने के लिये इन्हें सभा के सामने रखता हूं।

[अध्यक्ष]

प्रस्ताव यह है कि:

"सूची 1 की प्रविष्टि 59 के पश्चात् निम्नलिखित नवीन प्रविष्टि रखी जाये:–

'59-A. Labour Legislation, and Legislation for settlement of Industrial disputes.'"

(59-क. श्रम-विधि तथा औद्योगिक विवादों के निर्णय के लिये विधि।)

*प्रस्ताव गिर गया।*

***अध्यक्ष:** प्रस्ताव यह है कि:

"सूची 1 की प्रविष्टि 59-क के पश्चात् निम्नलिखित नवीन प्रविष्टि रखी जाये:–

'59-B. Co-ordination of machinery for settlement of industrial disputes in States and in the Union and the provision of Supreme Industrial Appellate Tribunals.'"

(59-ख. राज्यों में तथा संघ में औद्योगिक विवादों के निर्णय के लिये संगठनों का एकीकरण और उच्चतम औद्योगिक अपीलीय न्यायाधिकरण।)

*प्रस्ताव गिर गया।*

***अध्यक्ष:** प्रस्ताव यह है कि:

"सूची 1 की प्रविष्ट 59-ख के पश्चात् निम्नलिखित नवीन प्रविष्टि रखी जाये:–

'59-C. Unemployment Insurance.'" (59-ग. बेकारी का बीमा।)

*प्रस्ताव गिर गया।*

***अध्यक्ष:** इसके अतिरिक्त श्री राजबहादुर कई अन्य विषयों को भी रखना चाहते हैं।

***श्री राजबहादुर** (संयुक्त राज्य, मत्स्य): श्रीमान्, संशोधन संख्या 267 में जो विषय दिये गये हैं उनमें से केवल एक को मैं उपस्थित कर रहा हूं। मैं यह प्रस्ताव उपस्थित करता हूं कि:

"सूची 1 की प्रविष्टि 90 के पश्चात् निम्नलिखित नवीन प्रविष्टि रखी जाये:–

'90-A. Control and eradication of beggary.'" (90-क. भिक्षा-भिक्षा-वृत्ति पर नियंत्रण तथा उसका निराकरण।)

श्रीमान्, मुझे विश्वास है कि इसे सभी स्वीकार करेंगे कि संसार का कोई देश भिक्षा-वृत्ति के अभिशाप से उतना ग्रस्त नहीं है जितना कि भारत है। वास्तव में अधिकांश देशों में भिक्षा-वृत्ति को विधि द्वारा निषिद्ध किया गया है। किन्तु हमारे देश के सुनाम पर यह कलंक लगा ही हुआ है। उपरोक्त प्रविष्टि की स्वीकृति पर जोर देकर मैं भावी संसदों का ध्यान इस अभिशाप की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं ताकि चाहे जो भी दल पदारूढ़ रहें, सरकार इस अभिशाप को दूर करने के लिये कदम उठाये।

हमें यह ज्ञात है कि भिक्षा-वृत्ति के प्रश्न का गरीबी और बेकारी के प्रश्नों से निकट सम्बन्ध है। हम यह जानते हैं कि हमारे देश के अभी तक पराधीन होने के कारण तथा विदेशी शासकों की लोगों के कल्याण तथा उनकी उन्नति के प्रति निर्दय उपेक्षा के कारण इस देश के जनसाधारण का शोषण होता रहा और वे अत्यन्त दरिद्र हो गये।

इसके अतिरिक्त एक प्रकार की मानसिक स्थिति के कारण भी हमारे देश में भिक्षा-वृत्ति को प्रोत्साहन मिलता रहा है। परोपकार के सम्बन्ध में हमारी कुछ भावनाएं हैं। वे प्रशंसनीय हैं किन्तु प्रायः उनका दुरुपयोग ही होता है। अधिकांश लोगों को न तो परोपकार का यथोचित ज्ञान होता है और न वे यथोचित पात्रों के लिये परोपकार करते हैं। हम उसकी चिंता नहीं करते कि सुपात्रों को ही हमारे परोपकार का फल प्राप्त हो। हम कुपात्रों को दान देते हैं और इस प्रकार भिक्षा-वृत्ति को प्रोत्साहित करते हैं। हम विकृत विचारों तथा भावनाओं से प्रेरित होकर ही दान देते हैं। इसके अतिरिक्त हमारे देश के जलवायु के कारण भी हमारे देशवासी आलसी हो जाते हैं। इस कारण भी इस देश में भिखारियों की संख्या बहुत बढ़ गई है। कुछ लोग तो इसलिये भिखारी हो जाते हैं कि आलस्य के कारण वे काम कर ही नहीं सकते। वे ईमानदारी से काम करके आजीविका नहीं कमाते बल्कि भीख मांग कर अपना पेट भरते हैं। वे दान पर ही निर्भर रहते हैं और कोई काम नहीं करते। वे समाज के लिये भार हैं। इस प्रकार के आलस्य को बढ़ाने में निरक्षरता का भी योग रहता है।

इस प्रकार यह एक बहुमुखी प्रश्न है। इसे स्थानीय अथवा नगरपालिका के आधार पर हल नहीं करना चाहिये बल्कि राष्ट्रीय आधार पर हल करना चाहिये। इस कारण इस संशोधन द्वारा मैंने संघ-सूची में भिक्षा-वृत्ति पर नियंत्रण तथा उसके निराकरण के विषय को प्रविष्ट करने का प्रयास किया है। अब इसके लिये समय आ गया है कि हम अपने देश के सुनाम पर लगे हुये इस कलंक को मिटा दें। मेरा यह निवेदन है कि इस प्रश्न को वैज्ञानिक आधार पर तथा सुव्यवस्थित रूप से हल करने की बहुत आवश्यकता है। आज हमें अपने देश के नगरों तथा ग्रामों में, बाजारों तथा गलियों में, पगडंडियों में और बसों के अड्डों में तथा सिनेमा-घरों के सामने इन हाथ फैलाये हुये अभागों की भीड़ की भीड़ मिलती है। हमें यह समझना चाहिये कि यह प्रश्न कितना गम्भीर है। जैसाकि मैं कह चुका हूं, मैं अपने अन्य संशोधनों को नहीं उपस्थित करूंगा क्योंकि मसौदा-समिति के माननीय सभापति महोदय अन्य सदस्यों द्वारा नवीन प्रविष्टियों के सम्बन्ध में उपस्थित संशोधनों के बारे में उत्तर तक नहीं दे रहे हैं और इससे मैं थोड़ा बहुत निरुत्साहित हो गया हूं।

***श्री टी.टी. कृष्णमाचारी:** आपने जो संशोधन उपस्थित किया है उसका वे अध्ययन कर रहे हैं।

***श्री राजबहादुर:** यदि मेरे प्रस्ताव के सम्बन्ध में मुझे उत्तर मिल गया तो मैं अपने को भाग्यशाली समझूंगा।

***माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर:** श्रीमान्, चूंकि मेरे माननीय मित्र चाहते हैं कि उत्तर दूं इसलिये मैं एक दो शब्द कहूंगा।

भिक्षा-वृत्ति पर नियंत्रण तथा उसके निराकरण के सम्बन्ध में सूची 3 की प्रविष्टि 24 में उपबन्ध रख दिये गये हैं। वह "आहिंडन" के सम्बन्ध में है, जिसमें भिक्षा-वृत्ति सम्मिलित है। प्रश्न यह है कि क्या उसे उसी स्थल पर रहने दिया जाय अथवा सूची 1 में सम्मिलित कर लिया जाये। मेरे विचार से अच्छा यही होगा कि उसे सूची 3 ही में रहने दिया जाये ताकि प्रान्त और केन्द्र दोनों उस प्रविष्टि के सम्बन्ध में कार्यवाही कर सकें।

***श्री राजबहादुर:** आहिंडन और भिक्षा-वृत्ति भिन्न शब्द हैं। आहिंडन से बहुत कुछ दूषित चरित्र का बोध होता है किन्तु सभी भिखारी दूषित चरित्र वाले नहीं भी हो सकते हैं। आहिंडन में भिक्षा-वृत्ति सन्निहित हो सकती है किन्तु यह हो सकता है कि कुछ भिखारी आहिंडन न भी करें।

***अध्यक्ष:** अब मैं श्री राजबहादुर के संशोधन पर मत लेता हूं।

***श्री राजबहादुर:** यदि मसौदा-समिति के माननीय सभापति महोदय का यह विचार है कि आहिंडन में भिक्षा-वृत्ति सम्मिलित है तो मैं अपना संशोधन वापस लेने के लिये तैयार हूं।

*(संशोधन, सभा की अनुमति से, वापस ले लिया गया।)*

***अध्यक्ष:** डॉ. देशमुख ने एक और प्रविष्टि प्रस्तावित की है। संशोधन संख्या 235।

***डॉ. पी.एस. देशमुख:** मैं उसे नहीं उपस्थित करना चाहता।

***अध्यक्ष:** एक प्रविष्टि और है, जिसे पंडित ठाकुरदास भार्गव ने छोड़ दिया था। संशोधन संख्या 192।

***पं. ठाकुरदास भार्गव:** मैं उसे इस अवसर पर नहीं उपस्थित करना चाहता। मैं बाद में यह प्रस्ताव उपस्थित करूंगा कि इस संशोधन के विषय को समवर्ती सूची में स्थान दिया जाये।

---

## सूची 2 (राज्य-सूची)

***अध्यक्ष:** अब हम सूची 2 की प्रविष्टि 1 को उठाते हैं। मुझे इस आशय के एक संशोधन की सूचना मिली है कि 1 से 66 तक की प्रविष्टियां इस सूची से निकाल कर सूची 3 में रख दी जायें। यह संशोधन श्री ब्रजेश्वर प्रसाद के नाम से है। मेरे विचार से इसे उपस्थित करने की आवश्यकता नहीं है।

***श्री ब्रजेश्वर प्रसादः** यह मान लिया जाये कि उसे उपस्थित कर दिया गया है।

***अध्यक्षः** जी हां, यह भी मान लिया जाये कि वह वापस ले लिया गया है।

***श्री ब्रजेश्वर प्रसादः** श्रीमान्, यह बाद को होगा।

***अध्यक्षः** मेरे विचार से उसे उपस्थित करने की आवश्यकता नहीं है। श्री ब्रजेश्वर प्रसाद के नाम से एक और संशोधन है जिसका आशय यह है कि सूची 2 की प्रविष्टि 1 को सूची 1 में प्रविष्टि 2-क के रूप में रखा जाये।

***श्री ब्रजेश्वर प्रसादः** क्या मुझे उस प्रविष्टि को उपस्थित करने की आज्ञा है?

***अध्यक्षः** जी हां, आप उसे उपस्थित कर सकते हैं।

***श्री ब्रजेश्वर प्रसादः** अध्यक्ष महोदय, मैं यह प्रस्ताव उपस्थित करता हूं कि:

"सूची 2 की प्रविष्टि 1 को सूची 1 में प्रविष्टि 2-क के रूप में रखा जाये।"

श्रीमान्, यह प्रविष्टि सार्वजनिक व्यवस्था के सम्बन्ध में है।

***डॉ. पी.एस. देशमुखः** श्रीमान्, मुझे यह औचित्य प्रश्न करना है। हम पूरी सूची को पारित कर चुके हैं। यदि सूची 1 में किसी प्रविष्टि को रखना था तो उसे पहले उपस्थित करना था। अभी तक श्री ब्रजेश्वर प्रसाद ने नहीं कहा कि वे इस प्रविष्टि को उस सूची में रखना चाहते हैं। चूंकि हम सूची 1 को पारित कर चुके हैं और उसकी समाचार-पत्रों के विषय में केवल एक प्रविष्टि रह गई है इसलिये यह उचित नहीं है कि वे अब इस संशोधन को उपस्थित करें।

***श्री ब्रजेश्वर प्रसादः** मेरा यह निवेदन है कि जब तक सूची 2 और सूची 3 को अंतिम रूप से पारित नहीं किया जाता तब तक हम किसी प्रविष्टि को एक सूची से निकाल कर दूसरी सूची में रख सकते हैं। श्रीमान्, यदि आपका निर्णय यह हो कि डॉ. देशमुख की आपत्ति तर्कसंगत है तो मैं अपनी जगह पर जाने के लिये तैयार हूं। किन्तु इसके पश्चात् सूची 1 में किसी भी नवीन प्रविष्टि को रखने की आज्ञा नहीं मिलनी चाहिये।

***डॉ. पी.एस. देशमुखः** किन्तु आपको उसे पहले किसी अवसर पर उपस्थित कर देना चाहिये था।

***श्री ब्रजेश्वर प्रसादः** मैं उसे उसी अवसर पर उपस्थित कर रहा हूं जो मैंने उसके लिये ठीक समझा है।

***श्री टी.टी. कृष्णमाचारीः** उचित यही था कि माननीय सदस्य महोदय इस संशोधन को उस समय उपस्थित करते जब हम सूची 1 पर विचार कर रहे थे।

***अध्यक्षः** औचित्य प्रश्न का आशय यह है कि क्या अब सूची 1 में कोई नवीन प्रविष्टि रखी जा सकती है या नहीं।

***श्री टी.टी. कृष्णमाचारी:** हम सूची 1 को अंतिम रूप से पारित कर चुके हैं। अब हम प्रविष्टियों को केवल सूची 2 से निकाल कर सूची 3 में रख सकते हैं और सूची 1 में नहीं रख सकते।

***अध्यक्ष:** मेरे विचार से अच्छा यह होगा कि हम उन्हें इस संशोधन को उपस्थित करने दें।

***श्री ब्रजेश्वर प्रसाद:** श्रीमान्, अभी तक प्रान्तों में सार्वजनिक व्यवस्था बनाये रखने के लिये संतोषजनक प्रशासन नहीं रहा है। सुयोग्य प्रशासन को बनाये रखने के लिये उन्हें पर्याप्त साधन प्राप्त नहीं हैं। आसाम के आय-व्ययक का 72 प्रतिशत धन वेतनों में खर्च हो जाता है। शेष 28 प्रतिशत विभिन्न विषयों के लिये रह जाता है। इसका परिणाम यह हुआ है कि अब प्रशासन की पुरानी योग्यता नहीं रह गई है। कई राज्य और प्रान्त विदेशी राज्यों की सीमाओं पर भी स्थित हैं। क्या सभा की सम्मति यह है कि सार्वजनिक व्यवस्था के प्रश्न को प्रान्तीय सरकारों पर ही छोड़ने से कोई खतरा नहीं है और बुद्धिमत्ता इसी में है? आसाम और पूर्वी पंजाब के राज्यों में सार्वजनिक व्यवस्था.....

***श्री बी.एल. सौंधी** (पूर्वी पंजाब : जनरल) : पूर्वी पंजाब में कौन सी दुर्व्यवस्था है?

***श्री ब्रजेश्वर प्रसाद:** पूर्वी पंजाब में कोई दुर्व्यवस्था नहीं है। मैं केवल यह कहना चाहता था कि ये राज्य विदेशी राज्यों की सीमाओं पर स्थित हैं। इसलिये यह आवश्यक है कि इन राज्यों में सार्वजनिक व्यवस्था बनाये रखने की शक्ति केन्द्रीय सरकार को प्राप्त हो। इन राज्यों के साधन सीमित होने के कारण ये राज्य सार्वजनिक व्यवस्था को सुरक्षित नहीं रख सकेंगे।

***एक माननीय सदस्य:** उन्हें सशक्त बनाइये।

***श्री ब्रजेश्वर प्रसाद:** पश्चिमी बंगाल और पूर्वी पंजाब के प्रान्त विभाजित प्रान्त हैं। उनको विस्थापित लोगों को सहायता देने तथा उनके पुनर्वास का प्रश्न तथा लोगों के प्रव्रजन का प्रश्न हल करना है और उनकी सेवाओं में विधि-विरोधी लोग भी प्रविष्ट हो गये हैं। मैं यह नहीं कहता कि अन्य प्रान्तों की सेवाएं सुरक्षित हैं। अन्य प्रान्तों की सेवाओं में भी विधि-विरोधी लोग प्रविष्ट हो गये हैं किन्तु इन प्रान्तों की सेवाओं में ये लोग अधिक संख्या में प्रविष्ट हुए हैं। इसका परिणाम यह हुआ है कि प्रान्तीय प्रशासन की योग्यता तथा सत्य-निष्ठा गिर गई है। पश्चिमी बंगाल के मेरे मित्र इसका समर्थन करेंगे। श्रीमान्, अन्य प्रान्तों में भी अपराध में वृद्धि हो गई है। विधि और व्यवस्था का संगठन बहुत अशक्त हो गया है। कई प्रान्तों में विधि-शून्यता का ही बोलबाला है। प्रान्तीय मंत्रियों की शक्ति के पीछे दौड़ने के कारण और जातीयता की भावनाओं के उदय होने के कारण सभ्य प्रशासन की कहीं छाया तक दिखाई नहीं देती। इसलिये मेरे यह धारणा है कि सार्वजनिक व्यवस्था का विषय एक केन्द्रीय विषय होना चाहिये। बाहर से तथा अन्दर से भी खतरा है और संकटकाल में हम प्रान्तीय प्रशासनों की वफादारी का भरोसा नहीं कर सकते। इतिहास के आरम्भ से ही विकेन्द्रीकरण की शक्तियां हमारे राजनैतिक जीवन के लिये अभिशाप स्वरूप रही हैं। इसलिये श्रीमान्, मेरा यह अनुरोध है कि सार्वजनिक व्यवस्था के विषय को केन्द्रीय विषय बनाया जाये।

***अध्यक्षः** डॉ. अम्बेडकर, क्या आप कुछ कहना चाहते हैं?

***माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकरः** मैं कुछ नहीं कहना चाहता।

***श्री ब्रजेश्वर प्रसादः** मैं अपने संशोधन को वापस लेता हूं।

***अध्यक्षः** यह दिखाई देता है कि सभा इस संशोधन को वापस लेने की आज्ञा नहीं देना चाहती। मैं उस पर मत लूंगा।

प्रस्ताव यह है किः

"सूची 2 की प्रविष्टि 1 को सूची 1 में प्रविष्टि 2-क के रूप में रखा जाये।"

*संशोधन गिर गया।*

***अध्यक्षः** एक संशोधन डॉ. अम्बेडकर के नाम से है। संशोधन संख्या 63।

***माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकरः** श्रीमान्, मैं यह प्रस्ताव उपस्थित करता हूं किः

"सूची 2 की प्रविष्टि 1 से निम्नलिखित शब्द निकाल दिये जायेंः

'preventive detention for reasons connected with the maintenance of public order; persons subjected to such detention.'"

(सार्वजनिक व्यवस्था बनाये रखने से संसक्त कारणों के लिये निवारक-निरोध, ऐसे निरुद्ध व्यक्ति।)

प्रस्ताव यह है कि इस प्रविष्टि को सूची 3 में रखा जाये। इसी कारण मैंने यह प्रस्ताव रखा है कि इन शब्दों को निकाल दिया जाये।

***सरदार हुकम सिंहः** श्रीमान्, मैं यह प्रस्ताव उपस्थित करता हूं किः

"सूची 2 की प्रविष्टि 1 में 'naval, military or air forces (नौ, स्थल अथवा विमानबलों)' शब्दों के पश्चात् 'or any other armed forces of the union (अथवा संघ के कोई अन्य सशस्त्र बलों)' शब्दों को रखा जाये।"

मेरे विचार से मसौदा-समिति इन शब्दों को रखना भूल गई है। इसी कारण मैंने यह संशोधन उपस्थित किया है। यदि मुझसे यह कह दिया जाये कि इन शब्दों को जानबूझ कर नहीं रखा गया है तो....

***माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकरः** मैं इस संशोधन को स्वीकार करने के लिये तैयार हूं।

***सरदार हुकम सिंह:** तब मुझे अधिक कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है।

***अध्यक्ष:** प्रस्ताव यह है कि:

"सूची 2 की प्रविष्टि 1 में 'naval, military or air forces (नौ, स्थल अथवा विमान बलों)' शब्दों के पश्चात् 'or any other armed forces of the Union (अथवा संघ के कोई अन्य सशस्त्र बलों)' शब्दों को रखा जाये।"

*संशोधन स्वीकार कर लिया गया।*

***अध्यक्ष:** प्रस्ताव यह है कि:

"सूची 2 की प्रविष्टि 1 से निम्नलिखित शब्द निकाल दिये जायें:

'preventive detention for reasons connected with the maintenance of public order, persons subjected to such detention.'"

(सार्वजनिक व्यवस्था बनाये रखने से संसक्त कारणों के लिये निवारक-निरोध, ऐसे निरुद्ध व्यक्ति।)

*संशोधन स्वीकार कर लिया गया।*

***अध्यक्ष:** प्रस्ताव यह है कि:

"प्रविष्टि 1, संशोधित रूप में सूची 2 का अंग बना ली जाये।"

*प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया।*

*प्रविष्टि 1, संशोधित रूप में, राज्य-सूची का अंग बना ली गई।*

---

## प्रविष्टि 2

***माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर:** श्रीमान्, मैं यह प्रस्ताव उपस्थित करता हूं कि:

"सूची 2 की प्रविष्टि 2 के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाये:-

'2. The administration of justice, constitution and organisation of all courts except the Supreme Court and the High Courts; fees taken in all courts except the Supreme Court.'"

(2. न्याय-प्रशासन, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय को छोड़कर सब न्यायालयों का गठन और संगठन, उच्चतम न्यायालय को छोड़कर सब न्यायालयों में ली जाने वाली फीसें।)

केवल यह परिवर्तन किया गया है कि उच्च-न्यायालयों का भी उल्लेख किया गया है क्योंकि जैसाकि मैं कल स्पष्ट कर चुका हूं, उच्च न्यायालयों का गठन तथा संगठन भी पूर्णतया केन्द्र के नियंत्रण में है।

***अध्यक्षः** इसके अतिरिक्त संशोधन संख्या 236 भी है। मेरे विचार से अब इसकी आवश्यकता नहीं है क्योंकि इस सम्बन्ध में उच्च-न्यायालयों को सम्मिलित करके प्रथम सूची में हम एक प्रविष्टि रख चुके हैं। संशोधन का उद्देश्य यह है कि 'उच्च-न्यायालय' शब्दों को निकाल दिया जाये। इसलिये यह अनियमित है। अब संशोधन संख्या 237 आता है जो डॉ. पी.एस. देशमुख के नाम से है। वह भी इसी संशोधन के समान है।

***डॉ. पी.एस. देशमुखः** श्रीमान्, मैं उसे नहीं उपस्थित कर रहा हूं।

***सरदार हुकम सिंहः** श्रीमान्, मैं यह प्रस्ताव उपस्थित करता हूं कि:

"सूची 1 (छठा सप्ताह) के संशोधन संख्या 64 में सूची 2 की प्रस्तावित प्रविष्टि 2 में 'and the High Courts (और उच्च-न्यायालय)' शब्दों के पश्चात् 'and persons entitled to practise before the Supreme Court or any High Court (और उच्चतम-न्यायालय अथवा किसी उच्च-न्यायालय के सामने विधि-व्यवसाय करने का हक रखने वाले व्यक्ति)' शब्द रखे जायें।"

मेरे इस संशोधन का उद्देश्य वही है जो मेरे पहले संशोधन का था जिसे मैं उपस्थित कर चुका हूं।

***अध्यक्षः** कल सूची 1 की किसी प्रविष्टि के सम्बन्ध में इसके आशय को स्वीकार किया जा चुका है। इसलिये यह प्रस्ताव नहीं उपस्थित किया जा सकता। हम सूची 1 में इस आशय की एक प्रविष्टि रख चुके हैं।

***श्री टी.टी. कृष्णमाचारीः** उनका उद्देश्य इन शब्दों का स्पष्ट रूप से अपवर्जन करना है।

***सरदार हुकम सिंहः** आपने इन व्यक्तियों का उल्लेख सूची 1 में भी किया है। जब हमने उच्चतम-न्यायालय तथा उच्च-न्यायालय को अपवर्जित किया है तो उनके साथ हमें उनके सामने विधि-व्यवसाय करने वाले व्यक्तियों को भी अपवर्जित कर देना चाहिये।

***श्री टी.टी. कृष्णमाचारीः** यह एक स्पष्ट प्रविष्टि है।

***माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकरः** कल की प्रविष्टि एक स्पष्ट प्रविष्टि थी। इसलिये इस संशोधन की आवश्यकता नहीं है।

***श्री राजबहादुरः** श्रीमान्, मैं यह प्रस्ताव उपस्थित करता हूं कि:

"सूची 1 (छठा सप्ताह) के संशोधन संख्या 64 में सूची 2 की प्रस्तावित प्रविष्टि 2 में 'Supreme Court (उच्चतम-न्यायालय)' शब्दों के पश्चात्, जहां वे

[श्री राजबहादुर]

दूसरी बार प्रयुक्त हैं, 'and the High Courts (और उच्च-न्यायालय)' शब्द रखे जायें।"

श्रीमान्, जैसाकि माननीय डॉ. अम्बेडकर ने कहा है, उच्च-न्यायालयों के संगठन तथा उन पर देख रेख तथा नियंत्रण रखने का विषय संघीय सूची में रखा गया है। उचित यही है कि सभी उच्च-न्यायालयों की फीसें एक समान हों। इसलिये इस नवीन प्रविष्टि में केवल उच्चतम न्यायालयों की फीसों का विषय ही नहीं बल्कि उच्च-न्यायालयों की फीसों का विषय भी नहीं रखना चाहिये।

***श्री टी.टी. कृष्णमाचारी:** वास्तव में स्थिति यह है प्रविष्टि 52 द्वारा उच्चतम-न्यायालय द्वारा ली जाने वाली फीसें स्पष्ट शब्दों में सूची 1 में उल्लिखित हैं। यदि हम श्री राजबहादुर के संशोधन को स्वीकार करेंगे तो उच्च-न्यायालयों की फीस लेने की शक्ति का कहीं भी उल्लेख न रह जायेगा।

***अध्यक्ष:** प्रस्ताव यह है कि:

"सूची 1 (छठा सप्ताह) के संशोधन संख्या 64 में सूची 2 की प्रस्तावित प्रविष्टि 2 में 'Supreme Court (उच्चतम-न्यायालय)' शब्दों के पश्चात्, जहां वे दूसरी बार प्रयुक्त हैं, 'and the High Courts (और उच्च-न्यायालय)' शब्द रखे जायें।"

*संशोधन गिर गया।*

***अध्यक्ष:** प्रस्ताव यह है कि:

"सूची 2 की प्रविष्टि 2 के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाये:-

(2. न्याय-प्रशासन, उच्चतम-न्यायालय और उच्च-न्यायालय को छोड़कर सब न्यायालयों का गठन और संगठन; उच्चतम-न्यायालय को छोड़कर सब न्यायालयों में ली जाने वाली फीसें)'"

*संशोधन स्वीकार कर लिया गया।*

***अध्यक्ष:** प्रस्ताव यह है कि:

"प्रविष्टि 2, संशोधित रूप में, सूची 2 का अंग बना ली जाये।"

*प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया।*

*प्रविष्टि 2, संशोधित रूप में, राज्य-सूची का अंग बना ली गई।*

## प्रविष्टि 3

*प्रविष्टि 3 सूची 2 का अंग बना ली गई।*

---

## प्रविष्टि 4

***श्री ब्रजेश्वर प्रसाद:** मैं बिना कुछ कहे हुये, अर्थात् बिना भाषण दिये हुये, अपना संशोधन उपस्थित करता हूं। श्रीमान् मैं यह प्रस्ताव उपस्थित करता हूं कि:

"संशोधनों की सूची के संशोधन संख्या 3589 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाये:–

'सूची 2 से प्रविष्टि 4 को निकाल कर उसे सूची 1 में रख दिया जाये।'"

श्रीमान्, यदि आज्ञा है तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रविष्टि को सूची 1 में न रख कर इसे सूची 3 में रखना चाहिये। इससे श्री टी.टी. कृष्णमाचारी की आपत्ति दूर हो जायेगी। श्रीमान् 'आरक्षियों' के विषय को मैं बहुत महत्व देता हूं। मेरे विचार से इसे समवर्ती शक्तियों के साथ रखना चाहिये और इस प्रकार इस पर केन्द्र का भी अधिकार रखना चाहिये।

***श्रीमती पूर्णिमा बनर्जी** (संयुक्तप्रान्त : जनरल): मैं यह पूछना चाहती हूं कि 'आरक्षियों' में गृह रक्षक तथा प्रान्तीय रक्षा दल भी सम्मिलित हैं या नहीं।

***माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर:** यह प्रान्तीय विधि पर निर्भर है। यदि आरक्षीअधिनियम के अधीन किसी व्यक्ति का नाम सूची पर लिखा गया तो वह उसके उद्देश्यों के लिये आरक्षी समझा जायेगा अथवा यदि उसका नाम सूची में किसी अन्य अधिनियम के अधीन लिया गया हो और उसे आरक्षी की शक्तियां प्रदान की गई हों, तो इस दशा में भी उसे आरक्षी समझा जायेगा।

***श्री महावीर त्यागी:** क्या मैं यह पूछ सकता हूं कि क्या गृह-रक्षकों तथा प्रान्तीय रक्षा दल पर भारत-सरकार की अवशिष्ट शक्तियों के अधीन नियंत्रण रखा जायेगा अथवा स्थानीय सरकार ही उन पर नियंत्रण रखेगी? उन पर किसका नियंत्रण होगा?

***माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर:** यदि वे आरक्षी नहीं हैं तो वे केन्द्रीय सरकार के अधीन रहेंगे। "आरक्षी-दल", "सेना" का विपर्यय है। "सेना" के अधीन जो कुछ नहीं आता वह "आरक्षी-दल" के अधीन आता है।

***श्री महावीर त्यागी:** आपके इस निर्णय का उद्धरण चिह्नों के साथ उल्लेख किया जाये।

***पं. हृदयनाथ कुंजरू:** यदि डॉ. अम्बेडकर का निर्वचन ठीक है तो कोई भी प्रान्त सेना संगठित कर सकता है और बिना उसे सेना कहे हुये ही कर सकता है।

**माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकरः** जी नहीं, मेरे विचार से प्रान्त ऐसा नहीं कर सकते।

***डॉ. पी.एस. देशमुखः** इस समय हो यही रहा है।

***माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकरः** सेना भारतीय अधिनियम के अधीन संगठित की जाती है और उस अधिनियम के अधीन उसे संगठित करने के बारे में कठोर शर्तें हैं। किसी प्रान्त को इस प्रविष्टि के सम्बन्ध में विधि बनाने का अधिकार नहीं है।

***पं. हृदयनाथ कुंजरूः** प्रान्त सेना संगठित करने के सम्बन्ध में तो विधि नहीं बनायेंगे किन्तु किसी बल को वे बिना सेना के नाम लिये हुए ही सैनिक प्रशिक्षा दे सकते हैं।

***श्री टी.टी. कृष्णमाचारीः** श्रीमान्, मैं यह बताना चाहता हूं कि प्रान्तों में विशेष सशस्त्र आरक्षी हैं। आरक्षी अधिनियम के अधीन दी हुई शक्ति से उनकी भर्ती होती है। भले ही वह दल अर्ध-सैनिक आधार पर संगठित किया जाता हो किन्तु कहा जाता है वह आरक्षी दल ही।

***श्री महावीर त्यागीः** "गृह-रक्षक" शब्द रख कर आप इसे स्पष्ट क्यों नहीं कर देते हैं?

***माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकरः** सशस्त्र आरक्षी हैं और अशस्त्र आरक्षी भी हैं।

***अध्यक्षः** पंडित कुंजरू ने यह प्रश्न पूछा है कि क्या कोई प्रान्त सेना को सेना न कह कर बल्कि आरक्षी दल कह कर संगठित कर सकता है।

***माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकरः** मुझे विश्वास है कि यदि कोई प्रान्त संविधान से बच कर धोखेबाजी करना चाहेगा तो केन्द्र उस धोखेबाजी को रोकने के लिये अपने को काफी सशक्त पायेगा।

***अध्यक्षः** मैं अब श्री ब्रजेश्वर प्रसाद के संशोधन पर मत लूंगा।

***श्री ब्रजेश्वर प्रसादः** श्रीमान्, मुझे उसे वापस लेने की अनुमति प्रदान की जाये।

*(संशोधन, सभा की अनुमति से, वापस ले लिया गया।)*

***अध्यक्षः** प्रस्ताव यह है कि:

"प्रविष्टि 4 सूची 2 का अंग बना ली जाये।"

*प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया।*

*प्रविष्टि 4 राज्य-सूची का अंग बना ली गई।*

## प्रविष्टि 5

प्रविष्टि 5 राज्य-सूची का अंग बना ली गई।

---

## प्रविष्टि 5-क

***अध्यक्ष:** संशोधन संख्या 3590 उपस्थित नहीं किया गया है।

***श्री ब्रजेश्वर प्रसाद:** संशोधन उपस्थित न होने पर भी आप यह स्वतन्त्रता देते आये हैं। मैं कई संशोधनों पर संशोधन उपस्थित कर चुका हूं।

***अध्यक्ष:** संशोधन की शब्दावली को ठीक नहीं पढ़ा जा सकता। "भारत सरकार के अधीक्षण, निदेशन तथा नियंत्रण के अधीन।"

***श्री ब्रजेश्वर प्रसाद:** श्रीमान्, यदि आप अनुमति दें तो उसे मैं ठीक किये देता हूं।

"प्रान्तीय सेना, भारत सरकार के अधीक्षण, निदेशन तथा नियंत्रण के अधीन।"

यही मेरा संशोधन है। विशेषतया संयुक्तप्रान्त में इस प्रकार के बहुत कार्य हो रहे हैं। इनसे संविधान के आशय का खण्डन होता है। मुझे भय है कि इस प्रकार के कार्य इतने अधिक किये जाने लगेंगे कि....

***अध्यक्ष:** मेरे विचार से यह ठीक नहीं है। इस अतिरिक्त प्रविष्टि को श्री सन्तानम् उपस्थित करना चाहते थे किन्तु उन्होंने उसे नहीं उपस्थित किया। उससे एक नया ही प्रश्न उठ खड़ा होता है। यदि उसके सम्बन्ध में कोई संशोधन उपस्थित किया गया तो उससे भी नया प्रश्न उठेगा। आपके संशोधन का प्रभाव यह होगा कि एक नई प्रविष्टि को स्थान देना पड़ेगा।

---

## प्रविष्टि 6

***अध्यक्ष:** अब हम प्रविष्टि 6 को उठाते हैं। इसके सम्बन्ध में कोई संशोधन नहीं है।

*प्रविष्टि 6 राज्य-सूची का अंग बना ली गई।*

---

## प्रविष्टि 7

*प्रविष्टि 7 राज्य-सूची का अंग बना ली गई।*

---

## प्रविष्टि 7-क

***माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर:** श्रीमान्, मैं यह प्रस्ताव उपस्थित करता हूं कि:

"सूची 2 की प्रविष्टि 7 के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाये:–

'7-A. State pensions, that is to say, pensions payable by the State or out of the Consolidated Fund of the State.'"

[माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर]

(7-क राज्य-निवृत्ति-वेतन अर्थात् राज्य द्वारा अथवा राज्य की संचित निधि में से देय निवृत्ति-वेतन।)

यह प्रविष्टि उस प्रविष्टि की तत्स्थानी प्रविष्टि है जिसे हम सूची 1 में रख आये हैं।

*(संशोधन संख्या 238 उपस्थित नहीं किया गया।)*

***अध्यक्ष:** प्रस्ताव यह है कि:

"सूची 2 की प्रविष्टि 7 के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाये:

'7-A. State pensions, that is to say, pensions payable by the State or out of the Consolidated Fund of the State.'"

(7-क राज्य-निवृत्ति-वेतन अर्थात् राज्य द्वारा अथवा राज्य की संचित निधि में से देय निवृत्ति-वेतन।)

*प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया।*

*प्रविष्टि 7-क राज्य सूची का अंग बना ली गई।*

---

## प्रविष्टि 8

*प्रविष्टि 8 राज्य-सूची का अंग बना ली गई।*

---

## प्रविष्टि 9

***माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर:** श्रीमान्, मैं यह प्रस्ताव उपस्थित करता हूं कि:

"सूची 2 की प्रविष्टि 9 के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाये:

'9. Acquisition or requisitioning of property except for the purposes of the Union subject to the provisions of entry 35 of List III.'"

(9. सूची 3 की प्रविष्टि 35 के उपबन्धों के अधीन रहते हुये संघ के प्रयोजनों के अतिरिक्त सम्पत्ति का अर्जन या अधिग्रहण।)

केवल यह परिवर्तन किया गया है कि रेखांकित शब्दों को अब समवर्ती सूची में रख दिया गया है। इसलिये यह आवश्यक है कि उन्हें इस सूची से निकाल दिया जाये। सूची 1 की इसी के समान एक प्रविष्टि के सम्बन्ध में भी हमने यही किया है।

*(संशोधन संख्या 239 उपस्थित नहीं किया गया।)*

***श्री राजबहादुरः** श्रीमान्, मैं यह प्रस्ताव उपस्थित करता हूं कि:

"सूची 1 (छठा सप्ताह) के संशोधन संख्या 69 में प्रस्तावित सूची 2 की प्रविष्टि 9 से 'subject to the provisions of entry 35 of List III.' (सूची 3 की प्रविष्टि 35 के उपबन्धों के आधीन रहते हुये)' शब्दों को निकाल दिया जाये।"

मैंने इस संशोधन को इस कारण उपस्थित किया है कि यह प्रविष्टि संघ-सूची की प्रविष्टि 43 की तत्स्थानी प्रविष्टि है। मसौदा-समिति द्वारा उपस्थित संशोधन संख्या 21 के स्वीकृत होने के पश्चात् वह अब इस प्रकार हो गई है:

"संघ के प्रयोजनों के लिये सम्पत्ति का अर्जन या अधिग्रहण।" इस प्रविष्टि में "सूची 3 की प्रविष्टि 35 के उपबन्धों के अधीन रहते हुये" शब्दों का उल्लेख नहीं है। मेरे विचार से संघ द्वारा अधिगृहीत सम्पत्ति तथा राज्यों द्वारा अधिगृहीत सम्पत्ति के विषय में इन दो प्रविष्टियों की शब्दावलियों में भेद करने की आवश्यकता नहीं है। "सूची 3 की प्रविष्टि 35 के उपबन्धों के अधीन रहते हुये" शब्दों को या तो दोनों प्रविष्टियों में रखा जाये या किसी प्रविष्टि में न रखा जाये। सुसंगित तथा सिद्धान्तों की एकरूपता की दृष्टि से इन शब्दों को इस प्रविष्टि से निकाल देना चाहिये।

इसके अतिरिक्त जब तक इस अनुच्छेद 24 के सम्बन्ध में निर्णय नहीं करते तब तक हमें लोक-हित के लिये संघ द्वारा अथवा राज्यों द्वारा अर्जित सम्पत्ति के लिये प्रतिकर देने के सिद्धान्त को स्वीकार नहीं करना चाहिये। इन शब्दों के साथ मैं मसौदा-समिति से तथा सभा से सिफारिश करता हूं कि मेरे संशोधन पर विचार किया जाये।

***माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकरः** यह संशोधन उपयुक्त नहीं है और मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता।

***श्री राजबहादुरः** क्या मैं जान सकता हूं कि यह किस प्रकार उपयुक्त नहीं है?

***अध्यक्षः** क्या आप इस संशोधन को वापस ले रहे हैं?

***श्री राजबहादुरः** चूंकि मुझे यह नहीं बताया गया है कि यह किस कारण अनुपयुक्त है इसलिये मैं इसे वापस नहीं लेता।

***अध्यक्ष:** प्रस्ताव यह है कि:

"सूची 1 (छठा सप्ताह) के संशोधन संख्या 69 में प्रस्तावित सूची 2 की प्रविष्टि 9 से 'Subject to the provisions of entry 35 of list III. (सूची 3 की प्रविष्टि 35 के उपबन्धों के अधीन रहते हुये)' शब्दों को निकाल दिया जाये।"

*संशोधन गिर गया।*

***अध्यक्ष:** प्रस्ताव यह है कि:

"सूची 2 की प्रविष्टि 9 के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाये:–

'9. Acquisition or requisitioning of property except for the purposes of the Union subject to the provisions of entry 35 of List III.'"

(9. सूची 3 की प्रविष्टि 35 के उपबन्धों के अधीन रहते हुये संघ के प्रयोजनों के अतिरिक्त सम्पत्ति का अर्जन या अधिग्रहण।)

*संशोधन स्वीकार कर लिया गया।*

***अध्यक्ष:** प्रस्ताव यह है कि:

"प्रविष्टि 9 संशोधित रूप में सूची 2 का अंग बना ली जाये।"

*प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया।*

*प्रविष्टि 9, संशोधित रूप में, राज्य-सूची का अंग बना ली गई।*

---

## प्रविष्टि 10

*प्रविष्टि 10 राज्य-सूची का अंग बना ली गई।*

---

## प्रविष्टि 10-क

***माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर:** श्रीमान्, मैं यह प्रस्ताव उपस्थित करता हूं कि:

"सूची 2 की प्रविष्टि 10 के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाये:–

'10-A. Ancient and Historical Monuments other than those specified in entry 60 of List-I.'"

(10-क. सूची 1 की प्रविष्टि 60 में अनुल्लिखित प्राचीन तथा ऐतिहासिक स्मारक)

हमने इस प्रविष्टि को विभाजित कर दिया है। इसके एक भाग को सूची 1 में रख दिया है और दूसरे भाग को सूची 2 में रख दिया है।

***अध्यक्षः** प्रस्ताव यह है कि:

"प्रविष्टि 10-क सूची 2 का अंग बना ली जाये।"

*प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया।*

*प्रविष्टि 10-क राज्य-सूची का अंग बना ली गई।*

---

## प्रविष्टि 11

***अध्यक्षः** प्रविष्टि संख्या 11।

***श्री राजबहादुरः** मैं अपने संशोधन को नहीं उपस्थित करना चाहता।

*प्रविष्टि 11 राज्य-सूची का अंग बना ली गई।*

---

## प्रविष्टि 12

***माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकरः** श्रीमान्, मैं यह प्रस्ताव उपस्थित करता हूं कि:

"सूची 2 की प्रविष्टि 12 के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जायें:-

'12. The salaries and allowances of Ministers for the State, of the Speaker and Deputy Speaker of the Legislative Assembly, and if there is a Legislative Council, of the Chairman and Deputy Chairman thereof; the salaries and allowances of the members of the Legislature of the state.'

'12-A. The privileges, immunities and powers of the Legislative Assembly and of the members and the Committees thereof, and if there is a Legislative Council, of that Council and of the members and the Committees thereof.'"

(12. राज्य के मंत्रियों के, विधान-सभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के तथा, यदि विधान-परिषद् है तो, उसके सभापति और उपसभापति के वेतन और भत्ते, राज्य के विधान-मंडल के सदस्यों के वेतन और भत्ते।

[माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर]

12-क. विधान-सभा और उसके सदस्यों और समितियों की तथा, यदि विधान-परिषद् हो तो, उस परिषद् और उसके सदस्यों और समितियों की शक्तियां, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां।)

सूची 1 में केन्द्र के सम्बन्ध में जो प्रविष्टियां रखी गई हैं उन्हीं के अनुरूप ये प्रविष्टियां भी हैं।

***डॉ. पी.एस. देशमुखः** मैं अपना संशोधन नहीं उपस्थित कर रहा हूं।

***अध्यक्षः** प्रस्ताव यह है कि:

"सूची 2 की प्रविष्टि 12 के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जायें:-

'12. The salaries and allowances of Ministers for the State, of the Speaker and Deputy Speaker of the Legislative Assembly, and if there is a Legislative Council, of the Chairman and Deputy Chairman thereof; the salaries and allowances of the members of the Legislature of the State.

'12-A. The privileges, immunities, and powers of the Legislative Assembly and of the members and the Committees thereof, and if there is a Legislative Council, of that Council and of the members and the Committees thereof.'"

(12. राज्य के मंत्रियों के, विधान-सभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के तथा, यदि विधान-परिषद् है तो, उसके सभापति और उपसभापति के वेतन और भत्ते; राज्य के विधान-मंडल के सदस्यों के वेतन और भत्ते।

12-क. विधान-सभा और उसके सदस्यों और समितियों की तथा, यदि विधान-परिषद् हो तो उस परिषद् और उसके सदस्यों और समितियों की शक्तियां, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां।)

*संशोधन स्वीकार कर लिया गया।*

*प्रविष्टियां 12 और 12-क राज्य-सूची के अंग बना ली गईं।*

---

## प्रविष्टि 13

***अध्यक्षः** प्रविष्टि 13।

***श्री ब्रजेश्वर प्रसादः** मैं अपना संशोधन नहीं उपस्थित कर रहा हूं।

*प्रविष्टि 13 राज्य-सूची का अंग बना ली गई।*

## प्रविष्टि 14

***अध्यक्ष:** प्रविष्टि 14।

***श्री ब्रजेश्वर प्रसाद:** मैं अपने संशोधन को नहीं उपस्थित कर रहा हूं।

***श्री महावीर त्यागी:** अध्यक्ष महोदय, कभी संशोधनों को उपस्थित करने में वास्तव में बहुत संकोच का अनुभव होता है। मैंने छपी हुई सूची के एक संशोधन के सम्बन्ध में इस संशोधन की सूचना दी थी। उस संशोधन को उपस्थित नहीं किया गया है और अब उसके प्रस्तावक महोदय कहते हैं कि मैं अपने संशोधन को उपस्थित नहीं कर सकता।

***अध्यक्ष:** मेरे विचार से इसमें कुछ सार है।

***श्री महावीर त्यागी:** नैतिक दृष्टि से यह दिखाई देता है कि उन्होंने मुझे धोखा दिया है।

***अध्यक्ष:** आपको उन पर निर्भर न रहना चाहिये था। आपको एक पृथक् संशोधन उपस्थित करना चाहिये था।

***श्री आर.के. सिधवा:** जब मैंने अपने संशोधन की सूचना दी थी तब से कुछ परिवर्तन हो गये हैं। इस कारण मैं अपने संशोधन को नहीं उपस्थित कर रहा हूं।

***श्री महावीर त्यागी:** मेरे विचार से सूचना देने के नियम के अधीन सदस्यों को यह सूचना दी जाती है कि किस विषय पर विचार किया जायेगा। इसके सम्बन्ध में यह कार्य सम्पन्न हो चुका है और इसलिये मेरा यह निवेदन है कि आप कृपया इसे एक अलग संशोधन समझें और मुझे उसे उपस्थित करने की आज्ञा दें।

***अध्यक्ष:** आपका संशोधन प्रविष्टि 14 से बहुत भिन्न है। प्रविष्टि 14 में यह निर्धारित है:–

> "स्थानीय शासन अर्थात् नगर-निगम, सुधार-प्रन्यास, जिला-मंडलों, खनिज-वसिति प्राधिकारियों तथा स्थानीय स्वशासन या ग्राम्य प्रशासन के प्रयोजन के लिये अन्य स्थानीय प्राधिकारियों का गठन और शक्तियां।"

आपका संशोधन "ग्रहों और भाटकों के विनियमन तथा नियंत्रण" के सम्बन्ध में है। इन दोनों में भेद है।

***श्री महावीर त्यागी:** छपी हुई सूची में यह संशोधन इस प्रकार है:–

> "कटक क्षेत्रों में स्थानीय स्वशासन, ऐसे क्षेत्रों में गृह-वासन का विनियमन और ऐसे क्षेत्रों का परिसीमन।"

इस प्रकार जिस संशोधन को मैं संशोधित करना चाहता था उसके सम्बन्ध में मेरा संशोधन प्रासंगिक ही था।

***अध्यक्ष:** हमने नियंत्रण लगाने के सम्बन्ध में यह प्रविष्टि रखी है।

***श्री महावीर त्यागी:** वह सूची 1 की प्रविष्टि थी जो कटकों के सम्बन्ध में थी। अब हमारे सामने सूची 2 है। चूंकि यह एक महत्वपूर्ण विषय है इसलिये आप कृपया इसकी आज्ञा दीजिये कि इसे एक नवीन प्रविष्टि के रूप में रखा जाये।

***श्री आर.के. सिधवा:** उनका उद्देश्य यह है कि पुरानी प्रविष्टि के स्थान पर "गृहों और भाटकों के विनियमन तथा नियंत्रण" के सम्बन्ध में एक प्रविष्टि रखी जाये। मैं यह पूछता हूं कि विनियमन कौन करेगा? मेरे संशोधन का उद्देश्य बिल्कुल भिन्न था।

***अध्यक्ष:** यह दो बिल्कुल भिन्न बातें हैं।

***श्री महावीर त्यागी:** श्रीमान्, छपी हुई सूची के संशोधन में प्रस्तावित प्रविष्टि के स्थान पर मैं अपने संशोधन में प्रस्तावित प्रविष्टि को रखना चाहता था। मेरे संशोधन के स्वीकृत होने पर वह प्रविष्टि इस प्रकार होगी:–

"गृहों और भाटकों का विनियमन तथा नियंत्रण।"

***अध्यक्ष:** इन दोनों में भेद है।

***श्री महावीर त्यागी:** इस दशा में मेरी आप से प्रार्थना है कि मुझे एक पृथक् प्रविष्टि का प्रस्ताव उपस्थित करने की आज्ञा दी जाये। कोई सदस्य यह आपत्ति नहीं कर सकता है कि उसकी सूचना नहीं दी गई थी। यदि सभा उसे स्वीकार करे तो उसे एक नवीन प्रविष्टि के रूप में अर्थात् प्रविष्टि 14 के रूप में या सूची के अन्त में रखा जा सकता है।

***डॉ. पी.एस. देशमुख:** आप किसी ऐसी बात को संशोधित नहीं कर सकते जिसका अस्तित्व ही नहीं है।

***अध्यक्ष:** मैं उसे प्रविष्टि 14 के संशोधन के रूप में उपस्थित करने की आज्ञा नहीं दे सकता। प्रविष्टि 14 को निबटाने के पश्चात् हम इस पर विचार करेंगे कि इसे उठाया जाये या नहीं उठाया जाये।

प्रस्ताव यह है कि:

"प्रविष्टि 14 सूची 2 का अंग बना ली जाये।"

*प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया।*

*प्रविष्टि 14 राज्य-सूची का अंग बना ली गई।*

***अध्यक्ष:** अब प्रश्न यह है कि क्या "गृहों और भाटकों के विनियमन तथा नियंत्रण" के सम्बन्ध में हम एक अलग प्रविष्टि रखें या नहीं। श्री त्यागी आप उसे एक पृथक् प्रविष्टि के रूप में उपस्थित करें।

***माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकरः** जी हां, वह एक पृथक् प्रविष्टि के रूप में उपस्थित किया जा सकता है।

***श्री महावीर त्यागीः** मैं आपका तथा डॉ. अम्बेडकर का भी आभारी हूं। उन्होंने मेरे प्रति प्रथम बार उदारता दिखाई है।

श्रीमान्, मेरा निवेदन है कि जिस सूची को मसौदा-समिति ने उपस्थित किया हो उसके सम्बन्ध में संशोधन उपस्थित करने में वास्तव में बहुत संकोच होता है क्योंकि मसौदा-समिति हमेशा ही साधन सम्पन्न रहती है और उससे संघर्ष करना बहुत कठिन होता है।

***अध्यक्षः** किन्तु आप तो एक नवीन प्रविष्टि को उपस्थित कर रहे हैं।

***श्री महावीर त्यागीः** जी हां, श्रीमान्। किन्तु मसौदा-समिति की स्वीकृति की आवश्यकता होती है। वास्तव में वही प्रस्तावों को स्वीकार करती है। जब वह उन्हें स्वीकार करती है तो सभा भी उन्हें स्वीकार कर लेती है।

सभा केन्द्र को अवशिष्ट शक्तियां प्रदान करने के सम्बन्ध में एक प्रविष्टि को स्वीकार कर चुकी है। किन्तु सूची 2 अथवा सूची 3 में इसका उल्लेख नहीं किया गया है। मेरा यह निवेदन है कि आजकल नगरों में गृहों तथा गृहों के भाटकों पर नियंत्रण रखने का बहुत महत्व है। 1935 के भारत शासन अधिनियम की मूल-सूची में इस विषय का उल्लेख नहीं था क्योंकि उस समय गृहों तथा गृहों के भाटकों पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता नहीं थी और न भारत में इस प्रथा का चलन ही था क्योंकि....

***माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकरः** मैं माननीय सदस्य महोदय के तर्क को समझ गया हूं और मैं कुछ ही क्षणों में उन्हें उत्तर दे दूंगा।

***श्री महावीर त्यागीः** जी हां, इसलिये मेरा केवल यह निवेदन है कि गृहों तथा भाटकों पर नियंत्रण रखने के विषय को भी रखना चाहिये। मैं यहां तक कहने के लिये तैयार हूं कि खाद्यान्न पर नियंत्रण रखने के विषय को भी प्रविष्ट करना चाहिये। यदि सभा इसके लिये सहमत हो तो इसे किसी स्थल पर एक पृथक् विषय के रूप में रखा जा सकता है।

***माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकरः** श्रीमान्, मेरे विचार से इस प्रसंग में तीन पृथक् प्रश्न उठते हैं यद्यपि श्री त्यागी ने उनकी चर्चा नहीं की है।

पहला प्रश्न यह है कि गृहों और गृह भाटकों का विनियमन तथा नियंत्रण करने की शक्ति प्रान्तीय विधान-मंडलों को प्राप्त होनी चाहिये या नहीं। मेरे विचार से इस सम्बन्ध में कुछ भी मतभेद नहीं हो सकता कि प्रान्तीय सरकारों को यह शक्ति प्राप्त होनी चाहिये। इसलिये प्रश्न यह उठता है कि संविधान के मसौदे में और उसकी सूची में गृहों तथा गृह-भाटकों के विनियमन तथा नियंत्रण के सम्बन्ध में प्रान्तीय विधान-मंडलों को शक्ति प्रदान करने के बारे में उपबन्ध होने चाहिये या नहीं। मेरा यह निवेदन है कि श्री त्यागी ने जिस पृथक् प्रविष्टि का प्रस्ताव

[माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर]

रखा है उसकी कोई भी आवश्यकता नहीं है। इसका कारण यह है कि इस सम्बन्ध में दो प्रविष्टियां हैं। सूची 2 की प्रविष्टि 24 "भूमि, भूमि में या पर अधिकार, भूधृति जिसके अन्तर्गत भूस्वामी और किसानों का सम्बन्ध भी है तथा भाटक का संग्रहण आदि" के सम्बन्ध में है। एक प्रविष्टि यह है। इसके अतिरिक्त "कृषि भूमि को छोड़ कर अन्य सम्पत्तियों को हस्तान्तरण; विलेखों और दस्तावेजों के पंजीयन" के सम्बन्ध में सूची 3 की प्रविष्टि 8 है। यह देखा गया है कि इन प्रविष्टियों के अधीन प्रान्तीय सरकारों को गृहों और भाटकों का विनियमन तथा नियंत्रण करने के लिये विधि बनाने की पर्याप्त शक्ति प्राप्त हो जाती है। मेरे मित्र श्री त्यागी को भी यह विदित है कि यद्यपि भारत शासन अधिनियम की सूची 2 में इस प्रकार की प्रविष्टि नहीं है किन्तु आज भी इस सम्बन्ध में प्रान्तों ने विधियां बनाई हैं। इस प्रकार भूमि विषयक प्रविष्टि 24 तथा सम्पत्ति हस्तान्तरण-विषयक अन्य प्रविष्टि 8 के उपबन्ध उन्हें वह शक्ति प्रदान करने के लिये पर्याप्त हैं जिसे श्री त्यागी उन्हें देना चाहते हैं।

श्री त्यागी के संशोधन को स्वीकार करने में एक कठिनाई और है और वह यह है। यदि इस समय हम इस प्रविष्टि को रख देते हैं तो इससे प्रान्त गृहों के विनियमन तथा भाटकों के नियंत्रण के सम्बन्ध में जो विधियां बना चुके हैं वे बहुत कुछ संदिग्ध हो जायेंगी। इससे लोग यह समझेंगे कि विधान-मंडल ने यह स्वयं अनुभव किया कि पहले जिस रूप में यह प्रविष्टि थी उससे विधान मंडल को इस उद्देश्य से विधि बनाने की पूर्ण शक्ति नहीं प्राप्त होती थी और इसी कारण एक पृथक् प्रविष्टि द्वारा इस शक्ति को प्रदान करना आवश्यक समझा गया। जो विधियां बन चुकी हैं उनके सम्बन्ध में हम बिना किसी आवश्यकता के संदेह उत्पन्न करेंगे। यह संशोधन इस कारण भी नहीं स्वीकार किया जा सकता। जैसाकि मैं कह चुका हूं इसकी इस कारण आवश्यकता नहीं है कि प्रान्तों को इस प्रकार की विधियां बनाने के लिये पर्याप्त शक्ति प्राप्त है। इसके अतिरिक्त जो विधियां बनाई जा चुकी हैं उनके वैध होने का प्रश्न भी है।

अब मैं तीसरे भाग को उठाता हूं। जब मैं कटकों के प्रश्न पर विचार कर रहा था तो मेरे मित्र श्री त्यागी ने इसके लिये थोड़ा बहुत प्रयास किया था कि कटकों से अपने क्षेत्रों में गृहों और भाटकों का विनियमन करने की शक्ति ले ली जाय। यदि मेरे मित्र का उद्देश्य यह है कि इस प्रविष्टि को स्वीकार कराने से प्रान्त उस शक्ति का निराकरण कर सकेंगे जो उन्हें सूची 1 की प्रविष्टि द्वारा प्रदान की गई है, क्योंकि वह प्रविष्टि पारित हो चुकी है। तो मेरे विचार से वे भ्रम में है। यह प्रविष्टि संविधान का अंग भले ही हो जाये किन्तु जिस प्रविष्टि को हम पारित कर चुके हैं वह वैध होगी। चाहे प्रान्तों को जो भी शक्तियां प्रदान की जायें कटकों को अपने क्षेत्र के गृहों का तथा उनके भाटकों का विनियमन करने की शक्ति प्राप्त होगी। इसलिये अपने मित्र श्री त्यागी से मेरा यह निवेदन है कि उनके उद्देश्य की पूर्ति हो गई है और इस प्रविष्टि को रखने की आवश्यकता नहीं रह गई है विशेषतया इसलिये कि जो विधियां बन चुकी हैं उनके सम्बन्ध में इन प्रविष्टियों के अधीन थोड़ा बहुत संदेह उत्पन्न हो जायेगा।

***श्री महावीर त्यागी:** श्रीमान्,....

***अध्यक्ष:** उत्तर देने के अधिकार की व्यवस्था नहीं है।

***श्री महावीर त्यागी:** यदि आप कृपा करके मुझे आज्ञा दें तो मैं केवल एक प्रश्न पूछना चाहता हूं।

***अध्यक्ष:** अपना प्रश्न पूछिये।

***श्री महावीर त्यागी:** क्या डॉ. अम्बेडकर हमें बतायेंगे कि यदि कोई सरकार कुछ कठिनाइयों का अनुभव करे तो क्या हमें उन्हें ध्यान में रख कर आगे बढ़ना चाहिये अथवा प्रान्तीय सरकारों के वचनों को ध्यान में न रखकर हमें स्वतंत्र रूप से विधि बनानी चाहिये और भाटकों का नियंत्रण करने के लिये प्रान्तीय सरकारों को शक्ति प्रदान कर देनी चाहिये? हम इस आधार पर आगे नहीं बढ़ सकते कि चूंकि अनियमित बातों पर अभी तक किसी ने आपत्ति नहीं की है इसलिये सब कुछ ठीक ही है। यदि कोई मकान मालिक यह आपत्ति करे कि प्रान्तीय सरकारों को भाटकों को नियंत्रित करने का कोई अधिकार नहीं है तो क्या होगा?

***माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर:** जी नहीं, वह यह आपत्ति नहीं कर सकता क्योंकि सामान्य खण्ड अधिनियम के अधीन भूमि के अन्तर्गत मकान भी आ जाते हैं।

***श्री महावीर त्यागी:** यह विधि का एक नवीन निर्वचन है कि विधि के अधीन मकान आ जाता है।

***माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर:** इसमें नवीनता इस कारण दिखाई दे रही है कि श्री त्यागी ने कभी विधि-वृत्ति नहीं अपनायी।

***अध्यक्ष:** अब मैं नवीन प्रविष्टि पर मत लेता हूं।

प्रस्ताव यह है कि:

'प्रविष्टि 14 के पश्चात् निम्नलिखित नवीन प्रविष्टि रखी जाये:-

'14-A. The regulation and control of houses and rents.'"

(14-क. गृहों और भाटकों का विनियमन तथा नियंत्रण)

*प्रस्ताव गिर गया।*

**"श्री महावीर त्यागी:** श्रीमान्, चूंकि मैं अपनी जगह को वापस जा रहा था इसलिये मुझे 'हां' कहने का अवसर नहीं मिला।

***अध्यक्ष:** जी नहीं, मैंने आपको अवसर दिया किन्तु आपने 'हां' नहीं कहा। अब हम प्रविष्टि 15 को उठाते हैं।

***श्री आर.के. सिधवा:** श्रीमान्, वर्तमान सत्र के कार्यक्रम के सम्बन्ध में मुझे यह कहना है कि....

***अध्यक्ष:** मैं पहले इस प्रविष्टि को निबटा दूं। उसके पश्चात् आप जो कुछ कहना चाहें कहें। डॉ. अम्बेडकर।

## प्रविष्टि 15

***माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर:** श्रीमान्, मैं यह प्रस्ताव उपस्थित करता हूं कि:

"सूची 2 की प्रविष्टि 15 से 'registration of births and deaths (जन्म और मृत्यु का पंजीयन)' शब्द निकाल दिये जायें।"

यह विषय समवर्ती सूची में रख दिया गया है।

***अध्यक्ष:** क्या इसके सम्बन्ध में कोई संशोधन नहीं है?

***श्री ब्रजेश्वर प्रसाद:** श्रीमान्, एक संशोधन मेरे नाम से है। किन्तु चूंकि डॉ. अम्बेडकर इस प्रविष्टि को सूची 3 में रखने के लिए सहमत हैं, इसलिये मैं उसे नहीं उपस्थित कर रहा हूं मुझे और कुछ नहीं कहना है।

***अध्यक्ष:** इसके अतिरिक्त संशोधन संख्या 280 (पांचवीं सूची, छठ ा सप्ताह), भी है, जो श्री कामत के नाम से है।

***श्री एच.वी. कामत:** श्रीमान्, एक बज चुका है। क्या मैं उसे उपस्थित करूं?

***अध्यक्ष:** मेरे विचार से अच्छा यह होगा कि हम यही समाप्त कर दें।

***श्री आर.के. सिधवा:** श्रीमान्, इसके पूर्व कि आप सभा स्थगित करें हम इस सत्र के कार्यक्रम के सम्बन्ध में सूचना चाहते हैं। अभी कई महत्वपूर्ण अनुच्छेदों पर विचार करना है और हमें यह ज्ञात नहीं है कि वे कब उठाये जायेंगे। यदि आप हमें कृपया यह बता सकें कि वे कब उठाये जायेंगे तो हम....

***श्री नज़ीरुद्दीन अहमद:** चूंकि ये अनुच्छेद महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं, इसलिये हमें उन पर विचार करने के लिये तथा अपने संशोधनों को भेजने के लिये कुछ समय मिलना चाहिये।

***अध्यक्ष:** मैं समझता हूं कि मैं कल आपको बता सकूंगा कि कौन से अनुच्छेद किन तिथियों को उठाये जा सकेंगे। इन अनुच्छेदों को यथा समय सदस्यों के पास भेज दिया जायेगा ताकि जिन संशोधनों को भेजने का उन्हें अधिकार है उन्हें वे भेज सकें।

अब सभा कल प्रात: नौ बजे तक के लिये स्थगित होती है।

*इसके पश्चात् सभा शुक्रवार तारीख 2 सितम्बर, 1949 के नौ बजे तक के लिये स्थगित हो गई।*